राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या 3

मंगलवार,

दिनांक 10 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक म०पू० 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरञ्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, अकाल सहायता, समाज कल्याण, यातायात, परिवार नियोजन, शिक्षा, पंचायत, वन, वित्त, एवं चिकित्सा विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री चुन्नीलाल ।

ग्राम देवपुरा का बांध

22. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खन्डार-सु०): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम देवपुरा में बांध का शिलान्यास कब किया था ?

(2) उक्त बांध का सर्वे कब किया गया था और कितने का एस्टीमेट बना था ?

(3) उक्त बांध बनाने का ठेका कब और किस ठेकेदार को दिया गया ?

(4) उक्त बांध का कितना कार्य बकाया है और वह कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) सर्व प्रथम देवपुरा सिंचाई बांध का कार्य 11-12-55 को प्रारम्भ किया गया था ।

(2) उक्त बांध का सर्वे सर्व प्रथम सन् 1950-51 में हुआ था एवं 5,20,000 रुपये का तकमीना बना था । बाद में कई कारणों से तकमीना संशोधित किया गया और राजकीय स्वीकृति 13 लाख रुपये की सन् 1966 में हुई ।

(3) उक्त बांध का ठेका सर्व प्रथम दिनांक 11-12-55 को लाला मेहरचन्द ठेकेदार को दिया गया था और उसके बाद दिनांक 18-12-66 को मैसर्स गुप्ता ब्रादर्स, जयपुर को दिया गया ।

(4) लगभग दस लाख रुपये का कार्य करना शेष है जो धनराशि की उपलब्धि के अनुसार ही समाप्त कराया जा सकेगा ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : जब इस बांध का ठेका दिया गया था तो उसमें ठेकेदार से कितने साल का एग्रीमेंट किया गया था ?

श्री जसराज : समझ में नहीं आया ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : ठेकेदार के साथ कितने साल का एग्रीमेंट किया गया था ?

श्री जसराज : दो साल का ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : तो इसमें 15 साल का टाइम लग गया है और अब तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ ? जब दो साल में खत्म करना था तो इतनी डिले क्यों हुई, इसका क्या कारण है ?

श्री जसराज : उसका कारण यह है कि जब पहले दफा काम आरम्भ कराया गया तो जिस ठेकेदार लाला मेहरचन्द को ठेका दिया गया था उनकी कुछ दिनों बाद ही मृत्यु हो गई, इसलिये उनका ठेका कैंसिल किया गया और फिर 1957 में उस काम के लिये टेंडर मंगवाये गये, लेकिन कुछ तब्दीलियें होने के कारण रिवाइज्ड एस्टीमेट के लिए लिखा गया। उसके बाद जब वेस्ट वाटर के लिये भी कोई फाउन्डेशन नहीं मिल सका तो इस बांध की फिर सर्वे करानी पड़ी। इस बीच में चम्बल नदी के बांध से नहर को मेजा नदी तक बढ़ाने की योजना दिमाग में आई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पायी और 1966 में यह तय हुआ कि नहर पहुंच नहीं पायेगी । इसलिये 1966 में पुनः इसको हाथ में लिया गया और 13 लाख रुपये मन्जूर किये गये और ठेकेदार को ठेका दिया गया ठेकेदार समय पर काम नहीं कर पाया और उसके बाद पैसे की भी कमी आ गई, इसलिये काम को बन्द कराना पड़ा। अब जैसे ही पैसे की उपलब्धि होगी, काम कराया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री विजयसिंह : यह पैसा कहां चला गया ?

श्री चुन्नीलाल जेलिया : पैसे की कमी कैसे आ गई ?

श्री विजयसिंह : क्या माननीय सदस्य को खरीदने में चला गया ?

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु०): ठेकेदार से जो अर्नेस्ट मनी ली गई थी वह क्या उसको वापिस की गई ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : वह जब्त की गई या वापिस की गई ?

श्री जसराज : नियमानुसार कार्यवाही की गई ।

श्री मदनसिंह : इसका मतलब जब्त की गई ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : जब अवधि के अन्दर काम नहीं कर पाया तो जब्त कराई गई ?

श्री जसराज : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : कहां से अलग है ?

श्री जसराज : वैसे उसको दो साल में काम पूरा करना था, बार बार विभाग द्वारा भी लिखा गया, और बाद में उसको क्योंकि बन्द करने के लिये लिखना पड़ा, उसका पूरा पेमेन्ट अभी नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री मदनसिंह : बहुत गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय 11-12-55 को इसकी योजना बनाई और आज पंद्रह साल हो गये।

श्री अध्यक्ष : उसके लिये कारण बतलाये हैं।

श्री मदनसिंह : लेकिन 15 साल हो गये और आज तक काम पूरा नहीं हुआ।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : जहां तक माननीय सदस्य का फर्माना है, एक हद तक सही है, किन्तु इस डिले के कारण माननीय उप-मंत्रीजी ने बता दिये। उन्होंने वाइटल रोल प्ले किया है उसमें देरी होने के अन्दर। पहले शुरुआत में इसको एक साधारण तालाब के रूप में करने को था, लेकिन बाद में देखा गया कि इरिगेशन के लिये एरिया ज्यादा है; इसलिये और सर्वे कराया गया और बूंदी राइट कैनाल को वहां तक ले जाने की योजना हुई जिससे तालाब नहीं बना। उसके सर्वे के बाद भी यह फीजीबिल नहीं पाया गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : यह देरी ठेकेदार के कारण हुई या राज्य सरकार के कारण ?

श्री अध्यक्ष : उन सब पर प्रकाश डाल दिया गया है।

प्रश्न संख्या 23

श्री राम कुमार नन्दवाना।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द जैन।

अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के मुकदमें

24. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1968-69 एवं सन् 1969-70 में कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों (स्थायी एवं अस्थायी) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में कितने मुकदमें किन किन के किस किस दफा में दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मुकदमों में से कितनों की तफतीश कब से चालू है ? कितने मुकदमें कब कब चालान हुए एवं कितने अदालतों में किस स्टेज पर चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त मुकदमों की कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, अकाल राहत (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची संलग्न है।

(2) सूचना उपरोक्त सूची में उपलब्ध है।

(3) सूचना उपरोक्त सूची में उपलब्ध है।

श्री वृद्धिचंद जन : इसकी सूची दिलायी जाये तो कुछ मालूम पड़े।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, सूची हमें भी नहीं मिली है।

Page No 4

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। कल भी माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, लेकिन मिली नहीं। आज भी कह दिया कि सूची दी गई है लेकिन वह सदन की मेज पर भी नहीं है। इस प्रकार का अनुचित उत्तर मंत्री महोदय देते हैं, यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। क्या कारण है?

श्री गंगाराम चौधरी : अभी तैयार की गई थी और हमने दे दी है। उन तक नहीं पहुंची होगी।

श्री अध्यक्ष : उन तक तो क्या, मुझ तक भी नहीं आई है। प्राथमिकता तो मुझे प्राप्त है न। देखिये, बार बार यह सवाल आता है। कल भी यह स्थिति आई, आज भी आई, और यह पैदा होती रहेगी। मैं फिर सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार का विलम्ब, जो माननीय सदस्यों को सूची न मिलने से होता है, और सूची मुझे भी नहीं मिलती है, इसके लिये सरकार सतर्क रहे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह शिष्टाचार का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मैं इसे पोस्टपोन करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह।

श्री पृथ्वीसिंह : प्रश्न संख्या 25।

श्री भैरोंसिंह : उनके पास जो जवाब है उसी को पढ़कर सुना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : जवाब और फिर इसको लिया जाय यह दोनों नहीं चलेगा।

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : पढ़कर सुनाने में एतराज नहीं नहीं है।

एक माननीय सदस्य : पढ़कर सुना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैंने स्थगित कर दिया है।

नैक्स्ट।

मीठड़ी बांध की भूमि का मुआवजा

25. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवाड़ी में बने मीठड़ी बांध की भूमि जिस पर गरीब अनुसूचित जाति के लोगों का आधिपत्य था को विभाग ने एक्वायर किया है?

(1) क्या इन लोगों को विभाग एवं राज्य सरकार के आश्वासनों के बावजूद भी आज दिन तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) जी हां, आवश्यकतानुसार भूमि अवाप्त की गई है।

(2) मुआवजे के कागजात तैयार हो चुके हैं तथा तकमीनें स्वीकृत किये जा रहे हैं। मुआवजे का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जावेगा।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय को निवेदन कर दूं

(श्री पृथ्वीसिंह)

कि आपने पहले भी इस प्रकार का उत्तर दिया था और आश्वासन दिया था कि शीघ्र मुआवजा दे दिया जायेगा लेकिन आज तक एक साल निकलने आ गया वहां पर तीन साल से फेमीन की कन्डीशन्स हैं लेकिन मुआवजा तैयार होकर दिलाने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

श्री जसराज : निवेदन कर दिया कि तखमीनें तैयार किये जा चुके हैं। पहले तो वहां से डिपार्टमेंट में आते हैं और फिर तखमीनों को एक्जामिन किया जाता है। बहुत शार्टली पेमेन्ट कर दिया जावेगा।

श्री पृथ्वीसिंह : पहले भी तखमीनें तैयार करने के लिये कहा गया और कहा गया यह भी कि अन्डर सेंक्शन है। एक साल में भी नहीं किये तो अब कैसे हो जावेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : इन मामलों में प्रोसिजरल डिले तो होती है किन्तु माननीय सदस्य को मालूम होगा कि किसानों के हित की दृष्टि से नेगोशियेशन्स से यह तय कर लिया गया। तहसीलदार के पास स्वीकृति पहुंच गयी है।

श्री पृथ्वीसिंह : तीन साल से भयंकर फेमीन है। आदिवासी, मीणें हैं उनको समय पर मुआवजा नहीं दिया जाता है, उनके घर डूब गये हैं....

श्री हरदेव जोशी : पोजीशन बिलकुल डिफरेन्ट है। एक तरफ तो राज्य सरकार को इस बात के लिए आग्रह किया जाय कि काम तत्काल शुरू कर दिया जाय या तो पहले लैंड एक्वायर कर ली जाय और बाद में काम शुरू करें लेकिन माननीय सदस्यों का सब का आग्रह था कि काम तत्काल शुरू किया जाय इसलिये शुरू किया गया और फिर किसानों के साथ नेगोशियेशन्स करके अमाउन्ट सेन्क्शन हो गया और डिस्बर्समेन्ट शुरू हो जायगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, योजना बनती है, आपको मालूम नहीं होता है कि कितनी 2 जमीन काश्तकार से ली जावेगी और जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। सिंचाई योजनायें जितनी बनती हैं भूमि को अवाप्त करते हैं बिना नोटिस दिये और पीछे अतिक्रमण कर लेते हैं। या तो उसको फौरन जमीन का मुआवजा दीजिये या दूसरी जमीन दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवा महल, जयपुर) : कब तक दे देंगे ? शीघ्र दे देंगे यह तो एक वर्ष से कह रहे हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : डेट निश्चित करके बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप स्थिति में हैं तारीख बताने की ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक इरिगेशन डिपार्टमेन्ट का ताल्लुक है किसानों से समझौता हुआ उसको स्वीकार कर लिया गया है। मुआवजा स्वीकृत हो गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कब तक दे देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कोशिश करूंगा कि अरलियेस्ट पोसिबल इसका डिस्बर्समेन्ट हो गया।।

Page No 6

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : यह समझौता किस प्रकार का है ? आये दिन यह शिकायतें होती हैं कि सिंचाई विभाग कब्जा कर लेता है और मुआवजा नहीं दिया जाता है। क्या सरकार यह विचार नहीं कर सकती कि जब तक मुआवजा न दिया जाय सरकार जमीन पर अधिकार न करे ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न संख्या 26।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

दूदू बस स्टेशन के अहाते में थड़ियां लगाने की अनुमति

26. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दूदू रोडवेज स्टेशन के निर्माण से पूर्व इस स्थान पर क्या कुछ थड़ी वाले बैठते थे ?

(2) क्या यह सच है कि इन थड़ी वालों को अहाता निर्माण से पूर्व यह आश्वासन दिया गया था कि अहाते के अन्दर उन्हें निर्माण के बाद थड़ी लगाने दी जावेगी ?

(3) क्या यह सच है कि वर्तमान में केवल कुछ ही व्यक्तियों को अहाते के अन्दर दुकान लगाने का ठेका दिया गया है ?

(4) क्या पथ परिवहन निगम इन थड़ी वालों को अहाते के अन्दर स्थान देने का विचार रखता है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी (यातायात मंत्री की ओर से) : अध्यक्ष महोदय, यह डिटेल्ड प्रश्न है। उत्तर आया नहीं है इसलिए इसको पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिगोड़ियां आज तक लग रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

नैक्स्ट। श्री भगवानदास शास्त्री।

संसद सदस्यों द्वारा जैसलमेर व बाड़मेर का दौरा

27. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवम्बर 1968 में 6 संसद सदस्यों द्वारा जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्रों का दौरा किया गया था ? यदि हां, तो सदस्यों की यात्रा रिपोर्ट अथवा घोषणा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अकाल सहायता मंत्री द्वारा समय समय पर बच्चों एवं जनता की खाद्य पदार्थ तथा पौष्टिक पदार्थ के अभाव में मृत्यु होने पर भी, मृत्यु के समाचार का खण्डन किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि संसद सदस्यों द्वारा यह घोषणा की गई है कि नवम्बर मास में 150 बच्चों की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो मंत्री महोदय के खन्डन को सत्य माना जावे या संसद के 6 सदस्यों की घोषणा को सत्यता प्रदान की जावे ?

(श्री भगवानदास शास्त्री)

(3) नवम्बर, दिसम्बर दोनों मासों में अकाल सहायता के कोष में राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता मंत्रीजी ।

श्री पृथ्वीसिंह : उसके बाद भी आप नहीं दे सकते हैं तो बाद में आप से क्या उम्मीद की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अकाल सहायता मंत्रीजी ।

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां ।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची नहीं मिली है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई व्यवस्था करनी है ।

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): व्यवस्था का सवाल नहीं है । सूची राज्य सरकार के पास नहीं है तो रखना आवश्यक नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आना कर्त्तव्य नहीं समझते हैं ।

श्री गंगाराम चौधरी : (1) जी हां, नवम्बर, 68 में 6 संसद सदस्यों द्वारा जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्रों का दौरा किया गया था । सदस्यों की भ्रमण रिपोर्ट अथवा घोषणा राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । अतः सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जी नहीं, संसद सदस्यों द्वारा नवम्बर माह में 150 बच्चों की मृत्यु होने की घोषणा के संबंध में राज्य सरकार को कोई अधिकृत जानकारी नहीं है । अकाल सहायता मंत्री महोदय द्वारा खाद्य पदार्थ एवं पौष्टिक पदार्थों के अभाव में मृत्यु होने के समाचारों का, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे, खण्डन सही किया गया ।

(3) अकाल सहायता के कोष में नवम्बर, दिसम्बर मास में राज्य सरकार को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है । अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि जो संसद सदस्यों की समिति आयी थी उसके अकाल सहायता मंत्री भी दौरे पर साथ थे ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां, कुछ दिन साथ थे ।

श्री भगवानदास शास्त्री : संसद सदस्य आये थे इन्क्वायरी के लिए वे राज्य सरकार के आदेश पर आये थे या अपने आप निरीक्षण के लिए आये थे ?

श्री परसराम मदेरणा : अपने आप ।

श्री भगवानदास शास्त्री : "हिन्दुस्तान" हिन्दी में एडीटोरियल छपा है उसके बारे में आपने उत्तर दिया है कि बच्चे नहीं मरे । क्या यह सही है कि वृद्धिचन्दजी जैन ने स्टेटमेंट दिया था कि पचास बच्चे मरे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : मैंने बच्चों के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया ; और जो भी है वह गलत स्टेटमेंट है

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी के संसद सदस्य श्री अमृत नाहटा ने ही इस प्रकार का वक्तव्य दिया था कि 150 इस प्रकार बच्चे मरे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : श्री अमृत नाहटा ने इस प्रकार का वक्तव्य प्रेस में दिया था और उसके बाद में राज्य सभा के सदस्यों को लेकर जैसलमेर-बाड़मेर के दौरे पर आये। दौरे की सूचना मुझे मिली तो पूरे दौरे में तो नहीं दो दिन तक उनमें मैं सम्मिलित रहा। वे दौरा करके जोधपुर आये और उन्होंने प्रेस कान्फ्रेन्स बुलायी। सर्किट हाउस में प्रेस कान्फ्रेंस बुलायी और यह बात कही कि घूम-घाम कर आये है और सारी व्यवस्था देख कर आये हैं। पत्रकारों ने पूछा कि उस वक्तव्य का क्या हुआ प्रेस में जो खबर छपी थी उसका मैंने खण्डन किया था संसद सदस्यों के सामने। मैं जहां तक साथ था, मैं बागासर केम्प की बात कह रहा हूं मेरे रुबरु भूख से मरने की बात हुई, तो श्री नाहटा ने कहा कि भूख से नहीं मरे हैं। दूसरे संसद सदस्य बैठे थे। वह दौरा करके आये है, ऐसी बात नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या अमृत नाहटा ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अपौष्टिक पदार्थों के अभाव में मरे और भूख से नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : मेरे साथ संसद सदस्य थे वे रिलीफ वर्क्स की बात करते रहे और राज्य सभा में भी वे सदस्य बोले और उन्होंने वहां कहा कि पूर्ण व्यवस्था रिलीफ के संबंध में की गई थी।

श्री भैरोंसिंह: आपने कहा कि मैंने इस बात का खण्डन किया था कि भूख से नहीं मरे जबकि अमृत नाहटा ने कहा था कि भूख से मरे। क्या यह बात सही है कि श्री अमृत नाहटा ने यह कहा था कि पौष्टिक पदार्थों के अभाव में बच्चों की मृत्यु हुई?

श्री परसराम मदेरणा: श्री अमृत नाहटा ने मेरे वक्तव्य का खण्डन नहीं किया। प्रेस ने पूछा कि उस वक्तव्य का क्या हुआ तो कहा कि भूख से मरने की बात नहीं कही, अपौष्टिक भोजन मिलने से मरने की बात कही। पूर्ण भोजन और पौष्टिक भोजन न मिलने की इस प्रकार की शिकायतें थीं। उनके साथ दो दिन के दौरे पर मैं था। बागासर की तरफ चला गया था वहां इस प्रकार की बात नहीं आयी। इस वक्तव्य में भी इसका खण्डन किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि 150 बच्चों के मरने का अमृत नाहटा ने जो वक्तव्य दिया था वह गलत था और इस गलती को आपके सामने भी स्वीकार किया?

श्री परसराम मदेरणा: वक्तव्य तो सौ बच्चों का दिया था और प्रेस में कार्नर किया था सर्किट हाउस में तो कह दिया कि 150 बच्चे थे। तो इस तरह से मैं इसको ओथोन्टिकेटेड नहीं मानता। अब जैसा स्वयं माननीय सदस्य भी मानते हैं कि भूख से कोई नहीं मरा है तो भूख से वहां नहीं मरा, यह सरकार भी मानती है। हो सकता है लगातार अकाल पड़ते रहने से कमजोरी आ गई हो। इसे आप भी स्वीकार करते हैं और राज्य सरकार भी स्वीकार करती है। बाकी भूख से मरा कोई नहीं यह तथ्य है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न दूसरा है। श्री अमृत नाहटा ने जो कुछ भी स्टेमेंट दिया कि ये बच्चे अपौष्टिक आहार से मरे हैं तो क्या यह गलत है और क्या इसे पत्रकार और मन्त्री के समक्ष स्वीकार किया है उन्होंने?

श्री अध्यक्ष : यही तो कहा गया है कि उनको ऐतराज नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : मैंनें उनसे सभी पत्रकारों के समक्ष यह पूछा था कि बच्चे मरने की उन्होंने कोई जांच तो की नहीं। मैंनें उनके स्टेटमेंट को रिफ्यूट किया। तो उन्होंने भूख से मरने की बात नहीं कह कर अपौष्टिक आहार की बात कह दी और सौ के बजाय 150 की संख्या बता दी। तो इससे यही जाहिर हुआ कि वह ओथन्टिकेटेड बात नहीं थी और यह बात वहीं खत्म हो गई ?

श्री भैरोंसिह : मेरा प्रश्न सीधासा है। क्या यह माना जावे कि जिस समय श्री अमृत नाहटा आपके साथ टूर करने गये और इसके बाद उन्होंने प्रेस वक्तव्य दिया उस समय तक आपको जानकारी नहीं थी कि सौ या 150 कोई भी फिगर मान लें अपौष्टिक खाद्य पदार्थों के कारण नहीं मरे हैं और उनका स्टेटमेन्ट गलत था ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रेस स्टेटमेंट तो मैंने भी पढ़ा था।

श्री भैरोंसिह : आप तो यह स्पष्ट हां या ना में उत्तर दें कि अमृत नाहटा का स्टेटमेन्ट गलत था या नहीं था ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा न कि ओथेन्टिकेटेड नहीं था।

श्री भैरोंसिह : यह यस और नो में कहें कि गलत था या सही था अमृत नाहटा का स्टेटमेन्ट ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य.....

श्री भैरोंसिह : वे भी मन्त्री हैं। उन्हीं को उत्तर देने दें। वे भी संसदीय प्रणाली को जानते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह कहना कि वे यस और नो में ही कहें यह लाजिमी नहीं है। वे इन्फोर्मेशन दे रहे है।

श्री भैरोंसिह : वही इन्फोर्मेशन ले रहा हूं कि श्री अमृत नाहटा ने जो स्टेटमेंट दिया था वह सही था या गलत था ?

श्री परसराम मदेरणा : जब तक वे 150 बच्चों की लिस्ट नहीं दे देते हैं मय वल्दियत और सकूनत के तब तक मैं जांच नहीं करवा सकता। जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि बच्चे मर गये और जब उनको पत्रकारों की मीटिंग में ही कोर्नर किया गया तो कह दिया अपौष्टिक आहार से मर गये और सौ नहीं 150 मर गये। फिर वृद्धिचन्दजी का नाम ले लिया।

श्री भैरोंसिह : क्या राज्य सरकार ने बच्चों के नाम और पेरेन्टेज नहीं मांगे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी: मांगे है। पत्र उनको दिया था कि वे उनकी डिटेल दें। पर वह डिटेल आज तक नहीं आई।

श्री भैरोंसिह : क्या यह डिटेल नही आने के कारण अकाल सहायता मंत्री ने प्रेस को कोई स्टेटमेन्ट दिया था कि नाहटा का स्टेटमेंट गलत है

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

श्री मदनसिह (दांता रामगढ़) : ऐसा सवाल आता है, बच्चों के मरने का सवाल आता है। अमृत नाहटा ने कहा था कि बच्चे मरे तो वी वान्ट टू नो देट कि कैसे वे बच्चे मरे।

श्री भगवानदास शास्त्री : मंत्री महोदय ने साफ कह दिया कि खाना नहीं मिला इसलिये मर गये। इसी को तो भूखों मरना कहते हैं। और किसको कहते है भूखों मरना ?

68 की बात है। संसद सदस्य आये थे। रिपोर्ट उन्होंने दी।

श्री परसराम मदेरणा । कौनसी रिपोर्ट आई ? मैंने तो उसी वक्त खण्डन किया था, सभी मेरे साथ थे। संसद् सदस्यों के पूरे टूर में कोई भी बच्चों के मरने की बात मेरे सामने नहीं आई।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार यह मानती है कि सन् 68 के अकाल में अपौष्टिक भोजन के कारण बीमारियाँ फैल गई और इसके कारण व्यक्ति मरे इसमें राज्य सरकार की क्या जानकारी है।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ लोग लगातार अकाल की वजह से कमजोर हुए। बीमारियां तो गांवों में क्या शहरों में भी फैली, फ्लू वगैरह आये और इससे शहरों में भी मौतें हुई। तो जहां लगातार अकाल रहा हो वहां बीमारी से रेसिस्टेंस पावर कम होती है यह राज्य सरकार भी मानती है। सभी मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अविवाहित व्यक्तियों के ऑपरेशन

28. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि अविवाहित व्यक्तियों के भी परिवार नियोजन के ऑपरेशन किये गये हैं ? यदि हां तो कितनों के ?

(2) इस प्रकार के आपरेशन करने के क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री परिवार नियोजन : (श्रीमती सुमित्रा देवी) (1) जी हां।

दो व्यक्तियों के।

(2) इस प्रकार के ओपरेशन होने का कारण यह है कि नसबन्दी करवाने वाले व्यक्ति क्षति पूर्ति धनराशि की प्राप्ति के लोभ में अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में गलत सूचना देते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या इस प्रकार की शिकायत भी आई है कि डॉक्टर लोग गलत तरीके से बहका कर ऑपरेशन कर देते हैं।

श्रीमती सुमित्रा : बहकाकर करने वाली बात तो हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वे शिक्षित नहीं हैं जिनका गलत आपरेशन हुआ, क्या सही है ?

श्रीमती सुमित्रा : शिक्षित अशिक्षित का तो नहीं कह सकती पर उनको ऑपरेशन से पहले एक फार्म भरना पड़ता है उसमें जो सूचना दी उसके आधार पर ही उनके ऑपरेशन हुए थे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : किस सूत्र से राज्य सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई।

श्रीमती सुमित्रा : वहां पर शिकायत की गई। इस पर जांच अधिकारी ने जांच की और इस पर पाया गया कि वे अविवाहित है। तो उनको फिर से रिकैनेलाइज कर दिया है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह एक गंभीर मामला है। क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि धन का लोभ देकर ऑपरेशन कराया जावे और इस लोभ देकर काम कराने की नीति का यह दुष्परिणाम है और इस तरह से यह नीति ठीक नहीं है क्या इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी धन का लोभ न देकर समझा बुझाकर किया जावे इसको क्या सरकार ठीक नहीं मानती

श्रीमती सुमित्रा : धन का लोभ तो व्यक्ति को स्वयं को है तो इसमें सरकार या दूसरा क्या करें। हम धन जो उसे देते हैं लोभ की वजह से नहीं देते, क्षतिपूर्ति के लिये देते हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह धन ऑपरेशन कराने वाले को ही नहीं दिया जाता, बल्कि करने वाले को धन का लोभ दिया गया है इसलिये वे लोग पैसे के लालच में अधिक से अधिक लोगों को पकड़ कर ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। कम्पाउण्डर और नर्स को भी पैसे का लालच दिया गया है। इसलिये ये सब लोग धन के लालच में ये सब काम कर डालते हैं। लोगों को पटक पटक कर वे ऑपरेशन कर रहे हैं! पैसे बटोरने के लिये लोगों की नस काट ली जाती है। यह कहां का परिवार नियोजन है

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह तो गलत है। पटक पटक कर आपरेशन करते हैं। यह उदयपुर में हो सकता है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या मेडिकल विभाग इसको स्वीकार करने को तैयार है कि जिन व्यक्तियों के ऐसे ऑपरेशन किये गये हैं उनको कई प्रकार की बीमारियां हो गई है जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है डॉक्टर लोग उनका निदान भी नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट। श्री शिक्षा मन्त्री।

एक माननीय सदस्य : किस डॉक्टर ने यह ऑपरेशन किया था?

गांधी हायर सैकण्डरी स्कूल, जोधपुर

29. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में रियासत के समय में जो दरबार मुस्लिम हाई स्कूल जोधपुर के नाम से चल रहा था उसका नाम बदल कर गांधी हायर सेकण्डरी स्कूल कर दिया यदि हां, तो कब से तथा इसकी क्या आवश्यकता महसूस की गई?

(2) क्या यह भी सच है कि नाम बदलने की कार्यवाही से यहां के मुस्लिम अल्प संख्यक समाज में नाराजगी उदासीनता व क्षोभ है।

(3) क्या सरकार अल्प संख्यक लोगों की भावना को ध्यान में रखकर अब इस स्कूल का नाम वही दरबार मुस्लिम हाई स्कूल जोधपुर रखने का विचार रखती है, यदि हां, तो यह कब तक कर दिया जावेगा यदि नहीं तो क्यों?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) जी हां, करीब 1946 के आस पास इसका नाम महात्मा गांधी हाई स्कूल किया गया। जोधपुर स्टेट के समय यह निर्णय लिया गया कि किसी सम्प्रदाय के नाम पर स्कूल नहीं होना चाहिये।

(2) इस स्कूल का नाम महात्मा गांधी शताब्दी मुस्लिम स्कूल रखने का प्रस्ताव मारवाड़ मुस्लिम शिक्षा समिति, जोधपुर द्वारा प्राप्त हुआ है।

(3) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): जोधपुर स्टेट ने कब निर्णय लिया ?

श्री धीरसिंह : 1946 में।

श्री जयनारायण सालोदिया : मारवाड़ मुस्लिम शिक्षा समिति ने कब प्रस्ताव किया ?

श्री धीरसिंह : 19 सितम्बर, 69 के पत्र में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हाडा।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न के भाग (3) में आपने कहा है कि विचार कर रही है सरकार, तो यह विचार कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री जी।

श्री धीरसिंह : जल्दी निपटा कर निर्णय ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री।

(विराम)

नेक्स्ट।

पंचायत पीपल्या में हानि

30. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डौली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरपंच श्री मिश्री लाल, ग्राम पंचायत पीपल्या, तहसील नेनवा द्वारा चार भैंसें नीलाम करी गई थी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उनमें से दो भैंसों की बोली अधिक होते हुये भी कम दामों में सरपंच द्वारा स्वयं के भाई एवं चपरासी के नाम नीलामी बतलाकर स्वयं ने रख ली थी ?

(3) इस सरपंच की अवैधानिक कार्यवाही के कारण पंचायत को कितना नुकसान उठाना पड़ा ?

(4) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई और वह भैंसें अब किस के पास हैं ?

उप-मंत्री, पंचायत : (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) मामला जिलाधीश के पास विचाराधीन है, निर्णय होने पर ही नुकसान की स्थति स्पष्ट हो सकेगी।

(4) जिलाधीश राजस्थान पंचायत अधिनियम, सन् 1953 की धारा 27 (1) (सी) के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं। दो भैंसें सरपंच के पास हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सिंघवी।

प्रश्न सं० 31

श्री प्रर्मसिह सिंघवी।

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसि शेखावत ।

Page No 13

मजदूरों के वेतन का भुगतान

32. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अकाल राहत कार्यों में लगे किस किस जिले के कितने कितने मजदूरों का कितना कितना वेतन कब कब से बकाया है और क्यों ?

(2) ऐसी बकाया के भुगतान के सम्बन्ध में किस किस जिले में कितने कितने मजदूरों के किस किस माह के कितनी कितनी मजदूरी के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और कब से ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सम्बन्धित सूचना उक्त सूची में अंकित है।

(कृपया परीशिष्ट 1 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार ने इसका पहले भी दो विधान सभा सत्र में इस प्रकार की घोषणा की थी कि अमुक अमुक तारीख तक मजदूरों का भुगतान कर दिया जायेगा ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : राज्य सरकार ने जो बकाया मजदूरों की थी उसकी लिस्ट के लिये अगस्त के एन्ड तक तैयार करने को कही थी। रिवाईज्ड लिस्ट में देरी हुई है क्योंकि कलेक्टर्स की कान्फ्रेन्स हो रही थी अगस्त के एन्ड में। 15 रोज की अवधि बढ़ा दी। तब तक के लिये कलेक्टर्स को लिस्ट इरिगेशन और पी० डबल्यू० डी० को देनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की थी कि 69 तक बकाया का पूरा पेमेंन्ट कर दिया जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : लिस्ट की घोषणा की थी। लिस्ट एक पर्टीक्यूलर डेट तक पहुंच जानी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : आपने पर्टीक्यूलर डेट कौनसी निर्धारित की थी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो अगस्त के एन्ड तक मुझे याद नहीं है। अगस्त के एन्ड तक या सितम्बर के एन्ड तक लिस्ट बनाकर कलक्टर्स को पेश करने की थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नवम्बर, 1969 तक पूरा पेमेन्ट कर दिया जायगा कहा था और इस बात का सदन में आश्वासन दिया था और राज्य सरकार के अकाल सहायता विभाग की एक विज्ञप्ति भी शाया की गई है।

श्री परसराम मदेरणा : हो सकता है, मुझे याद नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के सरक्यूलर निकालकर और इस प्रकार का आश्वासन दिया है तो नवम्बर के बाद बकाया क्यों रही इसका रेसपोन्सिबिल कौन है ?

श्री परसराम मदेरणा : रेसपान्सिबिल कौन है, मैं बता नहीं सकता। कई जगह चैक रिटर्न हो गये हैं, कई जगह एक्जीक्यूटिव ऐजेन्सी ने उनको पेमेन्ट नहीं किया। रेवेन्यू

(श्री परसराम मदेरणा)

ऐजेन्सी ने कई दफा ज्यादा प्रचार नहीं किया, लोग समय पर इकटठे नहीं हो सके, कुछ चैक रिटर्न हो गये। अलग अलग कारण हैं। कई जगह लोग नहीं मिले उनका पेमेन्ट रुक गया। यह सब तो जांच के बाद ही पता लग सकता है।

श्री भैरोंसिंह: क्या समय पर भुगतान न होने का कारण रेवेन्यू ऐजेन्सी पर है?

श्री परसराम मदेरणा: लिस्ट उनके पास पहुंच गई है। अगर लिस्ट कहीं नहीं पहुंची तो एक्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स की गलती है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय बर्निंग क्वेश्चन है। यह लिस्ट कब पहुंच गई थी और कब पहुंच जानी चाहिये थी?

श्री परसराम मदेरणा: महीने भर में।

श्री भैरोंसिंह: कब पहुंची?

श्री परसराम मदेरणा: यह सूचना आपने पूछी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: अकाल राहत सूची भेजने के समय निर्धारित किया था उस समय में भेजी थी।

श्री परसराम मदेरणा: यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: अब सरकार की क्या मंशा है कब तक भुगतान करा दिया जायगा?

श्री परसराम मदेरणा: मैं तो यह चाहता हूं जल्दी से जल्दी भुगतान हो इसलिये मैं इस सदन में आज फिर इस बात का माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भुगतान बाकी रहा है आज ही इस प्रकार के आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे। महीने भर में पेमेन्ट हो जाना चाहिये। महीने भर मैंने इसलिये बताया है कि मजदूर दूर दूर चले गये हैं, ढूंढने में समय लग सकता है। यही स्थिति रही तो पेमेन्ट बकाया रह जायगा बहुत पेमेन्ट हो चुका है कुछ लोग बाकी रह गये हैं। इसलिये एक महीने के भीतर भीतर इसका पेमेन्ट करा दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह: क्या आपकी रेवेन्यू ऐजेन्सी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसका पालन करेंगे?

श्री परसराम मदेरणा: हमेशा पालन करते हैं। कभी विरोध का प्रश्न ही नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या यह सही है कि इस प्रश्न के पूछे गये पहले के समय के मजदूरों के वेतन भी अभी तक बकाया हैं?

श्री परसराम मदेरणा: सूचना एकत्रित करके ही जवाब दे सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण: माननीय मंत्री महोदय, अनेक जगह से प्रस्ताव आये हैं चिट्ठीयां लिखी गई है काफी मजदूरों का वेतन बकाया है, सहकारी समितियों के पास बकाया पड़े हैं, कुओं के पैसे बकाया है। इसकी तरफ भी ध्यान दें। काफी अर्से से रकम बकाया है।

श्री अध्यक्ष: श्री विट्ठल प्रसाद। वित्त मंत्री जी।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या यह सही है कि मेड़ता तहसील में मजदूरों का पेमेंट काफी अर्से से बकाया पड़ा?

Page No 15

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

(श्री गोरधन सोनी के बोलते रहने पर)

अलग से प्रश्न। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। वित्त मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : खास बात है नाथूराम जी का वहां दबाव है।

व्यय में कटौती।

33. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य की वित्तीय विषम स्थिति को देखते हुये सरकार ने व्यय में कटौती के निर्णय लिये हैं?

(2) किस किस विभाग में कटौतियां एवं छंटनी की गई है तथा उससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुये हैं? प्रत्येक विभागीय कर्मचारियों की संख्या क्या है?

(3) उक्त कटौती निर्णयों से राज्य सरकार को कितनी बचत हो सकेगी?

राज्य मंत्री (श्री जय किशन) : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करने के लिये निवेदन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट।

परिवार नियोजन के बजट से वार्डों व ऑपरेशन थियेटरों का निर्माण

34. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन के बजट से प्रदेश के कई अस्पतालों में वार्ड व आपरेशन थियेटर बनवाये गये हैं? यदि हां, तो किस किस जगह बनवाये गये हैं सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या महात्मा गान्धी अस्पताल, जोधपुर में भी इसी बजट से कोई ऐसा कार्य किया गया है? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(3) क्या श्री उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में इस बजट से ऑपरेशन थियेटर बनवाना शुरू किया? अगर हां, तो किस तारीख से किया है?

(4) क्या अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ और कार्य बन्द है? यदि हां, तो कार्य बन्द रहने के क्या कारण हैं और इसके पूरा बनने की कब तक आशा है?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां, परिवार नियोजन के बजट से प्रदेश के जिन अस्पतालों में महिला नसबन्दी ऑपरेशनों के लिये अतिरिक्त शैयायें एवं ऑपरेशन थियेटर्स बनाये जाने की स्वीकृतियां दी गई हैं उनकी सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। कारण यह है कि इस प्रकार की शैयायें या ऑपरेशन थियेटर्स केवल महिलाओं की नसबन्दी के लिये जनाना अस्पतालों में ही स्वीकृत की गई हैं।

(3) जी हां, परिवार नियोजन के बजट से पोस्ट मार्टम योजना के अन्तर्गत उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में दिनांक 2-3-70 को 50 हजार रुपये की लागत से एक ऑपरेशन थियेटर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है

(श्रीमती सुमित्रा)

जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य अब प्रारम्भ किया जावेगा ।

(4) प्रश्न के भाग (3) में जो उत्तर दिया गया है उससे यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी : अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर में आपने वार्ड बनाये हैं, जोधपुर में आपने क्यों नहीं बनाये ।

श्रीमती सुमित्रा : शैयायें वहां इन्क्रीज हुई हैं। आपने सुना नहीं मैंने बहुत नम्र शब्दों में निवेदन किया है कि जनाना अस्पताल है उनमें बनाये हैं मेल हास्पिटल में नहीं बनाये गये हैं ।

श्री ओमदत्त भाटी : मैंने तो सुन लिया, आपने नहीं सुना, मैंने उम्मेद हास्पिटल की बात कही है, महात्मा गान्धी हास्पिटल की बात नहीं कही है । आपने चार जगह वार्ड बनाये हैं। उम्मेद हास्पिटल में वार्ड क्यों नहीं बनाया ?

श्रीमती सुमित्रा : वार्ड कहीं भी नहीं बनाये हैं। शैयायें इन्क्रीज की हैं। तीन जगह थियेटर बनाने की स्वीकृति हुई है । सब का निर्माण कार्य अब आगे चलेगा ।

श्री ओमदत्त भाटी : अजमेर, जयपुर, बीकानेर में वार्डों का निर्माण हुआ है आप मेरी सुनिये और फिर पढ़िये ।

एक माननीय सदस्य : समझकर फिर उत्तर दीजिये ।

(विराम)

श्रीमती सुमित्रा : वार्ड कहीं भी बने नहीं हैं, बैड्स की सेंक्शन इन्क्रीज हुई है कोई ऐडीशन आल्टरेशन हो गया हो यह अलग बात है, कोई नये वार्ड कहीं भी नहीं बने हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : यह लिखा है वार्ड बने हैं ।

श्रीमती सुमित्रा : ऐडीशन आल्टरेशन आदि के अन्दर हुआ होगा, नया निर्माण नहीं हुआ है

श्री ओम दत्त भाटी : स्वीकृति हुए कितने दिन हो गये । अभी तक कम्पलीट नहीं हुए ।

श्रीमती सुमित्रा : अभी इसकी 3-2-70 को स्वीकृति दी गई है । निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है । स्वीकृति अभी तो हुई है ।

श्री ओमदत्त भाटी : अध्यक्ष महोदय, उम्मेद हास्पिटल में 1½ साल से बनना शुरू हुआ है और अभी तक कम्पलीट नहीं हुआ है । यह गलत जवाब है ।

श्रीमती सुमित्रा : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहती हूं कि आपको गलतफहमी हो रही है कि वह उस उम्मेद हास्पिटल के अन्दर किसी और बजट से इसी प्रकार का थियेटर बनना प्रारम्भ हुआ था लेकिन चूंकि वह काम अधूरा रह गया और हमारे लिहाज से भी और महिलाओं की भी नसबन्दी के हिसाब से अच्छा काम हो रहा था इसलिये 50 हजार रुपया पोस्ट आपरेटिव थियेटर के लिए स्वीकृत किया गया जिससे कि अपूर्ण कार्य सम्पूर्ण कराया जा सके ।

श्री अध्यक्ष : श्री लाभचन्द ।

Page No 17

चूरू जिले में अकाल राहत कार्य

35. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में किस किस तहसील में अकाल राहत कार्यों में कितनी धनराशि गत वर्ष खर्च हुई ?

(2) चूरू जिले में गत वर्ष आरम्भ कराये गये तहसीलवाईज कुल कितने कार्य सम्पूर्ण हुए और कितने व कौन कौन से कार्य अधूरे रहे ?

(3) क्या सरकार ने इस वर्ष कोई अधूरा कार्य पुनः चालू किया है ? अगर हां, तो कौन कौनसा ?

(4) क्या यह सही है कि रतनगढ़ तहसील में गठित अकाल समिति की बैठक सिर्फ सन् 1969 में एक बार ही बुलाई गई ? अगर हां, तो इस निष्क्रियता का कौन जिम्मेदार है ?

उप-मंत्री, अकाल राहत (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) चूरू जिले में गत वर्ष 105 कार्य प्रारम्भ करवाये गये थे जिनमें तहसीलवाईज जितने कार्य पूरे हुए एवं जो कार्य अधूरे रहे उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(3) जी हां, जिन कार्यों को चालू किये जाने की स्वीकृति दे दी गई है वे इस प्रकार हैं :—

1. डूंगरगढ़-बीघासर
2. आडसर-पुनरासर
3. भोमासर-राजलदेसर
4. मानीपुरा-सोनासर
5. हरियासर-नोहर
6. सरदारशहर से सारसर वाया पपूलासर (सरदारशहर-चूरू सड़क का अधूरा भाग)
7. बिग्गा रेलवे स्टेशन से नेशनल हाईवे तक ।
8. लिखमीसर से कातर वाया राजेड़ ।
9. लिखमीसर से ईयारा वाया बागेऊ ।
10. भोमासर से राजलदेसर सड़क को पडिहारा तक बढाना ।
11. तालछापर से रतनगढ़ बस स्टेन्ड वाया आवसर
12. रतनगढ़ से देराजसर (रतनगढ़-करवारी सड़क का अपूर्ण काम)
13. रणधीर भाकरी पर पत्थर तोड़ने का काम ।

(4) जी हां, सन् 68 में तहसील अकाल सहायता सलाहकार समिति की बैठक एक बार ही बुलाई गई थी । सदस्यगण में यह तय हो गया था कि जब कोई भी एक सदस्य बैठक बुलवाना चाहेगा उसी समय बैठक करली जावेगी किन्तु किसी के द्वारा ऐसी इच्छा प्रकट नहीं किये जाने के कारण बैठक नहीं की गई अतः जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लाभचन्द वैद : चूरू जिले में सबसे ज्यादा अकाल का प्रकोप कौन सी तहसील में था ?

श्री गंगाराम चौधरी : सन् 1968-69 में सभी तहसीलों में समान ही था।

श्री लाभचन्द वैद : तो फिर क्या कारण है कि राजगढ़ तहसील में 1 करोड़ से ज्यादा धनराशि खर्च की गई जबकि और और तहसीलों में इतनी धनराशि खर्च नहीं की गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : कुछ काम ऐसे थे जो कि 3 वर्षों से लगातार अकाल में थे और जहां संवत् 2024 में अकाल नहीं था वहां पर कार्य कम करवाये गये और जहां 3 साल से लगातार अकाल था वहां ज्यादा काम कराये गये।

श्री लाभचन्द वैद : उस समय तक, सामान्य स्थिति सभी तहसीलों में थी तो एक जगह ज्यादा और दूसरी जगह काम कम करवाये जाने के क्या कारण थे ?

श्री गंगाराम चौधरी : सामान्य स्थिति से तात्पर्य था कि संवत् 2024 में अकाल नहीं था उन क्षेत्रों में कम कार्य कराये गये और जहां 2024, 2024 और 2025 में लगातार अकाल था वहां ज्यादा काम कराये गये।

श्री लाभचन्द वैद : क्या आपका यह ख्याल है कि किसानों में बहुत ज्यादा जमा पूंजी रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल केवल यहीं का नही है। आपने स्पेसिफिकली पूछा था कि कौनसी तहसील ज्यादा इफेक्टेड थी और आपने कहा कि सामान्य थी तो 1½ करोड़ रुपये के खर्चे का प्रश्न आया तो आपने कहा कि परिस्थिति दूसरी थी। यही नहीं जहां वाकय में जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला है और जहां कृपापात्र होते हैं, जहां असर ज्यादा होता है, जहां मंत्रियों का जोर ज्यादा होता है वहां ज्यादा खर्चा होता है...

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता।

श्री लाभचन्द वैद : इलियासर से नेशनल हाईवे प्राजेक्ट रोड थी उसको क्यों नहीं शुरू किया गया रतनगढ़ तहसील में ?

श्री मदनसिंह : वह आपकी कान्सटीटुएन्सी है।

मंत्री, अकाल राहत कार्य (श्री परसराम मदेरणा) : यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। अकाल राहत कार्य में राज्य सरकार द्वारा कोई एक हजार सड़कें प्रारम्भ की गयी थीं उनके नाम यहां नहीं बता सकता।

श्री लाभचन्द वैद : यह इसी में है। गत वर्ष इसको शुरू किया था और इस वर्ष उसको शुरू नहीं किया गया और मैंने पूछा है कि कौन कौन से अधूरे काम चालू किये गये हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर क्यों नहीं काम शुरू किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। अब कोई काम प्रारम्भ नहीं हुआ है तो मैं जिलाधीश से मालूम कर लूंगा आज वह यहीं पर हैं।

श्री लाभचन्द वैद : उन्होंने कहा कि इलियासर में अकाल नहीं है। मैंने कहा कि बीरमसर में अकाल है और वहां के व्यक्ति काम कम करेंगे ? मैंने कहा है फिर भी नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने स्वीकृति दे दी है।

श्री परसराम मदेरणा : जहां अकाल नहीं है वहां तो काम शुरू नहीं कर सकते।

श्री लाभचन्द वैद : एक मील की दूरी है और गांव बीच में पड़ता है तो उस गांव के आदमी कहां जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अकाल का गांव बीच में पड़ता है और एक मील की दूरी है ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आप बता दें कि कौन सा गांव है और क्या काम है वहां । बिना नक्शा देखे हुए कैसे बता सकता हूं । रेवेन्यू मैप में जितने गांव इफेक्टेड हैं वह रहते हैं और किसी गांव को सैंक्शन करने के पहले मैं देखता हूं । मैं इस बात को मानता हूं कि पुरानी सड़क जो अधूरी है वह बननी चाहिए जहां अकाल नहीं भी है और वहां गांव इफ़ेक्टेड है तो भी हम स्वीकृत कर देते हैं । मैं माननीय सदस्य से बात कर लूंगा और उसके बाद में डिसीजन ले लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : जिस सड़क को आगे बढ़ाने का है आप (श्री लाभचन्द) बात कर लें ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरपुर) : क्या यह सही है कि जिन जगहों पर अकाल सहायता प्रारम्भ किये गये हैं वहां भी अकाल पीड़ित जरूरतमन्द मजदूरों को काम पर नहीं लिये जाने की शिकायत है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो काम प्रारम्भ किये गये हैं वहां पर मजदूरों के बारे में एन्टीसीपेट करते हैं कि इतने आदमी आयेंगे, इलाका कितने सालों से इफेक्टेड हैं और उसमें कितने गांव इफेक्टेड हैं—इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए काम खोले जाते हैं । चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक सड़क पर काफी ज्यादा तादाद में लोग लग जाते हैं क्योंकि वहां सड़कें लम्बी हैं । उसके बावजूद भी आज जिलाधीश यहां हैं और इसके अलावा और भी कोई प्रस्ताव होंगे तो राहत कार्य शुरू करा दिये जायेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : सूरसर से लिखमीसर और लिखमीसर से कातर और सावतसर-सूरसर, सेवड़ा को मन्जूर नहीं किया है । बहुत बड़ी संख्या में मजदूर हैं और पिछले 4 साल से अभावग्रस्त एरिया है वहां काम शुरू नहीं हुआ है । आज सुबह ही मेरे पास सूरतगढ़ के प्रधान का ट्रंककाल आया है कि हजारों की तादाद में मजदूर बैठे हैं और उनको नहीं लगाया जा रहा है जो कि अकाल क्षेत्र के पीड़ित हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : लिखमीसर से कातर कर दिया....

श्री दौलतराम सारण : माननीय मंत्री जी सावतसर, बीकानेर हाई वे में सावतसर से सूरसर और सूरसर से सेरूना आती है, सेरूना से कातर सड़क जाती है उसमें आधे रास्ते से लिखमीसर से कातर मन्जूर की है । लिखमीसर से सेरूना मन्जूर नहीं की है जो कि पहले चालू थी ।

श्री परसराम मदेरणा : सेरूना से लिखमीसर की बात कर रहे हैं । लिखमीसर से कातर कर दिया है । इधर डूंगरगढ़ से सावतसर कर दिया है । यह लम्बी रोड है उसमें काफी अर्थ वर्क का काम चल रहा है । एक डिस्प्यूट था और जब वह डिस्प्यूट समाप्त हो जायेगा उसके बाद ही उसको चालू किया जायेगा । तीन-चार काम वहां पर शुरू कर दिये हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके । यह सड़कें हम नहीं चाहते कि इन्कम्प-लीट रहें ।

श्री दौलतराम सारण : आपके अधिकारी गलत दिशा से सड़क निकाल रहे हैं। राज्य का पैसा लगा हुआ है। उसको छोड़कर गलत रास्ते से निकाल रहे हैं। क्या इन्टरेस्ट है पता नहीं ? उस बारे में सैकड़ों प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे हैं, पूरे क्षेत्र की पंचायतों में और पंचायत समितियों ने प्रस्ताव भेजे हैं। इसलिए उन कामों को पूरा कराना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। बड़ी सीरियस स्थिति है। अकाल राहत कार्य स्वीकृत हैं और मजदूरों को नहीं लगा रहे हैं यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

ग्राम, प्रान्हेडा में रेगर कालोनी के लिये अनुदान

36. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा केकड़ी तहसील के ग्राम प्रान्हेडा में रेगर कोलोनी के लिये अनुदान दिया गया था ? अगर हां, तो कितना और किस किस व्यक्ति को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रेगर कोलोनी बन कर तैयार हो गयी है ?

(3) इस कोलोनी का निर्माण कार्य किसने करवाया ?

(4) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य कराने वाले पर जिलाधीश अजमेर ने आरोप लगाया था ? अगर हां, तो आरोप की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(5) जिलाधीश द्वारा लगाये गये आरोप की जांच किस अधिकारी ने की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट भेजने पर जिलाधीश अजमेर व सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री बी० एन० जोशी) : (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। 33 व्यक्तियों को प्रत्येक व्यक्ति को 750) रु० अनुदान दिया गया।

(2) जी नहीं, अपूर्ण है।

(3) इस कालोनी का निर्माण कार्य सहायता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा बनाई एक समिति ने किया जिसमें 8 सदस्य थे।

(4) जी हां। आरोप की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) कालोनी का निरीक्षण एवं आरोपों की जांच हेतु श्री चन्द्रसिंह मुरडिया तत्कालीन उप-जिला विकास अधिकारी, अजमेर, ग्राम प्रान्हेड़ा ......

श्री देवीलाल बुरासिया : सुनाई नहीं दिया

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : 30-4-66 को गये और उन्होंने श्री सन्तोष कुमार जैन...

Page No 21

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, वह जो बोल रहे हैं वह सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : पूरा उत्तर तो सुनलें ।

......जो निर्माण कमेटी के सदस्य थे तथा वहां के सरपंच भी उनसे सारे दस्तावेज बताने को कहा जिन्होंने बिना किसी कारण बताये दस्तावेज बताने से इनकार कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : पूरा उत्तर सुन लें फिर सुनाई दे जायगा ।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : भाग (5) को पूरा पढ देता हूं ।

कालोनी का निरीक्षण एवं आरोपों की जांच हेतु श्री चद्रसिंह मुरडिया तत्कालीन उप-जिला विकास अधिकारी, अजमेर ग्राम प्रान्हेडा दिनांक 30-4-66 को गये और उन्होंने श्री सन्तोष कुमार जैन जो निर्माण कमेटी के सदस्य थे तथा वहां के सरपंच भी, से सारे दस्तावेज बताने को कहा जिन्होंने बिना किसी कारण बताये दस्तावेज बताने से इनकार कर दिया ।

(6) इस प्रकार की रिपोर्ट पर जिलाधीश ने यह मामला अधीक्षक, आरक्षी, अजमेर को सौंप दिया । जहां इसकी जांच चल रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बेणीलाल बुरासिया : यह मामला अधीक्षक, आरक्षी के पास कितने दिनों से चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : जांच चल रही है ।

श्री बेणीलाल बुरासिया : इसको चार साल हो गये ।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : पंचायत समिति से रेकार्ड तलब किया गया तो पंचायत समिति ने रेकार्ड भेजा नहीं इस वजह से उसमें थोड़ा विलम्ब लग रहा है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्यों नहीं भेजा ? क्या कारण है ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : पंचायत समिति जैसा कि आप सब जानते है, आटोनामस बोडी है उसको कम्पेल करने के पावर्स मेरे पास तो नहीं हैं ।

श्री राम किशन (बैर) : यह पंचायत समिति नशाबन्दी के काम में लगी हुई थी ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : इसको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे ।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला गम्भीर है । मैं पूछना चाहता हूं कि जांच कब पूरी हो जायगी ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : जांच को पूर्ण कराना पुलिस विभाग का कार्य है । हम इसको परस्यू करेंगे और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से इस तरह का प्रयास करेंगे कि पंचायत समिति से रेकार्ड जल्दी भिजवायें ।

श्री डूंगा राम राजोरिया (दौसा): कुछ कालोनीज का काम अधूरा पड़ा हुआ है और आपकी जांच को तीन साल हो गये और पता नहीं कितने दिन और

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

होंगे । कालोनी बाकी पड़ी हुई है उसके निर्माण के लिये विभाग का क्या जवाब है ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : इसके बारे में निर्णय जल्दी ही लिया जायगा । हम इन्तजार कर रहे है कि जांच रिपोर्ट आजाय इसके बाद फाइनल एक्शन लें ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसको चार साल तो हो गये है तो कालोनी में यह तो व्यवस्था हो कि वह ढक जाय तो व्यक्ति तो उसमें रहने लगें । इसमें आप क्या करेंगे ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : 750 रु० प्रति परिवार के हिसाब से 24,700 रु० दिये थे जिनमें से 6,700 रु० तो खर्च कर दिये और बाकी के 18 हजार रुपये एक व्यक्ति के पास है । वह रुपये रिकवर हो जाय तो निर्माण कार्य पूरा हो जायगा ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अधूरा काम पड़ा हुआ है । और 18 हजार रुपये उसके पास है जिनको आप चार साल में वसूल नहीं कर पाये हैं और आगे पता नहीं कितना समय लगेगा इसका हमें अहसास नहीं है इसलिये जिन व्यक्तियों को अनुदान दिया है उसकी कब पूर्ती करेंगे । वे पैसा देते ही नही लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति समझ कर उसको पैसा दिया है ।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : आप लोगों के प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में आने पर यह विभाग इतना कर सकेगा कि अभी तक 750 रु० प्रति परिवार के हिसाब से दिये गये है तो 250 रू० प्रति परिवार और सेन्क्शन कर देंगे और वह रकम प्राप्त होने पर दिलाने की कोशिश करेंगे ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : प्राप्त करने की तो पोजिशन में आप नहीं है, आप में सत्ता नहीं है । इससे अच्छा तो है कि आप अपने पास से ही उनको दे दें ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री गाड़िया ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, कम से कम यह प्रश्न तो बिल्कुल जायज है । क्या मंत्री महोदय इस स्थिति के अन्दर नहीं है कि इतना भी आश्वासन दें पायें कि साल भर में इस मामले को निबटा दिया जायगा ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : पुलिस में जा चुका है और एन्कवायरी हो रही है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है ?

श्री देवीलाल बुरासिया : एन्क्वायरी का सवाल नहीं है वह तो चार साल से चल रही है।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : पंचायत समिति रेकार्ड नहीं भेज रही है। इसका मेरे ख्याल में विभाग की ओर से कोई विलम्ब नहीं हो रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्न का उत्तर दुर्भाग्यपूर्ण है । आखिरकार आप सरकार हैं और सरकार को अधिकार है कि पंचायत समिति को आप मजबूर करके इस मामले को डिसपोज ऑफ करें। इस तरह का उत्तर आप देते हैं वह अशोभनीय है सरकार के लिए।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, अशोभनीय हो गया उसके बाद क्या रह गया।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : कि सरकार के विभाग के लिमिटेशन्स (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : श्री गाडिया, शिक्षा मंत्री।

एक माननीय सदस्य : श्री गाडिया, शिक्षा मंत्री नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: हो जायेंगे।

राजकीय सेकेण्डरी स्कूल, मोमासर के कर्मचारी की बकाया

37. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेकेण्डरी स्कूल, मोमासर, जिला चूरु में श्री हरिश्चन्द्र गुप्ता नामक व्यक्ति एल० डी० सी० के पद पर कार्य कर रहा है? यदि हां, तो यह व्यक्ति कितने समय से राजकीय नौकरी में है और इसने किस किस पद पर कार्य किया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को एक लम्बे समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है? यदि हां, तो इसको किस किस वर्ष में कितने कितने माह का वेतन किन कारणों से नहीं मिला?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी का प्रोमोशन सन् '65-66 में ड्यू था यह अभी तक नहीं मिला?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी का सन् 1961 का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी के इन्क्रीमेंट्स एवं तनख्वाह आदि भी रुकी हुई है? यदि हां, तो कितने समय से और किन कारणों से?

(6) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी का पे एरियर आदि जो कि करीब पच्चीस हजार से अधिक है वह अभी तक रुका हुआ है? यदि हां, तो वेतन का एरियर आदि का कितने समय से कितना कितना रुपया किस किस प्रकार से और किन कारणों से रुका हुआ है? विवरण की सूचि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी की पालिसी तथा सर्विस बुक भी गायब हो गई है?

(8) क्या उक्त कर्मचारी का नाम वरिष्ठता सूची में है? यदि हां, तो वह सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी हां। श्री हरिश्चन्द्र गुप्ता दिनांक 1-11-58 को माधो मिडिल स्कूल, सीकर में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। इनके स्वयं के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 28-11-58 से इनका पद कनिष्ठ लिपिक के पद पर बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय, सुजानगढ़ में पद परिवर्तित किया जाकर नियुक्ति की गई। इसी पद पर यह अब तक कार्य कर रहे हैं।

(2) जी हां। दिनांक 1-7-66 से 27-7-69 की अवधि में यानी 3 वर्ष 27 दिन में यह कर्मचारी केवल 24 दिन ही उपस्थित रहा। अतः इस अवधि का वेतन अवकाश स्वीकृति के अभाव में इन्हें नहीं मिला है।

Page No 24

(श्री धीरसिंह)

(3) सर्विस रेकार्ड खराब होने के कारण इन्हें पदोन्नति नहीं दी जा सकी।

(4) सन् 1961 के फिक्सेशन के आप्शन-पत्र कर्मचारी ने आज तक भर कर नहीं दिया।

(5) पैरा नं० 2 में इसका पूर्ण स्पष्टीकरण कर दिया गया है वेतन वृद्धि का प्रश्न कैसे तय हो जब कि चार वर्ष साढ़े पांच मास में केवल 4 मास 1 दिन ही उपस्थित रहे तथा शेष समय वे अनुपस्थित रहे उक्त अनुपस्थित काल तय होने पर ही वेतन वृद्धि तय हो जावेगी।

नियम से केवल 24 दिन का उपस्थिति काल का वेतन जो पैरा नं० 2 में दिखाया गया है, शेष देना निकलता है।

(6) केवल पैरा नं० 5 में वर्णित की गई रकम शेष निकलती है इसके अलावा वेतन का कोई भी एरियर पैरा नं० 2 व 5 में वर्णित ब्यौरा के अलावा बाकी नहीं है।

(7) उक्त कर्मचारी की पालिसी मौजूद है तथा सेवा पुस्तिका का पता लगाया जा रहा है या प्रार्थी को डुप्लीकेट सेवा पुस्तिक बना दी जावेगी।

(8) वरिष्ठता सूची में कर्मचारी का नाम सं० 25 पर अंकित है।

श्री देवीदत्त गाडिया : प्रश्न के भाग (2) में आपने यह कहा है कि यह कर्मचारी 3 वर्ष 27 दिन में सिर्फ 24 दिन ही उपस्थित रहा तो इतने दिन अनुपस्थित रहने का कारण क्या था? क्या यह सही है कि इस कर्मचारी को निलम्बित किया गया? यदि हां, तो किस समय पर किया गया और कब यह बहाल हुआ?

श्री धीरसिंह : इनके खिलाफ चोरी का मुकद्दमा चला था 3-4-60 को उसी रोज उनको निलम्बित किया गया। उसके बाद 31-3-61 को कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और उसके बाद में उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कौन सी तारीख को?

श्री धीरसिंह : वह भी मैं बता देता हूं। 1-12-60 को सेवा से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद में इन्होंने हाई कोर्ट में केस किया तो हाई कोर्ट ने 20-11-64 को फैसला दिया तो 22-1-65 को वापिस इनको नियुक्ति-पत्र दे दिया गया और 6-2-65 को इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली..

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं पूछना चाहता हूं उसका उत्तर दें। आपने यह कहा है कि वे सिर्फ 24 दिन ही उपस्थित रहे तो किन कारणों से? प्रश्न संख्या (2) में आपने कहा है कि 3 वर्ष 27 दिन में वे केवल 24 दिन ही उपस्थित रहे।

श्री धीरसिंह : 65 के बाद, हाई कोर्ट के आर्डर होने के बाद।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये इस तरह से इतने दिन अनुपस्थित रहे तो आपने चोरी का मुकद्दमा बताया, तो चोरी का मुकद्दमा क्या था? फिर ये बहाल हुए और बहाल होने के बाद डिप्टी डाइरेक्टर ने इन्सपेक्टर को आदेश दिया कि उक्त व्यक्ति को ड्यूटी पर ले लिया जाय और इसके वेतन का भुगतान कर दिया जाय तो उसको भुगतान नहीं होने के क्या कारण हैं?

(12 मध्यान्ह)

श्री धीरसिंह : उसको कोर्ट ने बरी कर दिया, चोरी के आरोप से। उसके बाद उसकी इन्क्वायरी अब्सेंट की चल रही थी। बहुत दिनों तक अब्सेंट रहने पर उस को टर्मिनेट कर दिया गया था। 6-2-65 से कोर्ट के फैसले के बाद उस पर डिसीप्लेनरी एक्शन चल रहा था। हाई कोर्ट फैसले के बाद यह एक्शन लिया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि उसको रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से ही लिया गया?

श्री धीरसिंह : हाई कोर्ट फैसले के बाद से वह अब्सेंट था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया है?

श्री धीरसिंह : जो जानकारी मेरे पास में थी, वह देदी है।

श्री भैरोंसिंह : क्यों यह सही है कि कोर्ट ने चोरी के मुकदमें से बरी किया है? उसको बिल्कुल झूठा माना है।

श्री धीरसिंह : तभी तो यह हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि कोर्ट ने बिल्कुल गलत माना है या नहीं?

श्री धीरसिंह : जो कोर्ट ने फैसला किया है, वह मौजूद है। चोरी का आरोप था।

श्री देवीदत्त गाडिया : चोरी का आरोप क्या था।

श्री धीरसिंह : हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन यह नहीं है।

श्री धीरसिंह : हाई कोर्ट ने जो लिखा है, उसके अलावा मुझे पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यही तो है, बिना पूछे आपको पता ही नहीं चलता है। प्रश्न यह है कि चोरी का मामला गलत पाया गया। उसके बाद में....

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : लगातार उसकी अब्सेंट रही। इसलिये उसको क्या एरियर दिया गया, यह आप आज तक की जानकारी चाहेंगे तो आज तक की सभी जानकारी आप को दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : जिस मुकदमें की आप बात करते हैं वह कोर्ट में झूठा साबित हुआ कोर्ट में वह सरासर गलत करार दिया गया। तो क्या उसका हक नहीं बनता है कि जिस तारीख से उसको सस्पेंड किया गया, उसी तारीख से उस को लिया जाए?

श्री शिवचरण माथुर : 6-2-62 को रिइन्स्टेट किया गया, तभी से वह लगातार अब्सेंट रहा है। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिये तो आज तक की सब दे दी जाएगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस अध्यापक ने गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेन्टेशन किया है कि बेईमानी से उसको सस्पेंड किया गया था। उसके वेतन का सारा एरियर्स उसको दे दिया जाए।

श्री शिवचरण माथुर : जो कार्यवाही उचित समझी गई है वह की गई है।

श्री देवीदत्त गाडिया : उसको नया चार्ज देकर कार्य कराना चाहिये था। आप उसकी सस्पेंशन पीरियड की तनख्वाह लगायें।

श्री धीरसिंह : 6-2-65 के बाद ड्यूटी पर से लगातार वह अब्सेंट रहा है। अब उसको सस्पेंड करेंगे और डिस्प्लिनरी एक्शन लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, पोइंट ऑफ आर्डर। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इर्रेस्पान्सिबिली बिहैव सर्वेन्टस के साथ नहीं करना चाहिये। आप उसे धमका रहे हैं कि डिस्प्लिनरी एक्शन लेंगे। अभी कहा है कि हम सस्पेंड करेंगे। क्या यह उचित है कि सरकार किसी अध्यापक के पीछे पड़ जाए। झूठा मुकदमा लगाए। हाई कोर्ट से बरी होने पर आप कह रहे हैं कि डिस्प्लिनरी एक्शन लेंगे। मैं फिर कहूंगा कि आप हाई कोर्ट से फिर मुंह की खाएंगे। यह शाहपुरा की जागीर नहीं है, यह राज्य सरकार का कानून है। कानून के अन्तर्गत चलेगा।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार का किसी के पीछे पड़ने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बात सुन लीजिए। आप कहते हैं कि उस पर एक्शन लेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : वह अनुपस्थित रहा है। इस आधार पर है राज्य सरकार का किसी टीचर का पीछा करने का सवाल नहीं आता है 6-2-65 से वह बिल्कुल अब्सेंट रहता आया है। इसका क्या कारण हो सकता है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं आप से निवेदन करूं। आप कर रहे हैं कि वह खुद लगातार अनुपस्थित है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कर्मचारी, जब उसको निलम्बित किया गया पहले तो डिप्टी डायरेक्टर ने दि० 21-8-62 को उसको नौकरी पर लेकर वेतन दिये जाने को कहा। 7-9-62 को गुप्ता जी ने यह लिख दिया डिप्टी डायरेक्टर के आदेशों का पालन नहीं किया, दुर्व्यवहार किया उस पर एक दूसरा आदेश दिया गया। उसको दुर्व्यवहार का कारण लगातार पुनः निलम्बित किया जाए। उसने राज्य सरकार को अपील की। वह हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में यह बरी हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, डिप्टी डायरेक्टर ने...

श्री अध्यक्ष : आसन नहीं माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्टीकरण के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाडिया : उसकी ड्यूटी दूसरे पद के कर्मचारी को...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य भाषण देने लगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : जब जब उसको बहाल किया गया..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाडिया : कहते हैं कर्मचारी ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री शिवचरण माथुर: हमारे पास जो रिकार्ड अवेलेबिल है, उससे मालूम पड़ा कि लगातार वह अब्सेंट रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: वेतन अब तक नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न गंभीर है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। तभी तो समाप्त हुआ।

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, लगातार उसको...

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गाड़िया लोहार सेवा संघ द्वारा संचालित छात्रावास

23. **श्री रामकुमार मन्धवाना** (चित्तौड़गढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गाड़िया-लोहार सेवा संघ द्वारा संचालित छात्रावास की पिछले 5-6 माह से ग्रान्ट-इन-एड बन्द कर रखी है? यदि हां, तो किन कारणों से?

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग ने इस संघ को भवन हेतु जो धन राशि दी थी उसका प्रमाणीकरण एवं उपयोगीकरण सर्टिफिकेट संघ द्वारा दे दिया गया था, तो फिर किस आधार पर इसकी एड बंद कर रखी है?

(3) क्या सरकार अब शीघ्र ही एड चालू करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। अनुदान की अन्तिम किश्त का चुकारा दिनांक 28-1-70 को कर दिया गया है।

(2) संस्था ने केवल उपयोगिता प्रमाण-पत्र ही दिनांक 27-1-1970 को दिया है। आडिटेड स्टेटमेंट देना शेष है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

छीपा बड़ौद रेन्ज में लकड़ी की टाल

31. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद रेन्ज (डिवीजन बारां) में अधिकृत रूप से जलाऊ लकड़ी की कोई टाल नहीं है? यदि हां, तो इस क्षेत्र में बलीता कहां से व कैसे सप्लाई होता है?

(2) क्या यह सही है कि यहां के कुछ व्यक्ति अपनी गाड़ियों से चोरी छिपे लकड़ियां जंगल से लाकर बेचते हैं जिसे विभाग भी रोकने में असफल रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। इस क्षेत्र के कृषकों को रायल्टी देकर सूखा बलीता वन से लाने की इजाजत दी जाती है। सिर बोझ से भी जलाऊ लकड़ी लाने दी जाती है।

(वन मंत्री)

(2) कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी गाड़ियों में चोरी छिपे जंगल से लकड़ियां लाकर बेचने की घटनाएं भी होती है। किन्तु यह सही नहीं है कि वन विभाग इन चोरियों को रोकने में असफल रहा है। वनों से चोरी छिपे लकड़ी लाने वालों का पता लगाकर उनके विरूद्ध राजस्थान वन नियम के अनुसार कार्यवाही की जाती है। अवैधानिक रूप से लकड़ी लाने वालों से लकड़ी का मूल्य और मुआवाजा वसूल किया जाता है।

मुआवजा नहीं देने पर उनके विरुद्ध अदालत में कार्यवाही की जाती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आबकारी कर की बकाया राशि

30. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कुल कितने शराब के ठेकेदार हैं और उनमें आबकारी कर की कितनी बकाया है।

(2) बीकानेर जिले में शराब के कुल कितने ठेकेदार हैं और किस किस के नाम कर की कितनी कितनी राशि बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में इस वर्ष 2,143 मदिरा के ठेकेदार हैं। वर्ष 1966-67 तक की विभागीय बकाया के दिनांक 30-9-69 को कुल 42,54,562.26 शेष थे इनमें से अधिकतर देशी शराब के ठेके के ही बकाया है।

(2) बीकानेर जिले में इस वर्ष मदिरा के कुल 23 ठेकेदार है। उपर प्रश्न (1) के उत्तर में उल्लेखित कुल बकाया में से बीकानेर जिले की बकाया रुपया 32,403-55 है जिसकी सूची संलग्न है।

कृपया परिशिष्ट 4 देखिये

केकड़ी अस्पताल में स्टेशनरी की सप्लाई

31. **देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय अस्पताल केकड़ी में स्टेशनरी कब से सप्लाई नहीं की गई है और क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में स्टेशनरी उपलब्ध न होने की वजह से सारा कार्य अस्तव्यस्त हो रहा है?

(3) क्या अस्पताल का कार्य सुचारु रूप से करने हेतु अस्पताल को स्टेशनरी वगैरह अति शीघ्र भिजवाने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) प्रेसों से स्टेशनरी का फार्मस विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वर्ष 1969-70 में प्रथम सप्लाई माह अगस्त, 69 व दिसम्बर, 69 में की गई।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मांग-पत्र प्राप्त होने पर।

श्रीमती केसरी देवी जनाना अस्पताल, लाडनूं

32. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या श्रीमती केसर देवी जनाना अस्पताल, लाडनू के सम्बन्ध में दानदाता के

Page No 29

(श्री हरजीराम बुरड़क)

साथ कोई एग्रीमेन्ट सरकार ने किया था। यदि हां, तो उक्त एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त एग्रीमेन्ट के अनुसार इस अस्पताल को सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। एग्रीमेन्ट की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा एग्रीमेन्ट के अनुसार चलाया जा रहा है। सेठी गणपतराय अस्पताल, एवं श्रीमती केसर देवी जनाना अस्पताल, लाडनूं दोनों एक ही दानदाता द्वारा बनवाकर राज्य सरकार को दान में देकर दोनों अस्पतालों को एक ही एकीकृत इकाई मानते हुए 50 शैयाओं पर राज्य सरकार द्वारा बजट स्वीकृत किया गया है जिसके अनुसार उसे सरकार चला रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

मंडावरी प्राथमिक चिकित्सालय केन्द्र का भवन

33. **श्री शम्भू राम** (लालसोट): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

लालसोट तहसील के मंडावरी प्राथमिक चिकित्सालय केन्द्र का भवन निर्माण क्यों नहीं करवाया जा रहा है?

उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्डावरी, तहसील लालसोट के भवन निर्माण का कार्य अब तक धनाभाव के कारण रुक रहा था। अब सन् 1970-71 की भवन निर्माण योजना में इस केन्द्र को सम्मिलित कर लिया गया है।

काश्तकारों को भूमि के बदले में भूमि

34. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया** (नोखा): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान केनाल के नीचे व आसपास के क्षेत्र में जिन काश्तकारों की खातेदारी की जमीन आई है क्या उन काश्तकारों को भूमि के बदले में भूमि दे दी है? यदि हां, तो गंगानगर व बीकानेर जिले के कुल कितने काश्तकारों को भूमि के बदले में भूमि दी गई?

उत्तर

जी हां। राजस्थान नहर के नीचे व आसपास के क्षेत्र में जिन खातेदार काश्तकारों की जमीन अवाप्त की गई है, उन काश्तकारों को उनकी अवाप्त सुदा भूमि के बदले भूमि भी दी गई है। अब तक गंगानगर जिले के 338 खातेदार किसानों को भूमि की एवज में भूमि दी जा चुकी है। बीकानेर जिले में किसी खातेदार किसान को भूमि के बदले भूमि नहीं दी गई है।

बाढ़ से नुकसान

35. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़): क्या बाढ़ एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में 69-70 के वर्ष में किस किस जिले में बाढ़ आई और उन जिलों में कितना कितना नुकसान हुआ है? क्या इसके एस्टीमेट बनाए गए हैं? यदि हां, तो उस आधार पर भारत सरकार से क्या सहायता प्राप्त की गई है? यदि हां, तो कितनी तथा राज्य के किस जिले में किस अनुपात से आवंटित की गई है? सूची सदन की मेजपर

(श्री रामकुमार नन्दवाणा)
रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य में 1969-70 में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ व चित्तौड़ जिलों में बाढ़ें आईं और उन जिलों में जितना नुकसान आंका गया वह इस प्रकार है:—

1. भरतपुर 1,56,27,000 रु०
2. अलवर 6,69,64,441 रु०
3. सवाई माधोपुर 1,24,37,850 रु०
4. झालावाड़ 2,18,22,375 रु०
5. कोटा 1,00,00,000 रु०
6. चित्तौड़गढ़ 68,82,332 रु०।

भारत सरकार से निम्न प्रकार सहायता प्राप्त हुई है:-

1. निशुल्क सहायता जिसमें खाद्यान्न 3.25 लाख एवं चारा का मुफ्त वितरण और पेय जल के कुओं की मरम्मत सम्मिलित है।
2. ग्रह निर्माण अनुदान 35 लाख रु०
3. कृषकों को पशु खाद्यान्न के लिए तकावी ऋण 5 लाख रु०

   भूमि सुधार और निजी सिंचाई-कुओं, तालाबों और भवनों की मरम्मत 10 लाख रु०
5. सिंचाई-तालाबों एवं पंचायत समितियों के तालाबों के रेस्टोरेशन 150 लाख रु०
6. सड़कों की मरम्मत 90 लाख रु०

कुल योग .. 293.25 लाख

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

स्कूटर देने का आधार

36. **श्री विट्ठलप्रसाद** (अकलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) स्कूटरों का जो माहवारी कोटा राज्य सरकार ने रिजर्व कराया हुआ है उसको राज्य सरकार किस अनुपात से ले रही है ?

(2) गत 3 वर्ष में राज्य सरकार ने उक्त रिजर्व कोटे से कितने कितने स्कूटर किस किस व्यक्ति को दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त कोटे में से कितने कितने स्कूटर किस किस दल के विधायकों को दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) किस किस विधायक की मांग कब कब से है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या उक्त स्कूटरों में से कुछ स्कूटर फेमिन रिलीफ अधिकारियों को भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन को, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(6) क्या यह सही है कि फेमिन कोटे में से स्कूटर ब्लैक में बिके हैं और राज्य सरकार इस तथ्य को जानते हुये भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है ?

Page No 31

(श्री विट्ठलप्रसाद)

(7) स्कूटरों के देने का आधार क्या है ? क्या मंत्री की इच्छा, अनिच्छा अथवा कोई नैतिक न्यायोचित आधार पर इसका वितरण किया जाता है ?

उत्तर

(1) स्कूटरों का कोटा माहवारी नहीं आता है। सितम्बर, 1967 से हर तिमाही में 20 वेस्पा और 20 लम्ब्रेटा स्कूटर प्राप्त होते हैं। उससे पहले 10 वेस्पा और 10 लम्ब्रेटा आते थे।

(2) सूची सं० 1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची सं. 2 सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जिन विधायकों को आंवटन नहीं हुआ है उनकी सूची सं० 3 मय दिनांक दरख्वास्त के सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) फैमिन रिलीफ सम्बन्धी सेवा का कोई पृथक से नवीकरण नहीं है। फैमीन रिलिफ सम्बन्धी कार्य विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी करते है एवं अन्य विभागों के कर्मचारी व अधिकारी भी फैमिन रिलिफ सम्बन्धी ड्यूटी अन्जाम देते हैं। जिन 2 कर्मचारियों, अधिकारियों को स्कूटर दिये गये है उनके नाम सूची सं० 1 में अंकित हैं।

(5) फैमिन के नाम कोई कोटा प्राप्त नहीं होता और न ही ब्लेक में स्कूटर बिकने सबन्धी सूचना प्राप्त होना पाया जाता है। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

स्कूटरों का आंवटन एक समिति द्वारा किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

सरदारशहर-सीकर रूट पर चलने वाली बस

37. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि गाड़ी नम्बर पी० एन० डब्लू० 3487 श्री सुलतान खां के नाम से थी जिसे नम्बर बदल कर नम्बर आर० जे० वी० 1167 से जिला सीकर में पंजीकृत कर दिया गया ? यदि हां, तो कब किस के प्रार्थना-पत्र पर और पंजीकृत करते समय उक्त गाड़ी पर कितना टैक्स बकाया था ?

(2) क्या उक्त गाड़ी सरदारशहर-सीकर रूट पर बस सर्विस में चल रही थी ? यदि हां तो परमीट किसके नाम से था अब किसके नाम से है ? यदि परमिट में नाम बदला गया तो कब और कैसे तथा इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(3) क्या इस गाड़ी के मालिक सुलतान खां ने गाड़ी नम्बर बदलने तथा परमिट बदलने का विरोध किया था ? यदि हां, तो बिना पब्लिक की मर्जी के यह कार्यवाही कैसे की गई ?

(4) इस सम्बन्ध में श्री सुलतान खां द्वारा की गई शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सत्य है श्री इब्राहिम और ब्रजमोहन नामक दो व्यक्तियों ने दिनांक

Page No 32

(यातायात मंत्री)

10-10-68 को सुलतान खां की आटरनी के आधार पर प्रार्थना-पत्र पेश किया था जिसके आधार पर जिला सीकर में उक्त गाड़ी आर० जे० वी० 1167 पर पंजीकृत की गई थी। पंजीकृत करते समय इस गाड़ी पर रोड टैक्स का 1,300 एवं यात्री कर का 8,551·67 पैसे बाकी था। लेकिन अब नहीं है ।

(2) जी हां, यह गाड़ी सरदारशहर-सीकर रुट पर चल रही थी और परमिट श्री सुलतान खां के नाम पर था लेकिन बाद को बस परमिट का हस्तांतरण जून, 69 में सर्वश्री इब्राहीम ब्रजमोहन के नाम कर दिया गया था यह हस्तांतरण सर्वश्री सुलतान खां ब्रजमोहन ओर इब्राहिम खां के एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-5-69 पर राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा स्वीकृत किया गया था।

(3) जी हां, श्री सुलतान खां ने दिनांक 13-11-68 के पत्र तथा 15-1-69 के टेलीग्राम से नम्बर बदलने का विरोध किया था परन्तु इससे पूर्व दिनांक 14-10-68 को इसका पंजीकरण होकर नम्बर बदला जा चुका था । परमिट बदलने के बारे में भी श्री सुलतान खां ने विरोध प्रकट किया था उनका आपत्ति-पत्र दिनांक 12-11-69 को ाप्त हुआ ।

(4) दिनांक 22-1-70 को श्री ब्रजमोहन, इब्राहिम खां को नोटिस इस संबंध में जारी कर दिया है । जिस पर दिनांक 17-3-70 को राज्य परिवहन प्राधिकरण की मीटिंग में विचार किया जायेगा ।

सामान की खरीद के लिये आमंत्रित टेन्डर

38. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि स्कूलों आदि के लिये सामान खरीदने हेतु प्रति वर्ष जिला शिक्षणालयों द्वारा टेन्डर आमन्त्रित करके सामान खरीदने के लिये साल भर की रेटें एप्रूव की जाती हैं ? यदि हां, तो जिला नागौर के शिक्षणालय द्वारा उक्त टेन्डर कब मांगे गये, टेन्डर प्राप्त करने की आखरी तारीख क्या थी तथा टेन्डर कब खोले गये और किस किस फर्म की, किस किस सामान की क्या क्या रेटें कब स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) प्राप्त हुई टेन्डरों की रेटों के स्टेटमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) पिछले वर्ष की स्वीकृत रेटें किस तारीख को समाप्त हुई थीं ?

(4) निर्धारित समय अनुसार यह कार्य कब पूर्ण होना चाहिये था और कब किया गया ? यह कार्य समय पर नहीं करने के कारण क्या हैं और सरकार ने इसके संबंध में क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां । टेन्डर आमन्त्रित कर दरें अनुमोदित की जाती हैं । इस कार्यालय द्वारा इस वर्ष टेन्डर नोटिस दिनांक 13-5-69 को राजकीय मुद्रणालय व जन सम्पर्क कार्यालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजा गया था । टेन्डर प्राप्त होने की अन्तिम

(शिक्षा मंत्री)

तारीख दिनांक 25-8-69 थी और प्राप्त निविदाओं को दिनांक 19-11-69 को खोला गया। स्वीकृत सामान की सुची सलग्न है।

(2) प्राप्त टेन्डरों की रेटों का स्टेटमेन्ट संलग्न है।

(3) पिछले वर्ष की स्वीकृत दरें दिनांक 30-9-69 को समाप्त हुई थीं।

(4) पूर्व प्रकाशित दरों के समाप्त होने के शीघ्र बाद में नई दरें प्रकाशित करदी जानी चाहिए। स्वीकृत दरें 9-1-70 को प्रकाशित की गईं। यह कार्य एक क्रय समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिसमें स्थानीय कोषाधिकारी भी एक सदस्य होते हैं। इस वर्ष पूर्व कोषाधिकारी जी को उपस्थित होने के लिए कार्यालय शिक्षणालय नागौर से समय समय पर यद्यपि लिखा गया था, मगर कोषाधिकारी जी के दौरे पर रहने व बाद में स्थानान्तरण होजाने के कारण व कुछ अन्य प्रशासनिक कारणों के कारण स्वीकृत दरें 9-1-70 को प्रकाशित की गईं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

महाविद्यालय खोलने का आधार

39. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 67-68 से लेकर अब तक राजस्थान के किस किस जिले के किस किस ग्राम में महाविद्यालय किस किस आधार पर खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा मंत्री ने लिखित में यह आश्वासन दिया था कि भवन निर्माण होते ही अजमेर जिले के केकड़ी नगर में महाविद्यालय खोल दिय जावेगा? यदि हां, तो क्या उक्त आश्वासन की दृष्टि में सरकार आगामी सत्र सन् 70-71 में महाविद्यालय चालू करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि महाविद्यालय का भवन अधिकांश रूप से निर्माण कर लिया गया है?

(4) सत्र सन् 1970-71 में और कहां कहां महाविद्यालय खोलने का विचार है?

उत्तर

(1) सत्र 67-68 में निम्नलिखित महाविद्यालय राज्य सरकार के आदेशानुसार खोले गये :—

1. ज्ञानीराम हरखचन्द सरावगी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कॉमर्स, सुजानगढ।
2. मोतीलाल बेगानी कॉलेज ऑफ साईन्स, लाडनूं।
3. आर० एन० रूइया कॉलेज, रामगढ (शेखावाटी) (यह महाविद्यालय पहिले प्राइवेट मैनेजमेन्ट द्वारा चलाया जाता था। परन्तु बाद में यह बन्द कर दिया गया। सत्र 67-68 में इसे राज्य सरकार ने अपने अधिकार में लेकर पुन: चालू कर दिया। सत्र 68-69 में केवल एक महाविद्यालय राज्य

(शिक्षा मंत्री)

सरकार द्वारा नागौर में चालू किया गया जो कला व वाणिज्य संकाय में हैं।

(2) यह सही है। सत्र 70-71 में महाविद्यालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(3) भवन पूर्णरूपेण तैयार नहीं हुआ है।

(4) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बीकानेर जिले की प्राथमिक पाठशालाएं

40. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले में शिक्षा विभाग द्वारा कितनी प्राथमिक पाठशालाएं किस किस गांव में चलाई जा रही हैं? पाठशाला-वाइज-मास्टरों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जिला शिक्षणालय बीकानेर के अधीन कुल प्राथमिक शालाएं 216 चलाई जा रही हैं। शालाओं के नाम व अध्यापकों के नाम संलग्न सूची में विद्यालय के सामने अंकित कर दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

विद्या विनोदिनी परीक्षा को मान्यता

41. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्या विनोदिनी पास जिन महिलाओं ने 1964 से 1966 तक एस० टी० सी० की थी उनका परिणाम घोषित नहीं हुआ? यदि हां, तो किन कारणों से रोका गया है?

(2) क्या यह सही है कि विद्या विनोदिनी को मैट्रिक के समकक्ष माना जाता है? यदि हां, तो एस० टी० सी० की उक्त परीक्षा के परिणामों की घोषणा क्यों नहीं की जाती? अगर नहीं, तो किस विषय में परीक्षा देने पर मान्यता दी जावेगी?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) विद्या विनोदिनी को मैट्रिक के समकक्ष नहीं माना जाता। सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही मान्यता दी जा सकेगी।

सांचोर तहसील में गेहूं का वितरण

42. **श्री देवीदत्त पाड़िया** (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालोर के सांचोर तहसीलदार ने सस्ते अनाज की दुकान पर (1968-69) नवम्बर, दिसम्बर, 1968 तथा जनवरी व फरवरी, 1969 में किस किस व्यापारी को गेहूं का कितना कितना परमिट दिया? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उस गेहूं के वितरण के लिये क्या आधार बना रखा है?

(2) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील में समानता से गेहूं का वितरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

Page No 35

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। क्षेत्र की जन संख्या को ध्यान में रखते हुए 14 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह उक्त गेहूं के वितरण का आधार निश्चित था।

(2) उपलब्धी एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर मात्रा में कुछ अन्तर रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

परिचय-पत्र की कीमत

43. **श्री लाभचन्द बैद** (सुजानगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकारी कोटे का अनाज प्राप्त करने के लिये कस्बों में विभाग से परिचय-पत्र प्राप्त करना आवश्यक रखा गया है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत?

(2) क्या यह सही है कि इस परिचय-पत्र की कीमत विभाग द्वारा निश्चित की हुई है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि सुजानगढ़ नगरपालिका ने परिचय-पत्र छपवा कर लोगों में मुफ्त वितरण की व्यवस्था की थी? इस पर भी तहसील कार्यालय, सुजानगढ़ द्वारा पच्चीस पैसे प्रति परिचय-पत्र की कीमत के रूप में प्रति परिवार से वसूल किये गये हैं?

उत्तर

(1) सरकारी कोटे के अनाज के वितरण के लिये कस्बों में कोई अलग से परिचय-पत्र जारी नहीं किये गये हैं। खाद्यान्न की मात्रा राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित है अतः यह मात्रा कस्बों में प्रचलित चीनी आदि वस्तुओं के परिचय-पत्रों पर ही दी जाती है। इस संबंध में कोई अलग से नियम नहीं है।

(2) जी हां। परिचय-पत्र की कीमत निम्न प्रकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है :—

(i) राशनकार्ड भर जाने पर भविष्य में नया बनाने के लिये 25 पैसे।

(ii) असल राशनकार्ड फट जाने या खो जाने पर 50 पैसे।

(iii) जी हां।

सोजत रोड, जिला पाली की ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा निकाला गया बुलेटिन

44. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि सोजत रोड (जिला पाली) की ग्राम पंचायत के सदस्य श्री जमालुद्दीन ने कोई "बुलेटिन प्रथम" के नाम से (शीर्षक सोजत रोड पर दिन दहाड़े डकैती एवं उप-शीर्षक पंचायत के ताले तोड़कर सामान ट्रकों में भर कर लेजाया गया) कोई हैण्ड-बिल तारीख 2-2-69 को निकाला है?

(2) यदि हां, तो तब से लगा कर अब तक सरकार ने इसके संबंध में क्या क्या कार्यवाही की? अब इस मामले की क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस मामले की जांच करवाई गई और उक्त बुलेटिन में अंकित तथ्य सत्य नहीं पाये गये ।

ग्राम पंचायत, लालगढ़ द्वारा दी गई भूमि के पट्टे

45. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत लालगढ़, जिला चूरू, तहसील सुजानगढ़ का गठन जिस तारीख से किया गया है, तब से अब तक मौजूदा सरपंच व पंचों ने अपने कार्यकाल में आबादी में भूमि के पट्टे किन किन व्यक्तियों को दिये ? उनके नाम, जाति पिता का नाम, उम्र तथा निवास-स्थान की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि का भी नाजायज ढंग से जनता द्वारा विरोध करने पर भी कब्जा दिया गया ? यदि हां, तो इस प्रकार व्यक्तियों को पट्टे दिये गये उनके पट्टों की एक एक सही नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि इस गलत कार्यवाही के खिलाफ पंचायत समिति, सुजानगढ़ में अपील की गई ? यदि हां, तो इस अपील पर पंचायत समिति द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । पंचायत ने केवल एक व्यक्ति को ही पट्टा दिया जिसकी सही नकल सदन की मेज पर रख दी है ।

(3) जी हां । इस अपील पर पंचायत समिति ने पंचायत द्वारा विक्रय की गई भूमि का पट्टा अवैध घोषित करने का निर्णय लिया व सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि के पट्टे भविष्य में जारी नहीं करने का भी पंचायत लालगढ़ को निर्देश दिया ।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ग्राम पंचायत बनेठा के सरपंच के विरुद्ध जांच

46. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1965-66 के आडिट रिपोर्ट में ग्राम पंचायत बनेठा पंचायत समिति उनियारा के सरपंच, श्री शोभागमल पर कई अनियमिततायें व पंचायत धन का दुरुपयोग के आरोप अंकित किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि इसकी जांच जिलाधीश टोंक से कराई जा रही है और रिपोर्ट आने पर धारा 17(4) की कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ?

(3) क्या जिलाधीश टोंक द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब क्या कार्यवाही की जा रही है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(3) जिलाधीश द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई किन्तु अपूर्ण होने से कुछ तथ्यों पर पुनः रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जिला बून्दी में राहत कार्य

47. **श्री केशरी सिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बून्दी में किन किन विभागों द्वारा राहत कार्य कहां कहां कराये जा रहे हैं ?

(2) हर एक राहत कार्य के कैम्प पर कितने अकाल पीडित कार्य कर रहे हैं ? कितने बच्चे और औरतें, बालिग काम कर रहे हैं ?

(3) कैम्पों पर कहां कहां पर सिरकी व चद्दर की व्यवस्था की गई और उस पर क्या व्यय किया गया है ?

(4) चिकित्सा की व्यवस्था किस किस कैम्प पर की गई और उस पर क्या व्यय किया गया है ?

(5) किस किस राहत कार्य कैम्प पर 60 वर्ष की आयु वाले वृद्धों को राहत शुल्क दिया गया है ?

उत्तर

(1) जिला बून्दी में सं० 2026 के अभाव वर्ष में किसी विभाग द्वारा कोई राहत कार्य कहीं नहीं कराये जा रहे हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में राहत कार्य

48. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में सिंचाई विभाग के द्वारा कहां कहां पर अकाल राहत कार्य चलाये गए ? मय रकम के व तालाब के नाम के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा जहां पर अकाल राहत कार्य चलाए गए वहां पर पानी की व्यवस्था के लिए कुल कितना पैसा स्वीकृत किया गया ?

(3) उक्त रकम किन किन व्यक्तियों को ग्रामवार दी गई ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों पर पानी की व्यवस्था के लिए अलग से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। सहायता कार्यों के लिये स्वीकृत राशि

(अकाल सहायता मंत्री)

में से ही पानी की व्यवस्था के लिये प्रावधान का उपयोग किया गया है। जिस पर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हुई वहां मस्टर रोल पर कुछ व्यक्तियों को इस काम के लिये लगाया गया है और इसका अलग ब्यौरा नहीं रखा गया। जहां पानी दूर से लाना था वहां पानी की गाडियां भी मस्टर रोल पर ही रखी गई थीं। जिनके लिये भी 'सहायता' कार्यों के मद से ही भुगतान किया गया है।

जहां बैलगाडियों द्वारा दूर से पानी मंगवाया गया व जिन गाडीवालों को भुगतान किया गया, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

49. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अब तक किन किन सड़कों का कार्य सरकार ने हाथ में लिया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सड़कों पर कितनी मील मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य हुआ ? प्रत्येक सड़क का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त सड़कों के निर्माण पर क्या खर्चा हुआ ?

(4) उक्त सड़कों में से किन किन सड़कों पर मजदूरों की मजदूरी में कब कब कितनी कितनी कटौती की गई और वह किस आधार पर की गई ? विस्तृत सूचना देने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

अकाल राहत कार्यों पर व्यय

50. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाड़नूं) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान निर्माण के बाद अब तक अकाल सहायता पर प्रति वर्ष किस किस मद में कितने कितने रुपये खर्च हुए जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार के कितने 2 थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किस किस वर्ष में कितने कितने रुपये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांगे और कितने 2 प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस वर्ष राज्य सरकार ने अकाल सहायता के लिये कब कब कितने कितने रुपये केन्द्रीय सरकार से मांगे और कितने 2 रुपये कब कब प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इस वर्ष कुल कितना खर्चा अकाल सहायता पर होगा जिसमें केन्द्रीय सरकार से कितने प्राप्त होंगे ?

उत्तर

(1) सन् 1953-54 से अब तक सहायता व्यवस्था पर अब तक जो राशि व्यय हुई है, और उस पर जो केन्द्रीय सहायता

(अकाल सहायता मंत्री)

प्राप्त हुई है, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय अनुदान एक निश्चित फार्मूला पर मिलता है। अतः मांगे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) वर्ष 68-69 में भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई मांग नहीं की। निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही 1951.56 (छत्तीस लाख) रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है।

(4) वर्ष 69-70 में जनवरी के अन्त तक 5,170·00 लाख रु० व्यय हुए हैं। केन्द्रीय सरकार से अब तक 2,850 लाख रु० ऋण व अनुदान में प्राप्त हुए हैं। जिसका विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

जिला चित्तौड़ में राहत कार्य

51. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले वर्ष 1968-69 में अकाल सहायता द्वारा चित्तौड़ जिले में कितने कार्य चालू किए गए थे? उसमें से कितने कार्य किस किस प्रकार के सम्पूर्ण हो गये थे कितने बाकी रहे और जो काम बाकी रहे वे किस प्रकार के थे?

(2) जो कार्य बाकी रहे हैं उनकी लागत का क्या एस्टीमेट है? यदि वे पूरे हो जाते हैं तो कुल क्या लागत इन कार्यों की हो जाती है?

उत्तर :—

(1) वर्ष 1968-69 में अकाल सहायता द्वारा चित्तौड़ जिले में कुल 377 कार्य किये गये थे, उनमें से जितने कार्य जिस जिस प्रकार के सम्पूर्ण हो गये थे, और बाकी रहे, उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

अभिकरण	कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या
1. सिंचाई विभाग	200	125	75
2. निर्माण विभाग	73	55	68
3. भू-संरक्षण	55	55	—
4. वन विभाग	38	25	13
5. राजस्व विभाग	11	8	3
योग	377	218	159

(2) जो कार्य बाकी रहे, उन सब कार्यों की लागत एवं एस्टीमेट 1,46,43,800 रु० है। यदि वे कार्य पूरे हो जाते तो इनकी अनुमानित लागत 1,90,46,087) रु० हो जाते हैं।

अकालग्रस्त क्षेत्र की गायों की व्यवस्था

52. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सवाई माधोपुर एवं खण्डार में किस किस अकालग्रस्त क्षेत्र से कितनी कितनी गायें कब कब आई?

(श्री चुनीलाल जेलिया)

(2) इन गायों की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है तथा उस पर कितना व्यय हुआ ? क्या इस बाबत कोई कमेटी व्यवस्था करती थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गायों की व्यवस्था भली प्रकार नहीं हो रही है और उसमें भारी घोटालेबाजी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

(स्थगित किया गया)

रेन्ज लाडपुरा मंडाना में घास की कटाई

53. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रेन्ज लाडपुरा मंडाना से कितना टन घास अकाल क्षेत्र के लिये कटाया गया है ?

(2) इस घास की कटाई में कितना व्यय हो चुका ?

उत्तर

(1) गत वर्ष 1968-69 में लाडपुरा रेन्ज में 480.164 मैट्रिक टन तथा मन्डाना रेन्ज में 207.221 मैट्रिक टन घास कटवाया गया था । 1969-70 में कटाई प्रगति पर है। 28-2-70 तक लाडपुरा रेन्ज से 572.4 मैट्रिक टन तथा मन्डाना रेन्ज से 404.3 मैट्रिक टन घास एकत्रित हो चुका है।

(2) 1968-69 में घास कटाई पर लाडपुरा में 30,888) रु० तथा मन्डाना में 17,058) रु० व्यय हुए । 1969-70 में 15-1-70 तक घास कटाई का व्यय लाडपुरा में 40,385) रु० तथा मन्डाना में 21,225) रु० बुक हो चुका है ।

वन विभाग के डिवीजन

54. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वन विभाग के कितने डिवीजन हैं और प्रत्येक डिवीजन में आई० एफ०एस० केटेगरी के कितने डी०एफ०ओ० व ए०सी०एफ० लगे हुए हैं ?

(2) लगातार 3 वर्ष से कौन से डिवीजन में कौन कौन डी०एफ०ओ० लगे हुए हैं तथा इनमें कहां कहां कब कब से कितने डी० एफ०ओ० नॉन आई० एफ० एस० हैं जिन्हें डिवीजन का चार्ज दिया गया है ? पूरी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) टेरीटोरियल डिवीजन 15 हैं । 10 में भारतीय वन सेवा के उप-वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पद स्थापित हैं इनमें केवल एक में एक सहायक वन संरक्षक स्तर का अधिकारी भी है ।

(2) केवल जयपुर वन डिवीजन में श्री अरविन्द बिहारी माथुर तीन वर्ष से अधिक समय से हैं । 5 नॉन आई०एफ०एस० अधिकारी फोरेस्ट डिवीजनों के चार्ज में हैं ।

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

सर पर मैला ढोने की प्रथा

55. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत बजट

(विट्ठल प्रशाद शर्मा)
अधिवेशन भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि गांधी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में राज्य सरकार हरिजनों से सर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने जा रही है ?

(2) उक्त घोषणा की पूर्ति हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त घोषणा को राज्य में कहीं भी क्रियान्वित नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस योजना के तहत किस किस नगर में कितने कितने शौचालय बनाये गये तथा किस किस म्युनिसिपैलिटी या पंचायत को कितनी कितनी राशि उक्त योजना हेतु दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सिर पर मैला ढोने की प्रथा के संबंध में बजट अधिवेशन भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि मेरी यह धारणा है कि गांधी शताब्दी के दौरान समाज के कलंक को मिटाने के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए....मैं चाहूंगा कि अगले वर्ष कम से कम सभी कस्बों में सार्वजनिक शौचालयों में फ्लश व्यवस्था का यथा संभव प्रबन्ध कर दिया जाये.....आदि ।

(2) उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु प्रचलित वर्ष में 50 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गई है ।

(3) उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राज्य के 27 कस्बों में, जिसमें 26 जिला मुख्यालय एवं ब्यावर जहां 61 की जनगणना के आधार पर 50 हजार से अधिक आबादी है म्युनिसिपैलिटियों द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है । जिन्हें आवश्यक धनराशि, जिसकी सूचना संलग्न है, की स्वीकृति दे दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

मकान बनाने के लिये ऋण

56. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग ने एक हजार रुपया प्रति परिवार मकान सहायता को बन्द करके अब दो हजार रुपया कर्जा देने की स्कीम को मंजूर किया है ? यदि हां, तो इसके लिये कितने धन का प्रावधान रख गया है ?

(2) क्या इसके लिये नियम या प्रोफार्मा भी बनाया गया है ? यदि हां, तो कृपया एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) इस वर्ष दोनों प्रकार से ही भवन निर्माण योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है । शहरी क्षेत्र में विशेष कर यू० आई०टी० क्षेत्रों में 2,500 रुपये ऋण एवं अन्य क्षेत्रों में 1,000 रुपये अनुदान दिया जाकर सन् 1969-70 में 34.25 लाख रुपये का कुल प्रावधान है ।

(2) नये नियम एवं आवेदन पत्र का प्रारूप आदि सरकार के विचाराधीन है । किन्तु उनके अन्तिम रूप से स्वीकृत होने तक पुराने नियमों के अनुसार व पुराने फार्मों के जरिये यह सहायता दिया जाता चालू है ।

होलीडे होम स्कीम

57. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) होलीडे होम स्कीम राज्य में कब से आरम्भ हुई ? इस स्कीम से किन किन संस्थाओं को कितनी कितनी सहायता विगत 5 वर्षों में दी गई ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि बोर्ड द्वारा सामाजिक उद्देश्य की अपेक्षा व्यक्ति पोषण को ध्यान में रखकर संस्थाओं को सहायता दी जाती है ? यदि नहीं, तो बोर्ड के समक्ष किस किस संस्था के विरुद्ध शिकायतें विगत 5 वर्षों में आई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई व उसके क्या परिणाम रहे ? सन् 1969-70 की सहायता के क्या आधार थे ?

उत्तर

(1) होलीडे होम स्कीम राज्य में सन् 1961 से प्रारम्भ की गई थी । इस स्कीम से गत पांच वर्षों में जिन जिन संस्थाओं को जितनी सहायता दी गई उसकी सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । सहायता राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा, सामाजिक उद्देश्य को ही ध्यान में रखकर दी जाती है । होली डे होम स्कीम के विषय में गत 5 वर्षों में राज्य बोर्ड के कार्यालय में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं बतलाई जाती है । इस प्रकार उन पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता । सन् 1969-70 की सहायता के निम्न आधार थे :—

1. संस्था पंजीकृत होनी चाहिये ।

2. संस्था बाल एवं कल्याण कार्यों में रत होनी चाहिए ।

3. संस्था की विधिवत निर्मित कार्यकारिणी समिति होनी चाहिए ।

4. संस्था का विधान होना चाहिए ।

5. संस्था केम्प लगाने में सक्षम हो ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

परिवार नियोजन विभाग की गाड़ियों पर व्यय

58. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परिवार नियोजन विभाग में किस किस प्रकार की कितनी गाड़ियां हैं ? ये गाड़ियां कहां कहां किस किस काम आ रही हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) प्रत्येक गाड़ी जनवरी, 1969 से दिसम्बर, 1969 तक कितने मील चली ? उसमें पैट्रोल, आइल, मरम्मत आदि पर कितना 2 खर्चा हुआ ?

(3) इन गाड़ियों द्वारा दौरा करने वाले अधिकारियों के टी०ए०, डी०ए० आदि पर उपरोक्त समय में कुल कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

(1) परिवार नियोजन विभाग में निम्नलिखित प्रकार की गाड़ियां हैं :—

1. जीप	28
2. जीप स्टेशन वेगन-एफ सी 150	34

(परिवार नियोजन मंत्री)

3. बेड फोर्ड बस	24
4. सेवरलेट स्टेशन वेगन	1
5. जीप स्टेशन वेगन	4
6. डोज स्टेशन वेगन	2
7. फारगो स्टेशन वेगन	4
8. जीप (जी डी० एफ० ०ओज के लिए)	10
कुल ..	107

ये गाड़ियां कहां 2, कुल कितनी और किस काम आरही हैं, की जिलेवार सूची 'क' सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी सूची 'क' में वांछित सूचना दे दी गई है।

(3) सदन की मेज पर रखी सूची 'क' में वांछित सूचना दे दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

(12.10 म० प०)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री राम प्रसाद बोहरा, श्री लक्ष्मण तानीवाल, श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा, सदस्य विधान सभा ने झालावाड़ में दिनांक 14-2-70 को स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा स्टेडियम में हजारों विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करने व अश्रुगैस का प्रयोग कर विद्यार्थियों पर फर्जी मुकदमें बनाने आदि से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

कल दिनांक 9 मार्च 1970 को श्री भैरोंसिंह व श्री सतीशचन्द्र, अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने जैसलमेर जिला जनसंघ के उपाध्यक्ष श्री त्रिभुवन एडवोकेट एवं श्री परसराम महाराज की पिटाई करने के कारण जनसंघ के अध्यक्ष श्री गुमानमल लोढा द्वारा भूख हड़ताल किये जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री बालसिंह सोढा, श्री विजयसिंह मकराना श्री गोरधन सोनी, श्री रूपसिंह से भी प्राप्त हुई है। जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया है राज्य सरकार द्वारा इस मामले में जांच कराई जा रही है और गृह मंत्री महोदय द्वारा कल दिनांक 11 मार्च, 1970 को स्थिति सदन को बतलादी जायेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य विधान सभा ने राज्य सरकार की शराबबंदी की नीति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। वित्त मंत्री महोदय द्वारा इस विषय को अपने भाषण में भी सम्मिलित किया गया है तथा श्री सालोदिया को बजट भाषण पर वाद विवाद के दौरान अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी प्राप्त हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न भागों में फरवरी के तीसरे व चौथे सप्ताह में ओलावृष्टि से हुई क्षति के संबंध में कुछ

(श्री अध्यक्ष)
माननीय सदस्यों के प्रस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. श्री सूआलाल चौधरी से जिला जयपुर में तहसील दूदू व फुलेरा के संबंध में।

2. श्री श्रवण लाल, श्री लाभचंद वैद से जिला सवाई माधोपुर के संबंध में।

3. श्री चुन्नीलाल जेलिया से जिला सवाई माधोपुर की तहसील खण्डार के सम्बन्ध में।

4. श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री बृज बल्लभ बोहरा, श्री श्री केशरीसिंह हाड़ा से जिला बूंदी व व कोटा में बांरा, मांगरोल, किशनगंज, शाहबाद, अटरू, इटावा, दिगोद व लाड़पुरा की तहसीलों के सम्बन्ध में।

5. श्री देवीलाल बुरासिया से अजमेर जिला उपखण्ड केकड़ी के सम्बन्ध में।

चूंकि राज्य के कई भागों में ओलावृष्टि से क्षति हुई है। अतः मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये संबंधित माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे स्थिति को स्पष्ट करते हुए दिनांक 12 मार्च, 1970 को वक्तव्य देने की कृपा करें।

उपरोक्त सभी स्थागन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे दो स्थगन प्रस्तावों की और भी सूचनाएं प्राप्त हुई है। पहला स्थगन प्रस्ताव श्री कृष्ण कुमार गोयल, सदस्य विधान सभा से मिला है जिसमें उन्होंने केशोराय पाटन, जिला बूंदी में सहकारी शूगर मिल्स द्वारा उत्पादन पूरी क्षमता के साथ आरम्भ करें तथा कई दिनों से टरबाईन में पानी भर जाने के कारण शूगर मिल बंद कर देने के फलस्वरूप बूंदी व कोटा जिले के काश्तकारों का कटा हुआ गन्ना सड़ जाने व बाकी खेत में सूख जाने का उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये सहकारिता मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे स्थिति की शीघ्रतिशीघ्र जानकारी कर सदन में वक्तव्य देने की कृपा करें।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री दौलतराम सारण व श्री हरजीराम बुरड़क सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुआ है। इस स्थगन प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा सहकारी प्रशिक्षण योजना को समाप्त करने के कारण राज्य सहकारी संघ कर्मचारी यूनियन द्वारा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के विरोध में आन्दोलन चालु करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को सूचित करुंगा।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करता हूं कि गंगानगर में किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में श्री रामानंद, अग्रवाल, श्री नत्थीसिंह श्री भैरोंसिंह, श्री दौलतराम सारण, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री रूपसिंह, श्री विजयसिंह मकराना व श्री दुर्गालाल बाढदार, सदस्य विधान सभा से स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इन को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त किये जाने के लिये पेंडिग रखा गया था।

(श्री अध्यक्ष)

जैसा कि माननीय सदस्यं को विदित है इस विषय में सदन के माननीय नेता एवं अन्य दलों के माननीय नेताओं के बीच परस्पर बातचीत के पश्चात सदन के नेता महोदय द्वारा यह सूचित किया गया था कि मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वार्ता के लिये सभी दलों के प्रतिनिधियों को कल दिनांक 11 मार्च, 1970 को आमंत्रित किया गया तथा इसी सिलेसिले में सदन के माननीय सदस्य प्रो० केदारनाथ, सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री गुरुदयाल सिंह सिन्दू, श्री चेतनराम आदि से भूख हड़ताल को समाप्त करने की अपील सदन के सभी दलों के नेताओं द्वारा की गई थी। मुझे यह भी जानकारी है कि प्रो० केदारनाथ द्वारा यह भूख हड़ताल अब समाप्त कर दी गई है।

इस सम्बन्ध में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से मुख्य मंत्री महोदय की वार्ता सम्पन्न होने के पश्चात मुख्य मंत्री महोदय द्वारा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए सदन में एक वक्तव्य वे देंगे।

ऐसी स्थिति में मैं उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तु किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। वित्त मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह : दो स्थगन प्रस्ताव और रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : वे जानकारी के लिये हैं। कल उन पर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर की अमलगमेटेड कम्पनी के बारे में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। इसलिये मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो बढोतरी की बात है, अब उस पर स्टाम्प लगना शुरू हो गई है, उसको राज्य सरकार रोक दे। राज्य सरकार से मेरी यह प्रार्थना है। अजमेर की जनता का यह कम्पनी खून चूस रही है। इसलिये इसको रोका जाये, जो बढोतरी की जारही है उस को रोका जाये। सन 47 से यह कम्पनी अजमेर की जनता को बर्बाद करती आ रही है। कम्पनी उन का खून चूसती आ रही है। हम बिजली के लिये इस कम्पनी से बिलकुल परेशान हो गये हैं, इस लिये राज्य सरकार को शीघ्रातिशीघ्र इस कम्पनी को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। वरना इसके परिणाम बहुत ही बुरे होंगे।

डा० अम्बालाल (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय मेरा तो यह कहना है कि इस के लिये जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी सुविधा का ख्याल रखूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : आप दूबारा न बोलें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्राइवेट कम्पनी है। इस के द्वारा रेटस बढाकर जनता का शोषण किया जा रहा है। इसका सवाल इस सदन में कई बार प्रस्तुत किया जा चुका है और इस सदन में यह मांग की जाती रही है कि इस बिजली कम्पनी को राज्य विद्युत मण्डल अपने हाथों में ले ले और एक इन्टीग्रेटेड बिजली सिस्टम शुरु हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह

(श्री अध्यक्ष)

कॉल अ`न्शन नोटिस है और अब इस पर इस प्रांगण पर भाषण शुरु हो जाय यह मैं नहीं चाहूंगा। मैं आप की सुविधा का ख्याल रखूंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। वित्त मंत्री महोदय।

श्री बी० एम० जोशी : (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित विभाग के वाणिज्यिक कर अनुभाग की अधिसूचना संख्या जी० ए० आर० 93, दिनांक 21 फरवरी, 1970, सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत शुल्क नियम, 1970 जारी किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आय व्ययक 1970-71 पर सामान्य वाद-विवाद विरोधी दल के नेता।

(12.20 म० प०)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आय व्ययक सन् 1970-71 के सम्बन्ध में प्रथम वाचन पर मेरा निवेदन है कि इस बजट के अन्दर बहुत सारी जो बातें कही गई हैं वह अवास्तविक हैं और अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी पूर्ण रुपेण पूर्ति हो पायेगी। मोटी मोटी बातें जो प्रथम पारण के समय मैं निवेदन करना चाहूंगा वह ये हैं:-

उत्पादन, मैं समझता हूं निश्चित् रूप से घटा है और घटेगा। कीमतें निश्चित् रूप से बढी हैं, बढती जा रही हैं और उनके ऊपर नियंत्रण जो होना परमावश्यक है, सरकार के द्वारा नहीं हो पाया है।

(1म.21 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

माननीय वित्त मंत्री ने कल कहा कि रबी की फसल बाजार में आने पर मूल्य स्थिर हो जायेंगे। यह भावना केवल मात्र एक भावना ही है। इस भावना की पूर्ति, मैं समझता हूं, कभी नहीं हो पायेगी। जब उत्पादन घटा है, आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतों के ऊपर सरकार नियंत्रण करने में असफल सर्वथा रही है और उसके साथ साथ मध्यम श्रेणी का वर्ग महंगाई और भ्रष्टाचार के द्वारा पिसता जा रहा है तो मैं समझता हूं कि यह बजट कोई समाजवाद के सिद्धान्त के ऊपर आधारित नहीं है। मगर वित्त मंत्री ने अपने भाषण के 117 पेरा के अन्दर यह भी भावना व्यक्त की है कि यह बजट संतुलित है, यह बजट डेफीसिट बजट नहीं है और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी सदन के समक्ष अपना विचार रखा कि विशेष सहायता के उपरान्त, जो केन्द्र के द्वारा विशेष सहायता सरकार को प्राप्त होगी, उस प्राप्ति से यह बजट संतुलित हो जायगा। मेरा निश्चित रूप से यह अभिमत है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह बजट डेफीसिट बजट है और वास्तविक रूप से आप देखेंगे कि कम से कम इस बजट में 30 करोड़ रुपये का घाटा होना अनिवार्य है। मैं राजस्थान की वित्तीय स्थिति को यदि दिवालिया कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह सरकार ऋण के ऊपर और केन्द्र के अनुदान के ऊपर आधारित है-यह भी मेरा निश्चित अभिमत है स्वावलम्बन, इस सरकार की नीति और इस सरकार के लक्ष्यों को देखते हुए, मैं समझता हूं आज सौ कोसों दूर प्रतीत होता है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर के सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहूंगा और भी माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें निवेदन करेंगे लेकिन मैं इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि एक तरफ तो सरकार के द्वारा जनता, और किसानों को पानी नहीं दिया जाय, नागरिक शान की अवहेलना की जाय और ऐसी निरंकुशता पुलिस के द्वारा प्रदर्शित की जाय जिसके सम्बन्ध में घृणा और विरोध के अलावा और क्या मैं व्यक्त कर सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर में यह आम चर्चा है लोगों में कि इतना रिश्वत का बोलबाला है कि कोई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर वहां पर जाता है तो एक साल के अन्दर वह लखपति बन जाता है...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): शेम।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह: पटवारी एक या दो साल के अन्दर लखपति बन जाता है...

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): यह बात सही है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह: ...ऐसी व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के लिए अशोभनीय ही नहीं है लेकिन यह समाजवादी व्यवस्था है या भ्रष्ट अधिनायकवादी व्यवस्था है इस सम्बन्ध में सरकार गम्भीरता पूर्वक मैं आशा करता हूं, विचार करेगी।

डूंगरपुर में जल प्रदाय के सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया था। एडवर्ड बंध है उस बंध का पानी स्वतंत्रता के पूर्व तो मील ऊपर पाइप से लाया जाता था। वह व्यवस्था इस सरकार द्वारा भंग कर दी गई और पुनः चालू करने के लिए नौ लाख रुपये का प्रावधान रखा गया और पाइपों को जोड़ने के लिए शीशा मंगवाया गया। यह आम जनता जानती है, वह शीशा पाइपों में नहीं लगाया गया। पाइप फूटे और अधिकांश शीशा डूंगरपुर के बाजार में बिकने को प्राप्त हुआ। अब आपकी योजना है कि बारह लाख और इस पर खर्च किये जायं। अब यह सफल योजना होती है या नहीं, यह तो समय बतायेगा, लेकिन जिस तरह का भ्रष्टाचार और अनियमितता बद-इन्तजामी इसके अन्दर प्रदर्शित हुई, यदि यह फिर भी हुई, तो यह बारह लाख रुपया भी, मेरे ख्याल में, पानी के अन्दर या मिट्टी के अन्दर मिल जायगा। मैं उदाहरण के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर में जाते ही एक चौराहा है। पेट्रोल पम्प्स दो तीन जहां पर स्थित हैं वहां पर चौराहा है— एक रास्ता बांसवाड़ा जाता है, एक रास्ता उदयपुर जाता है, एक रास्ता अहमदाबाद जाता है, और एक रास्ता डूंगरपुर शहर में जाता है, वहां पर एक पाइप लाइन निरन्तर फूटी की फूटी रहती है। उस पाइप लाइन को देखते हुए मुझे पूरे बारह या तेरह महीने हो गये। एक पाइप की दुरुस्ती के अन्दर, मैं समझता हूं, कम से कम पच्चीस या तीस हजार रुपया खर्च हो गया है और उस पाइप की मरम्मत नहीं हो पायी है। ऐसी दुर्व्यवस्था अगर सरकार अपनाती है तो मेरे ख्याल में यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा है...

श्री विजयसिंह (मकराना): सरकार नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बजट में कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो— ऐसा मैं अनुभव नहीं करता। सरकार की

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एक तरफ भ्रष्टाचारी नीति और दूसरी तरफ फिजूल खर्ची देखते हुए कोई भी मितव्ययता के सम्बन्ध में बजट के अन्दर महत्वपूर्ण उल्लेख हो—ऐसा मैं नहीं अनुमान करता। सोशलिज्म आवे। समाजवाद आवे। लेकिन समाजवाद के साथ साथ खुशहाली भी आनी चाहिए। समाजवाद की अगर उदाहरण मैं दूं, तो जापान के अन्दर वास्तविक समाजवाद आया है, जर्मनी के अन्दर वास्तविक समाजवाद आया, जिसके द्वारा वहां पर खुशहाली आई। लेकिन भारतवर्ष के अन्दर शासनारूढ दल आज कई वर्षों से समाजवाद की डींग हांकता रहा है किन्तु वास्तविक रूप से यह सोशलिज्म नहीं है, यह स्टेटिज्म है। स्टेटिज्म का अर्थ, उपाध्यक्ष महोदय, यह है—राज्य ही राज्य करे, राज्य ही व्यापार करे, राज्य ही खेती करें और वास्तविक रूपसे कुछ नहीं कर पायें, यह हमारे सामने एक नग्न प्रदर्शन दिन और रात देखने में आ रहा है। यह सोशलिज्म नहीं है, यह स्टेटिज्म है। सोशलिज्म अगर आता, तो कम से कम गरीब तबका ऊंचा उठता। धनी तबके के ऊपर टैक्स लगे उसका भी मैं विरोध एक हद तक नहीं कर सकता क्योंकि हमारे देश की अवस्था और आज बढती हुई आबादी को देखते हुए यह अनिवार्य है। कम से कम सोशलिस्टिक स्टेप इस समय उठाये वह स्टेप, वह कदम ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा जनता के अन्दर खुशहाली आती हुई हमको नजर आवे। आज तो खुशहाली का तो नाम नहीं है। दूसरी तरफ हड्डी चूस टैक्स है। तीसरी तरफ रिश्वतखोरी का बोलबाला है, पक्षपात का बोलबाला है। यह कहां का समाजवाद है। मैं तो समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह एक भ्रष्ट अधिनायकवाद है।

योजना में बार बार यह कहा जा रहा है कि हमारी योजनाएं सफल हैं। मैं समझता हूं कि 3 योजनाएं तो हो चुकी है, हजारों करोड़ों रुपया हमने खर्च किया, हजारों करोड रुपया हमारे देश के ऊपर ऋण हुआ और सैंकडों करोड रुपया इस राजस्थान की सरकार ने भी ऋण लिया और अब माननीय वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना को लागू करने में हमको देर हुई है। मैं यह समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह देरी नहीं है, आज सरकार किंकर्तव्य विमूढ हो गई है, सरकार नहीं जानती कि उसे क्या करना है। इस की तथा कथित योजनाएं हैं वास्तव में कागजी योजनाएं हैं और उनको वास्तविक रूप में कार्यान्वित करने में यह सरकार बिलकुल असफल रही है। यह योजनाएं महत्वकांक्षिणी योजनाएं हैं अत्यधिक खर्चीली हैं, प्राग्मेटिज्म के ख्याल में यह पोटलैस हैं। वित्त मंत्री महोदय के शब्दों में यह एक दिमागी ऐयाशी है।

उपाध्यक्ष महोदय, नेशनेलाइजेशन के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर नेशनेलाइजेशन आता है और उससे गरीब तबके को लाभ होता है तो उसका विरोध कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि नेशनेलाइजेशन आफ बैंक्स और सोशियल कन्ट्रोल के अन्दर क्या फरक है? सोशियल कन्ट्रोल में आपका बैंकों पर पूर्णतया नियन्त्रण था। आज नेशनेलाइजेशन हो जाने के पश्चात 87 करोड रुपये का तो अपने मुआवजा चुकाया है सोशियल कन्ट्रोल में कोई मुआवजे का प्रश्न नहीं आ सकता जो आप चाहते वह आप कर सकते थे। किसी बैंक की नीति असंतुलित होती आपकी दृष्टि में असंतोषजनक होती,

Page No 49

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सरकार की नीति के विपरीत होती तो आप डायरेक्टर को कान पकड़ कर सामने बैठा कर, जो चाहते वह करा सकते थे।

क्यों नहीं सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर के केवल 14 बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण करना और फोरिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करूंगा, कि सब बैंकों का राष्ट्रीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि यह अवास्तविक है, देश के लिये अहितकार है। लेकिन यह कोई सिद्धान्तवादिता के ऊपर राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं अपनाई गई। इसके अंदर मूल राजनैतिक पहलू है और मैं समझता हूं यह पार्टी का अन्दरूनी मामला है। इस पर मुझे विशेष विवेचन नहीं करना है। किन्तु इतना तो मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि माननीया प्रधान मंत्री महोदया ने यह उचित समझा कि राष्ट्रीयकरण बैंकों का करने के नाम से श्री मुरारजी देसाई, जो वित्त मंत्री थे, उनको किस तरह रुखसत दी जाय। इसके अलावा और कोई बात हो तो कोई अर्थशास्त्री मुझे यह संतोष दिला दे कि 14 बैंकों का नेशनेलाइजेशन करना, दूसरे बैंकों को यों ही छोड़ देना, फोरिन बैंकों का नेशनेलाइजेशन नहीं करना, यह कोई सिद्धान्तवादिता है या अवसर वादिता ? यह इन्टेलिजेंसिया, अर्थशास्त्री और सामान्य नागरिक इस देश के 6 या 12 महिनों में निर्णय कर पायगे कि यह कदम किसी हद तक लाभदायक हुआ है अथवा नहीं।

वित्त मंत्रीजी ने कुछ खाद्यान्नों के बीजों के सम्बन्ध में जो विवेचन किया उसके सम्बन्ध में मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि जो ड्राउट रेजिस्टेन्स वेराइटी के जो के सम्बन्ध में उन्होंने उल्लेख किया, उसका मैं स्वागत करता हूं। यह ड्राउट रेजिस्टेन्स वैराइटी का जो अच्छा है एमसे जनता को लाभ हुआ है और लाभ होगा।

कोओपरेटिव्स के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा कोओपरेटिव सोसायटीज को कितना रुपया वितरण किया गया है कितना रुपया वसूल हो पाया है, यह देखना है क्योंकि इसके साथ साथ वित्त मंत्रीजी ने यह भी अपने कल के भाषण में उल्लेख किया कि 18 करोड़ रुपया उनको फिर देना है, इस सम्बन्ध में प्रावधान है। मैं समझता हूं कि सरकार को क्वालिटी के ऊपर ध्यान विशेष देना चाहिये, क्वान्टिटी के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिये। कम से कम सरकार को देखना चाहिये कि कितनी बोगस कोओपरेटिव सोसायटीज फंक्शन कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? अगर यह सरकार नहीं करती और आगे बढ़ती जा रही है, सिर्फ कागजों में बताने के लिये कि कोओपरेटिव सोसायटीज की संख्या दिन प्रति दिन अब बढ़ती जा रही है, तो मैं समझता हूं यह फिजूल खर्ची है, समाजवाद की घातक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अन्दर भी मैं समझता हूं अगर सरकार बुद्धिमत्ता से, दूरदर्शिता से काम ले, तो मित्तव्ययता की बड़ी भारी गुंजाइश है। और अगर कोओपरेटिव जैसी चीज में सरकार सफल नहीं हो पाती, तो मेरे ख्याल में सिद्धान्ततः समाजवाद की नींव भी सरकार की पत्थर के ऊपर जड़ की माफिक रह जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, नवयुवकों के सम्बन्ध

Page No 50

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में वित्त मंत्रीजी ने जो कुछ भी सदन के समक्ष बातें रखीं, उनकी मैं प्रशंसा करूंगा किन्तु यह प्रशंसा वास्तविकता के साथ यदि मैं निवेदन करूं कि किस हद तक सरकार इस सम्बन्ध में सफलता प्राप्त करती है, यह भविष्य ही बता सकता है। आज कन्वोकेशन्स के अन्दर आम तौर से शिक्षित वर्ग नारे लगाता है कि हमको डिग्री नहीं चाहिये, नौकरी चाहिये। अधिकांश शिक्षित वर्ग देश का फ्रस्ट्रेटेड है, वह समझता है कि उसका भविष्य महान अंधकारमय है। मैं समझता हूं कि यह आपकी प्लान की प्रायोरिटीज़ भी गलत हैं। आपको शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर भी बुनियादी तौर से पुर्नविचार करना चाहिये। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, इसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिये कि हमको क्या करना चाहिये। इसका हल नहीं निकाल पाते, तो हमारी स्वतन्त्रता व्यर्थ है। हमारे जनतन्त्र को बड़ा खतरा पहुंचता है और भविष्य भी देश का, जब नवयुवकों का भविष्य अंधकारमय है, तो देश का भविष्य भी अन्धकारमय है।

बोर्ड का गठन किया गया है, उसका चैअरमेन मुख्य मंत्री महोदय को रखा है। मैं समझता हूं कि यह स्वयं ही बिना राजनैतिक लगाव के कार्य करें तो सफलता प्राप्त होगी वरना सस्ती स्टंटबाजी के रूप में अपने राजनैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये गठित कया गया है तो मेरे ख्याल से सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा।

देअर बिल बी मोर हार्म देन गुड। स्पोर्टस बहुत अच्छी चीज है। खेलकूद से शरीर स्वस्थ होता है, स्वस्थ शरीर से मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। आज मस्तिष्क को स्वस्थ करने के लिए केवल मात्र स्पोर्टस की आवश्यकता नहीं है, आज तो जैसा छात्र वर्ग कहता है, डिग्री की जरूरत नहीं है, नौकरी की जरूरत है, आपके बजट के अंदर स्लांट होना चाहिये, जोब ओरीन्टेड बजट होना चाहिये। जब तक आप नौकरी की व्यवस्था कोई नहीं कर सकते, आज आप जरुरत से ज्यादा इंजीनियर व डाक्टर हर साल पैदा कर रहे हैं, उस संबंध में विचार नहीं कर पाते तो मेरे ख्याल में इसका निराकरण होना बहुत मुश्किल है।

पैरा 50 में वित्त मंत्री महोदय ने मांडो-की-पाल के पास डूंगरपुर जिले में फलोराइट बेनीफिसीयेशन खनिज के संबंध में कुछ बातें कहीं। यह सारे जिले में एक ही उद्योग है और आज डूंगरपुर में भूखमरी और दुष्काल पीड़ित और उत्पीड़ित जनता के लिए अगर कोई न कोई व्यवस्था आप इस संबंध में कर पाते हैं, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। इस उद्योग की क्या क्षमता है, यह भी मैं जानना चाहूंगा। आज 10 वर्ष हो गए, बंगले भी बन गए, बगीचे भी लगाए गए, वहां पर घास वगैरह लग गए, सड़कें भी आ गई, किन्तु खनिज अभी भी बिल्कुल गायब है। अगर खनिज की प्राप्ति होती है तो मैं समझता हूं बंगले और तंगले काम में आयेंगे अन्यथा यह अभी तक फिजूलखर्ची ही दिखाई दे रही है।

एक माननीय सदस्य: वहां मंत्री आराम फरमाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डूंगरपुर अस्पताल में 150 बेड्स के संबंध में जो आपने व्यवस्था की, उसका मैं आभारी हूं लेकिन यह कोई नई बात नहीं। रियासत

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के जमाने में भी यह व्यवस्था थी, फिर बाद में यह तोड़ दिया गया और फिर उस अस्पताल की दुर्गति की गई। अगर आप उसको ठीक करें और 150 बेड्स का अस्पताल काम करता है तो मैं धन्यवाद के साथ कहूंगा कि आप कोई नवाई नहीं करते, बड़ी बात नहीं करते, वह छोटी सी बात है।

ग्रामीण जलप्रदाय योजना के संबंध में भी यह निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जिले में कुछ गांव हैं जसे साबला, बोरी आदि जहां जनता ने अपने हिस्से की धनराशि जमा करा दी, इस सूखे के क्षेत्र के अंदर जल प्रदाय योजना इन गांवों के अंदर शीघ्र ही हाथ में ली जाय।

पैरा 60-61 के अंदर जो रियायतें शिड्यल्ड कास्टस व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को नौकरियां व स्कालरशिप्स के संबंध में दी गई हैं, उनका मैं स्वागत करूंगा, लेकिन मैं उसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि दूसरे गरीब तबके के लोग जैसे सिलावट, नाई आदि हैं उनके लिए भी कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होना मैं आवश्यक अनुभव करता हूं और उसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था के अंदर भी राजनीति नहीं अपनाई जायगी, मैं ऐसी आशा रखता हूं।

पैरा 63 के अंदर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में मकान बनाने के लिए जो व्यवस्था है उसके लिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मकानात ऐसी जगह बनें कि पहले उन लोगों से पूछा लिया जाय कि क्या वह जगह उनको पसंद है या नहीं, अन्यथा क्या हुआ जवाहर नगर का? स्वर्गीय मानक्यलालजी वर्मा, आज वह नहीं हैं, के बारे में मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन वहां पर लाखों रुपया सरकार का खर्च हुआ, लाखों रुपयों के जंगल कटवाए और मकान बनाए और वह आज उजड हैं। सेवाड़ा आदि में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मकानात बनाए गए, वहां पर कोई रहने वाला नहीं, यहां भी बिल्कुल फिज़ूल खर्ची न हो, इसलिये मैं सुझाव सरकार के विचारार्थ रखता हूं।

पेन्शन के संबंध जो वृद्ध स्त्री पुरुष हैं और सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जो पेन्शन के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है, जो प्रस्तावों का उल्लेख किया है, वह प्रशंसनीय है।

पैरा 75 से 79 तक प्रोहिबिशन के संबंध में जो कुछ भी मंत्री महोदय ने कहा, उस संबंध में मैं वचनबद्ध हूं कि उसका विरोध नहीं करूंगा। मेरे माननीय मित्र जो मांडलगढ़ से आए हैं, श्री मनोहरसिहजी मेहता, उनको मैंने कह रखा है, किन्तु वास्तविक रूप से यदि देखा जाय तो आज जहां पर आपका प्रोहिबिशन है, वहां पर नाजायज शराबकशी की भरमार है। आपका कानून बिल्कुल कागजी कानून है और वित्तमंत्रीने प्रोहिबिशन के संबंध में कहा कि जो दारू पीने वाले हैं, उनको अपनी आबरु रखकर चुपचाप रहना चाहिए। मैं अपनी आबरु चुपचाप नहीं रख सकता। सरकार को ही चुपचाप रहना पड़ेगा, खास तौर से जो रात दिन नाजायज शराबकशी की भरमार चल रही है और कागजी प्रोहिबिशन कर रहे हैं, यहां पर लंबी चौड़ी डींगें हांकने की बातें कह रहे हैं।

जवाहरात के संबंध में आपने नकली और असली जवाहरात को बिल्कुल समान

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रूप से देखा है। पहले स्वर्ण नियंत्रण नियम बने तो सोने को भी आपने घटिया करके 14 कैरट बना दिया। 14 कैरट सरकार के लिए असली और नकली के अंदर कोई भेदभाव नहीं। स्त्री वर्ग अगर इमीटेशन या सस्ता जवाहरात पहनना चाहे तो उस पर भी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत आपने बिक्री कर कर दिया है। यह टोटली अनसाइन्टीफिक है, अन्फेयर है और इसके अंदर कौनसा समाजवाद निहित है, यह भी मेरी समझ में नहीं आया। मैं इसका विरोध करता हूं।

इसके साथ साथ पैट्रोल पर जो कर बढ़ाया गया है। सैंट्रल एक्साइज भी इस पर बढ़ा उसके उपरांत भी 12-1/2 से 15 प्रतिशत पैट्रोल पर आपने बिक्री कर लगाया है और उसके साथ साथ वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि ये गाड़ियां जो चलती हैं वह चलती रहेंगी। इसका अर्थ यह है कि आप बिल्कुल सेवेज और ब्रूटल टैक्सेशन के अंदर इसेन्शियल कमोडिटीज को सम्मिलित करें यह वित्तीय सिद्धांत की बात मुझे नजर नहीं आती।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इन सब को फ्री पैट्रोल मिलता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह प्रिविलेज्ड लॉ है।

श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर) : आपको भी मिलता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे पैट्रोल फ्री मिलता है? अगर ऐसा है तो विधेयक पारित किया जाय तो धन्यवाद दूंगा।

श्री विजयसिंह : इनको चश्मा लगा हुआ है।

श्री वृद्धिचंद जैन : लीडर ऑफ दी आपोजीशन को फ्री पैट्रोल मिलता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : रेडीमेड कपड़े के संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि आपने 15) तक छूट रखी है और उस पर बिक्री कर का आपने प्रावधान रखा है कि 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत बढ़ा दिया जाय। आज एक कमीज के भी 15) लग जाते हैं। आप गरीब तबकों को टैक्स करना चाहते हैं। यह समाजवाद की व्यवस्था नहीं है, यह अन्साइंटीफिक है, इससे मध्यम श्रेणी वर्ग को भी हानि पहुंचेगी और इस व्यवस्था का मैं विरोध करता हूं।

इसके साथ साथ आपने कापीज पर भी 7 प्रतिशत बिक्री कर लगाई है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, मैं नहीं कहूंगा कि बिक्री कर कापीज पर नहीं ही लगे। अगर आपकी इच्छा है और अगर आप टैक्स लगाने पर तुले हुए हैं तो 7 प्रतिशत मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। अगर 4 प्रतिशत भी आप लगायें तो मैं समझ सकता हूं एक हद तक ऐसा बोझ होगा, जो वहन हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के संबंध में, राहत कार्यों के संबंध में, कुछ चर्चा करना चाहूंगा। गत वर्ष मैंने मांग की थी कि अकाल राहत कार्यों में जो घपला, जो आपाधापी होती है, अनियमिततायें होती हैं, जो गरीब लोगों को शोषण होता है, उस संबंध में एक जांच आयोग की नियुक्ति की जाय।

अभी केन्द्र के द्वारा यह सुझाव आया था कि राजस्थान के प्रतिनिधि पार्लियामेन्ट के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और इस विधान सभा के अकाल राहत कार्यों पर नियन्त्रण रखें ऐसी कुछ व्यवस्था की जाय। मुख्य मंत्रीजी ने इस पर आपत्ति उठायी और उन्होंने यह अनुभव किया कि यह हमारे अन्दरूनी अधिकारों के अंदर एक तरह का दखल है। मैं समझता हूं यह दखल नहीं है। 26 करोड़ रुपया अकाल राहत कार्यों पर खर्च होंगे। दिन रात हम देखते हैं कि अनियमिततायें बढ़ रही हैं। एक फाल्स सेन्स ऑफ प्रेस्टिज को काम में न लाकर, इससे प्रतिष्ठा भंग नहीं होती है यह तो बढ़ती है, कोई न कोई जांच की व्यवस्था कायम करें। क्योंकि ये बहुत सारे मुद्दे अकाल सहायता के संबंध में मोहताज दरियाफ्त हैं, उनकी कोई दरियाफ्तगी नहीं होती है। हमारा नैतिक पतन हो चुका है और बेईमानी का बोलबाला है और जो कुछ भी कार्य होते हैं उनमें बेईमानी, भ्रष्टाचार व्याप्त है। ठेठ नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में लगे हुए हैं। मुख्य मंत्री महोदय, आप इसको साहस के साथ तोड़ें वरना यह तो अकाल राहत कार्य नहीं। सेवक शोषक हो गये और अगर इस प्रकार का शोषण और उत्पीड़न चलेगा तो सिवाय इसकी निन्दा के मैं तो और कुछ नहीं कर सकता। अभी मैंने भ्रमण किया है एक दो जिलों का और जो जो मुद्दे नजर आते हैं उन पर ही हम लोग कुछ विवेचन कर सकते हैं वरना 80 और 85 प्रतिशत बातें कोई नजर ही नहीं आती हैं, उसमें इतनी आपा धापी होती होगी कि कोई अनुमान ही नहीं कर सकता है। मैंने यह पाया है कि दो सौ गाड़ियों को 28) 28) रुपया फी गाड़ी कम पेमेन्ट हुआ है। चार हजार मजदूरों को कम पेमेन्ट हुआ है। मजदूरों को, उपाध्यक्ष महोदय, हम बार बार यह चाहते हैं कि हर चौदह दिन में मजदूरी वितरण होनी चाहिये। कलेक्टर भी मान चुके हैं कि हर चौदह दिन में वितरण होना चाहिये। वास्तविक रूप से यह देखा गया है कि तीन तीन चार चार हफ्ते तक पेमेन्ट नहीं होता। क्या यह ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो काबिल जांच हो, काबिल दरियाफ्त हो? कलेक्टरों की सद्भावना होने के बावजूद भी उनकी स्टाफ, पी० डब्ल्यू० डी० का स्टाफ कार्यान्वित नहीं होने देता। कोई न कोई जांच जरूरी है और सरकार का प्रथम कर्त्तव्य हो जाता है कि इसकी जांच कराये। ऐसे मोटे मुद्दों में भी जांच न करायें तो सरकार भी एक पार्टी है उस भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में और अपना हाथ बटा रही है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सरकार फंसी हुई है भ्रष्टाचार में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप टास्क सेट करते हैं तो नपती नहीं होती है। जो काम आप मजदूरों को देते हैं, अमुक खड्डा खोदना है, मिट्टी खोदनी है, उसकी समय पर नपती नहीं होती है तो क्या आधार है पेमेन्ट करने का? मैंने यह देखा है कि स्त्रियों को चौदह दिन में 8 या 9 रुपया चुकाया है और आदमियों को 12 या 13 रुपया मजदूरी चुकायी है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो जांच के मोहताज हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार उसकी ओर गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

एक तालाब है उसका नाम है वडली। गंगा नाम के गांव के पास में, जो एम०एल०ए० साहब का गांव है, वहां की बात कह रहा हूं। 4 मार्च की यह बात है। तालाब के बिल्कुल

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

समीप है बंध के सामने गडढे के अन्दर सागवान की लकड़ी निकली। सुना जाता है कि उसका फरनीचर भी बना, इन्जीनियर साहब के यहां उदयपुर भी गया। प्रधानजी के यहां भी गया और वह लकड़ी गड़ी हुई मिली उस के ऊपर लीपा पोती करने के पश्चात एक व्यक्ति जिसका नाम भीमजी है, उस पर मुकद्दमा चलाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह सोचने की बात है आठ आठ फीट सागवान के टुकड़े एक व्यक्ति गडढा खोदकर गाड़ सकता है। एक व्यक्ति पर मुकद्दमा करके आपकी सारी और अनियमिततायें हुई है, क्या उसका पता चल सकता है? यह सब लीपा पोती की पराकाष्टा है और माननीय सदस्य मेरे सामने बिराजमान हैं, उन्होंने पहले कोई चने का गुजरात में निर्यात किया, इस प्रकार के उन पर आरोप आये और इस प्रकार के भी आरोप आ रहे हैं संभवत वे भी इस लीपा पोती में लगे हुए हों।

श्री रतनलाल रोत (चोरासी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विरोधी दल के माननीय नेता महोदय कह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उस वक्त मैं गांव में नहीं था और न ही लकड़ी के बारे में, साइट पर तालाब में लकड़ी मिली या न मिली मुझे मालूम था और न मैं लिप्त हूं। वे जो आरोप लगा रहे हैं वे बिल्कुल झूठे हैं।

श्री विजयसिंह: फिर इन्क्वायरी करवा लीजिये?

श्री वृद्धिचंद जैन: इन्क्वायरी के लिये तैयार हैं।

श्री विजयसिंह: करो न इन्क्वायरी?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बडली नामक तालाब के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां यह तालाब बनाया गया है, वहां विशुद्ध रूप से लाखों रुपयों की सागवान की लकड़ी है और वहां के पहाड मेरी हथेली के माफिक साफ हो चुके हैं। ये जो जंगल हैं आदिवासियों के लिये मां बाप थे, वह कटकटा कर हमेशा के लिये समाप्त हो चुके हैं।

अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी डूंगरपुर जिले के दौरे पर गये। समारोह में, मैं यह निवेदन करूंगा कि चालीस मोटरें लाये। पहले तो वायसराय भी छः सात मोटरों में आते थे।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): मैं यह बता दूं कि यह आपको गलत सूचना दी है किसी ने कि चालीस मोटरें लेकर आया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैंने यह देखा है कि तीस मोटरें थीं। दस आगे और दस पीछे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: नहीं, ऐसा नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मुख्य मंत्रीजी इसका डिनाई करते हैं लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर मैं असर्ट करता हूं। वह कह सकते हैं। यह मत मतान्तर का प्रश्न है। इतने लम्बे चौड़े एन्टूरेज के द्वारा दौरा करते हैं तो यह समाजवाद नहीं है। मुख्य मंत्रीजी आये तो हजारों मजदूरों को बुलाया गया। और उन्हें काम देंगे, काम देंगे इत्यादि बातें कही गयी। एक दिन के पश्चात् उनका दौरा समाप्त हुआ तो दूसरे और तीसरे दिन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रुकसत करके कह दिया कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल में यह भी पराकाष्टा है।

मोहनलाल श्री सुखाड़िया : यह किस जगह का उदाहरण दे रहे हैं ?

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : गलियाकोट के आस पास।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किस जगह?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह: सोहनवल्डी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं माही में सबमर्ज होने वाले एरिया में गया था। गलियाकोट में भी सीमित आदमी मिले थे। और आम तौर पर मजदूरों से बात ही नहीं कर पाया।

श्री विजयसिंह : आप पधारे थे तो उनको बुलाया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय नेता महोदय जानते हैं कि जिस परपज से मैं गया था, कितना कितना दौरा रखा था।

श्री बालसिंह सोढा : यह ता सही है कि आप आम तौर पर मजदूरों से बात नहीं करते हैं।

(1 म० प०)

माहारावल श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पर कड़ानाडेम की साइट देखने को जरूर गये थे-गलियाकोट के आसपास और वह क्षेत्र जो बांध के द्वारा प्रभावित होता है, वह देखा है। वहां पर मैं तो उस दिन नहीं गया जिस दिन आप (मुख्य मंत्री) वहां पधारे। लेकिन मैंने सुना कि लोगों को बुलाया गया। दूसरे तीसरे दिन उन को छुट्टी दे दी कि अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। इस बारे में निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाये तो तथ्य मिलेंगे नहीं तो आपका राज्य है। राजा दिन को रात कहे तो रात कहना ...

एक माननीय सदस्य : यह राजाओं के जमाने की बात है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : राजाओं के जमाने की बात हो जब राजा शासक थे, उस जमाने की बात हो, लेकिन आज शासक ये हैं और ये ही शासक की जगह शोषक हो जायें तो क्या करें ? (एक सदस्य के टोकने पर) आप जो कुछ कहें, कहें। आप चाहे कहें रावण है तो वो कहें। लेकिन इस देश के नागरिक के नाते, इस सदन का सदस्य होने के नाते मुझे अधिकार है जो कहने का वह मैं यहां कह रहा हूं। आप सुनना चाहें तो सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री भोगीलाल पंड्या हमारे जिले के प्रमुख थे। अब वे हमारे जिले के प्रमुख नहीं हैं, किन्तु आज भी उनकी जो कुछ आज्ञा है वह एक तरह से वहां कानून है। भीलवा पंचायत में एक तालाब का काम दो दिनों तक चलता रहा और तीसरे दिन इनके कहने से, कर्मचारियों के सामने इन्होंने कहा कि ये सब लोग बदमाश हैं, इसलिये यहां पर राहत कार्य बंद कर दिये जायें, वहां तालाब का कार्य बंद कर दिया गया। ऐसा लगता है श्री भोगीलाल जी पंड्या हिटलर के रूप में एक डिक्टेटर हमारे जिले में बने हुए हैं। उनको क्या अधिकार है ऐसा आदेश देने का यह मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। वे स्वयं जयपुर से डूंगरपुर हर महीने 7-8 दिन के लिये आते हैं राजकीय मोटर से और अपने सगे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सम्बन्धियों से गुजरात में जाकर मिलते हैं और वहां पर एक तरह से नादिरशाही हुकूमत करते हैं। यह व्यवस्था मेरे ख्याल से अनधिकृत है और इसकी मैं निंदा किये बिना नहीं रह सकता।

यहां मैंने एक छोटे से जिले डूंगरपुर के सम्बन्ध में यह खास खास मुद्दे सदन के सम्मुख रखे हैं तो अध्यक्ष महोदय इससे यह अनुमान हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र के अन्दर क्या बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और क्या जैसलमेर, बीकानेर आदि जगहों पर क्या नहीं होता होगा? इस सब का अनुमान करके मैं इस मांग को बड़े अदब के साथ, पुरजोर शब्दों में दोहराता हूं कि अकाल राहत का कार्यों सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये और ऐसी जांच की व्यवस्था सरकार द्वारा अवश्यमेव होनी चाहिये। दूसरे मैं पंचायतों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। हमारी इन पंचायत समितियों के अन्दर नैतिकता का ह्रास हो गया है। और बहुत सी पंचायत समितियां इन एफीशियेंसी की पराकाष्ठा पर पहुंच गई हैं। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज चाहे तो रहे किन्तु कम से कम इसके अन्दर क्वान्टिटी और क्वालिटी तो रहे। आप चाहें तो पंचायतों की तादाद को कम करदें। दो पंचायतों की जगह एक पंचायत करदें। करोड़ों रुपया इस के द्वारा आप बचा सकेंगे। मितव्ययता होगी और इससे उनमें एफीशियेन्सी और निष्पक्षता बढ़ेगी। अभी तो पंचायतों के चुनाव का समय है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी और पंचायतों में भ्रष्टाचार को कम करने और उनमें एफीशियेंसी को बढ़ाने के लिये और मितव्ययता करने के लिये मेरे इस सुझाव पर विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच में जो बातें कहीं गई हैं वे अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं। अगर इस में से आधा लक्ष्य भी इस सरकार ने प्राप्त कर लिया तो मैं समझता हूं सरकार समाजवाद की ओर बढ़ती चली जायेगी। वरना मैं इतना ही कहूंगा कि आपने जो ऐलान किये हैं वे इस कहावत में चरितार्थ होते हैं: थोथा चना बाजे घणां। यह सब विन्डो ड्रेसिंग है इससे अन्दर कोई तथ्य नहीं है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। वह समय आ गया है — इस सरकार के पापों का घड़ा भर चुका है, और वह फूटेगा। (हीयर हीयर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचंद जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1970-71 के बजट अभिभाषण पर मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले मैं उन आंकड़ों के बारे में कहूंगा कि हम हमारे राजस्थान प्रान्त में कृषि उत्पादन में कितने बढ़े हैं। कृषि उत्पादन पर ही हमारी इकोनोमी निर्भर है। और जो आंकड़े बजट भाषण में प्रस्तुत किये गये हैं उस के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि कृषि उत्पादन में हमारी प्रगति बहुत ही धीमी है। राजस्थान की आबादी बढ़ती जा रही है और हमारा कृषि उत्पादन इस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है इसलिये हमें यह देखना है कि हमारा कृषि उत्पादन बढ़े। हम बार बार यह कहते हैं कि हमारा मानसून फेल हो गया इस के कारण कृषि उत्पादन नहीं हो सका। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान की इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है कि पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर से कह सकते हैं कि वहां मानसून तीन

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

साल में, एक साल में और कभी कभी दो दो सालों में आता है। इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस वैज्ञानिक युग में हम सिंचाई के साधन बढ़ावें, लघु-सिंचाई के साधन बढ़ावें और ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे कि वहां नहरें पहुंचें। ऐसा प्रयास किया जाये जैसा कि दूसरे देशों ने किया है अरब सागर से पानी लाकर और उस पानी को एटोमिक एनर्जी द्वारा मीठा करके काम में लिया। हम भी इस तरह से हमारे यहां सिंचाई के साधन बढ़ावें हमारे क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में और राजस्थान की तरक्की करें। इस वैज्ञानिक युग में हम सिर्फ मानसून पर ही निर्भर रह कर नहीं चल सकते। हमें नये अन्वेषण करने पड़ेगें और हमारे राजस्थान की तरक्की करनी पड़ेगी।

दूसरा, मैं अकाल के बारे में विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं। हम यहां अकाल के बारे में बार बार जिक्र कर चुके हैं परन्तु अभी तक अकाल के स्थायी हल के लिये राज्य सरकार उतनी चिन्तित नहीं है जितनी कि होनी चाहिये। मैं विशेष तौर से मेरे जिले का उल्लेख करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने अवश्य ही अनुदान और ऋण की व्यवस्था कर के बाड़मेर जिले के लोगों को, जैसलमेर जिले के लोगों को, शेरगढ और फलोदी की जनता को अवश्य ही लाभ पहुंचाया है। यह स्थिति पैदा की है कि किसी को भी भूख से मरने नहीं दिया जायेगा परन्तु इस से कोई प्रश्न हल नहीं होता। जब तक कि हम स्थायी हल के कार्य नहीं करें। उपयोगी कार्य नहीं करें। मैं बताना चाहता हूं बाड़मेर में यह स्थिति है कि सभी उपयोगी कार्य बन्द हैं। यहां तक स्थिति है कि भू-संरक्षण अधिकारी की टर्म 28 फरवरी को एक्सपायर हो गई। उसके पास कोई स्टाफ नहीं है। उसको वहां कोई कार्य भी नहीं है। तो कतई चल नहीं रहा है यह कार्य।

इसी तरह असिस्टेन्ट इन्जीनियर के ऑफिस में हाल है। वर्क्स सेंक्शन करने भेजे हैं। पर उनकी मन्जूरी अभी तक नहीं आई है। इसी तरह से लघु सिंचाई के काम ठप्प पड़े हैं। जून तक ये काम आप वहां कर सकते हैं। फिर तो वर्षा आवेगी। इसलिये ये कार्य आप वहां तुरन्त चालू करें। इनका स्कोप भी है। ये बान्धों के काम हैं, कडीनों के काम हैं उनको तुरन्त हाथ में लिया जाना चाहिये।

यही तो अवसर मिलते हैं इन क्षेत्रों के विकास करने के और इस अवसर पर भी विकास काम न हों तो यह उचित नहीं है।

अफोरेस्टेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं। बाड़मेर जिले में और पश्चिमी क्षेत्र में आज यह स्थिति है कि जो कुछ थोड़े बहुत जंगल उधर हैं वे आज काटे जा रहे हैं। तो जब तक इस तरह की कटाई रोक कर अफोरेस्टेशन के कार्य इन क्षेत्र में नहीं किये जावेंगे तब तक ये क्षेत्र और भी उजाड़, बीहड़ और वीरान बनते जावेंगे। इसलिये अफोरेस्टेशन की स्कीम लागू करके इस क्षेत्र का इस दृष्टि से भी विकास किया जाना चाहिये। इधर भी थोड़े बहुत पहाड़ हैं, जंगल हैं उनमें अफोरेस्टेशन के काम लाभदायक होंगे, चरागाह भी सुदृढ़ हो सकेंगे।

प्रश्न आता है कि लोग काम के लिये नहीं आ रहे हैं। मजदूरों की जो सीमा बान्ध दी है, इससे कठिनाई है। इस सीमा को

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिये। अभी पांच व्यक्तियों के परिवार के पीछे दो कोलेने की बात है इसे तीन कर दिया जावे, 8 में 3 से लेने की जगह 5 कर दिया जावे। परिवार के सदस्यों की आधी संख्या को कम से कम लिया जावे और जहां पर फ्रैक्शन हो तो आगे के अंक लिये जावें तो स्थिति सुधर सकती है। मजदूर काम पर अधिक संख्या में आ सकते हैं।

तो इस प्रकार हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य आज तो यह है कि हम अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत उपयोगी कार्य। करा के इस क्षेत्र का विकास करें और अगर वे आज भी न हों तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि विशेष तौर से इन कामों में दिलचस्पी ले।

सड़कें कुछ डामर की बनी हैं, कुछ ग्रेवल रोड्स हैं। कुछ का अर्थ वर्क कम्पलीट हो गया है। उन पर ग्रेवल भी पड़ जानी चाहिये। नहीं तो सारा अर्थ वर्क में लगाया गया करोड़ों रुपया फिजूल जावेगा।

आप पानी इन इलाकों में ट्रकों और टैंकों के द्वारा पहुँचा रहे हैं तो उन सड़कों पर ग्रेवल नहां बिछाई जाने से वे टैंक और ट्रक भी खराब हो जाते हैं। इनके लिये भी ग्रेवल रोड़ का होना आवश्यक है।

जो कार्य चलें उनमें बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ। इस भ्रष्टाचार के बारे में बार बार जिक्र कर चुका हूँ। इन भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने से राज्य सरकार को हिचक नहीं होनी चाहिये। मैंने ऐसे मसले भी राज्य सरकार के सामने रखे हैं। रामसर से चोहटन की सड़क के बारे में पहले भी मैं उल्लेख कर चुका हूँ कि वहां 25 मील में 25 लाख रुपया खर्च बता दिया गया है। 25 मील की डामर की सड़क भी बनाई जावे तब भी 25 लाख का खर्चा नहीं आता जब कि यह ग्रेवल ही बनी है। इसकी जांच के कागज एन्टी-करप्शन विभाग को भी भेज दिये गये हैं, पर जांच हो नहीं रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से सामने दिखता हो, जिस 25 मील पर किसी सूरत में चार पांच लाख से ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता हो, उसकी पूरी तरह से तुरन्त जांच होनी चाहिये। सम्भव हो तो ऐसे मामलों में विशेष अधिकारी मुकर्रर करके इसकी जांच कराई जाकर अपराधियों को सजा दी जानी चाहिये।

इसी तरह हाजरी रजिस्टर में गड़बड़ियों की शिकायतें हैं। जब कोई चैंकिग पार्टी आती थी तो सवेरे के समय तो पूरी उपस्थिति कागजों में बताई गई और जांच की गई उसके हिसाब से तो पांच छः सौ लोग कम निकले। तो कई नाम फर्जी लिखे गये या ऐसे नाम थे जो दस बारह मील दूर रहते थे जो वहां आते ही नहीं थे तो इस तरह की शक्तियां जो वहां काम बिगाड़ रही हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा रही हैं उनकी जांच की जाकर उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये ताकि दूसरों को भी सबक मिल सके। और भ्रष्टाचार में लाखों करोड़ों रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्सों के द्वारा वसूल किया गया सरकारी खजाने का रुपया बरबाद होने से रुक सके। राज्य की आर्थिक स्थिति वैसे भी कमजोर है उसमें अगर निर्माण कार्यों पर किया जाने वाला खर्चा भ्रष्टाचार में चला जावे और निर्माण कार्य हो नहीं सके तो यह उचित नहीं होगा। राजस्थान बड़ी आर्थिक संकट की स्थिति

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
में है और इस पर भी करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग हो जावे और जांच भी नाहो उसकी तो इस स्थिति को हम किसी भी सूरत में वर्दाश्त नहीं कर सकते ।

सम्वत् 2025 में वर्षा नहीं हुई, 2026 में भी नहीं हुई । बाड़मेर के 852 गांवों में से 350 में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई । तो इससे पीने के पानी की भी भयंकर स्थिति पदा हो गई है । 69-70 में भी यह स्थिति हो गई कि 173 गांवों में ट्रक और टैंकों द्वारा पानी पहुँचाया जाता था 60 रेलवे टैंकों द्वारा, वहां आज 113 गांवों में ही पानी पहुँचाया जा रहा है । तो जहां पीने के पानी का संकट है, या खारा पानी, है, मनुष्य के पीने लायक नहीं है वहां पीने के पानी को पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये । पहले तो राज्य सरकार ने मिलिटरी ट्रक प्राप्त करके भेजे थे वहां और अपने खुद के ट्रक भी काफी थे । अब राज्य सरकार को चाहिये कि मिलिटरी ट्रक फिर से प्राप्त करके सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से या अपने आपके ट्रकों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये । आज यह स्थिति है कि पहले फेमीन रिलीफ वर्क्स चल रहे थे इसलिये लोग गांवों में से चले गये थे, पर अब काम बन्द हो जाने से वापिस गांव में चले आये हैं । इससे गांवों में पीने के पानी का खर्चा और बढ गया है तो कहीं ऐसा न हो कि पानी लोगों को न मिले । गरमी के दिन आ रहे हैं। अभी भी बहुत पड़ती है गरमी वहां तो । पीने के पानी की व्यवस्था वहां अभी से ही कर दी जानी चाहिये । नहीं तो, स्थिति बिगड़ सकती है, और जैसे पहले बीमारियां फैल गई थी और लोग मारे गये थे, वैसे ही इस बार न हो जाय और बाद में स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाय । इसमें खर्चा करना पड़ सकता है और बहुत से लोगों की मृत्यु हो सकती है । इसलिये मैं पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पीने के पानी की स्थिति के विषम होने से पहले पहले व्यवस्था करदी जावे ।

दूसरी बात, बार बार मैंने इस बात पर जोर दिया है कि लूणी नदी पर जो बान्ध बनाया जा रहा है पाली जिले में और केतूल, गरलिया, सागर, फलूंड बान्ध बनाये जा रहे हैं । इनके बन जाने से हमारा क्षेत्र, जोधपुर जिले का लूणी क्षेत्र, बाड़मेर के सिवाणा, बालोतरा, सिणधरी, गढ़ी क्षेत्र और जालोर का सांचोर क्षेत्र वीरान और उजाड़ हो जावेगा । इन क्षेत्रों में बहुत सींवज है और बहुत से कुए हैं । पम्पिंग सैट्स भी लगे हुए हैं । पानी कुओं में अच्छा है । जब मैं जिला प्रमुख था तब सिवाणा, बालोतरा का इलाका कम्पीटीशन में अपनी प्रगति में प्रथम पांच में आ चुका था और उन्होंने काफी विकास भी किया है । तो हमें इन क्षेत्रों को सुनसान और वीरान होने से हर सूरत में बचाना चाहिये । मैं मुख्य मंत्रीजी से विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि अकाल राहत कार्यों में जो काम हो रहा है, बान्धों का निर्माण हो रहा है पाली जिले में, यह हमारे क्षेत्र के लिये बड़ा घातक है । श्री कंवरसेन चीफ इन्जीनियर ने हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिये योजना बनाई थी । राजस्थान नहर बाड़मेर से होती हुई कच्छ की खाड़ी में ले जाने की उनकी योजना थी । तो वह योजना भी बन्द हो गई अब, और इन बान्धों के बन जाने से लूणी नदी का पानी भी इधर आने से रुक जाय और परिणाम स्वरूप वहां के सारे कुंए सूख जावें सींवजपना समाप्त हो

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जाय और वह इलाका वीरान बन जाय, यह स्थिति किसी भी स्थिति में हम बर्दाश्त नहीं कर सकेते ।

यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि तिलवाड़ा का पशु मेला बड़ा मशहूर है । लूणी नदी का पानी वहां आना बन्द हो गया तो यह मेला भी नाम मात्र का रह जावेगा । इसका कोई महत्व नहीं रहेगा और हमारे सिवाना क्षेत्र को बड़ा भारी नुकसान होगा । जो किसान लाखों रुपये कमाते थे वह वंचित रह जायेंगे । इन सभी दृष्टिकोणों से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लूनी नदी पर जो बान्ध बनाया जा रहा है, उसकी सहायक नदियों पर जो बान्ध बनायेंगे वह तुरन्त रुकवा दिये जाने चाहिये । अगर यह काम कम्पलीट होगया तो फिर यह समस्या आयेगी कि यह काम तो कम्पलीट हो गया अब क्या हो, तो मैं कहता हूं इसको तोड़ना भी पड़े और इसके तोड़ने से बड़े क्षेत्र को लाभ पहुंचता हो तो इस स्थिति का भी गवर्नमेंन्ट को सामना करना चाहिये, इसलिये मैं विशेष तौर से बल देता हूं ।

अब मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि बाड़मेर, बालोतरा नगर में जो ऋण और अनुदान के लिये मैंने निवेदन किया और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि जहां जो काश्तकार या काश्त पर आधारित लोग हैं उन लोगों को अनुदान और ऋण साढ़े बारह प्रतिशत दिया जाना चाहिये; इसका मैं स्वागत करता हूं । पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जो काश्तकार हैं और जो काश्त पर आधारित हैं उनके धन्धे गांव की जनता पर निर्भर हैं जैसे मोची लोग । उनकी स्थिति इस प्रकार की हो चुकी है कि वे अपने खानेपीने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, लोग गरीबी में जूते खरीद नहीं सकते, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है । उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मदद देने के लिये कम से कम जैसलमेर, बाड़मेर के लिये व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि उनका जीवन अस्तव्यस्त हो गया है । उनके लिये मरने का प्रश्न आ रहा है । इसके लिये पूरी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

अब मैं विशेष तौर से राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र बायतू में पाइप लाइन की योजना शुरू करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है । मैं बार बार यह कहता आया था कि बायतू में पानी की योजना शुरू होनी चाहिये । गवर्नमेंन्ट ने जो इसके लिये कदम उठाया है वह सराहनीय है परन्तु कार्य पूरा नहीं होता है इसका बड़ा दुख है । खारे पानी के क्षेत्रों की जो योजना है कोडू से मनावड़ा, कोडू से रामसर और बड़ा से चावा तक और भी क्षेत्रीय योजना है उनको हाथ में लिया जाना चाहिये और पानी की समस्या को हल करने के लिये पूर्ण प्रयत्न किया जाना चाहिये । राजस्थान सरकार ने पानी के बारे में विशेष तौर से दिलचस्पी ली है और चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में 25 करोड़ का प्रावधान किया है उसके लिये मैं राज्य सरकार की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता । इस साल भी दो करोड़ की जो व्यवस्था इस पानी के मद में की गई है अगर वहा बढ़ाई जा सके और पांच करोड़ कर दी जाय तो उपयुक्त होगा क्योंकि पानी जैसी समस्या का हल नहीं करते तो दुख की बात है जो

(श्री बृद्धिचन्द जैन)

वहुत ही आवश्यक है, जरूरी मांग है। पानी के बिना कोई काम चल नहीं सकता है। इस प्रगतिशील जमाने में पानी जैसी आवश्यक वस्तु से भी वंचित रहे तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। खारा पानी पीकर हमारा शरीर कमजोर रहे इस बारे में राज्य सरकार को पूरी तौर से कोशिश करनी चाहिये।

अब मैं विशेष तौर से इस वात के लिये भी बल देना चाहता हू कि प्रधान मंत्री न जो बजट भाषण में समाजवाद का उल्लेख किया है उसका हमारे वित्त मंत्री जी ने भी उल्लेख किया है। प्रधान मंत्री ने सन् 70-71 तक अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिये 25 क रोड़ रुपयों का प्रावधान किया है उसमें बाड़मेर जिले को विशेष तौर से मान्यता ी जानी चाहिये।

अब मैं शराब बन्दी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैंने विशेष तौर से निवेदन किया था पिछले समय में भी कि जो आपने दो दिन का बन्द करने का तय किया है और फिर चार दिन का और इसके बाद फिर छः दिन का और फिर पूर्ण शराब बन्दी की नीति थी वह ठीक नहीं थी। इसका मैंने पहले भी अपने भाषण में जिक्र किया था अब जो गवर्नमेंट ने नीति अपनाई है वह सही नीति है। बाड़मेर, ,जैसलमेर और जालोर जो अकाल ग्रस्त है और जो गुजरात से लगे हुये हैं उनमें शराब बन्दी करके उत्साही कदम उठाया है उसके लिये मैं राज्य सरकार की सराहना करता हूं। परन्तु म साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार निर्णय ले लेती है और टार्गेट फिक्स कर देती है कि अप्रेल, 73 तक शराब बन्दी करनी है तो राज्य सरकार को उस पर दृढ रहना चाहिये। कोई भी परिस्थिति आये परन्तु शराब बन्दी के लिये सरकार को दृढ़ रहना चाहिये। महात्मा गान्धी ने विशेष तौर से शराब बन्दी पर जोर दिया था। आज हमें आजादी प्राप्त किये 23 साल हो चुके हैं परन्तु हमने महात्मा गान्धी के आदेशों का पालन नहीं किया। वे शराब बन्दी पर विशेष तौर से बल देते थे, उनको हमने भुला दिया। जरूर इसके बारें में राजस्थान ने प्रगति की है परन्तु राजस्थान सरकार को चाहिये कि अप्रेल 73 जो फिक्स की है उस तक इसे पूर्णरूप से बन्द किया जाय इसलिये जो तीन जिले लिये हैं और उदयपुर के कुछ क्षेत्र लिये हैं इसके आगे और भी जिले लिये जाने चाहिये और यह कोशिश की जानी चाहिये कि अप्रेल, 73 तक शराब बन्दी करदी जाय।

शराब के कारण जिनका हम भला करना चाहते हैं और राज्य सरकार भला करना चाहती है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का तो इससे उनका बहुत भला हो सकता है। अब यह स्थिति पैदा हो गई है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति इस शराब का ज्यादा प्रयोग करने लगी है इसलिये जो कुछ लाभ देकर या उपयोगी योजना बनाकर, बैंकों आदिके द्वारा ऋण की सुविधा देकर, कुओं के लिये अनुदान देकर करेंगे वह सब शराब बन्दी नहीं होने के कारण बेकार जायगी। अगर शराब बन्दी नहीं होगी तो जितनी आर्थिक स्थिति आप उनकी मजबूत करेंगे वे इस शराब के कारण अपनी आर्थिक स्थिति को चौपट कर देंगे और शराब के कारण अपने सारे चरित्र को भ्रष्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो डेट फिक्स की है, जो टार्गेट फिक्स किया है उसका पालन किया जाय।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अब मैं विशष तौर से विद्युत् की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार विद्युत् के मामले में बड़े प्रयास कर रही है परन्तु बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर जो कि रेगीस्तानी क्षेत्र हैं और अविकसित क्षेत्र हैं जिनका प्रति व्यक्ति व्यय योजनाओं पर सबसे कम हुआ है उनको अगर आप विद्युत् के आधार पर विकसित नहीं करते, उनको अगर आप पिछड़ा हुआ इस समय भी रखना चाहते हैं तो हमारे लिये बड़े दुर्भाग्य की चीज होगी। मैं यह चाहता हूं बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर में जो ट्यूब वैल्स खुद रहे हैं और ट्यूब वैल्स खुद ही नहीं रहे हैं, कमीशन भी किये गये हैं और कार्य में आ रहे हैं तो ऐसे समय में जब कि ट्यूब वैल्स की योजना को गांवों में बढ़ाना है तो चम्बल परियोजना से और भाखरा परियोजना से बाड़मेर, जैसलमेर को भी सम्बन्धित करना चाहिये। अगर योजना से इन जिलों को सम्बन्धित नहीं किया जाता है तो इनका विकास नहीं हो सकता है। आज के वैज्ञानिक युग में, आज के आधुनिक युग में अगर विद्युत् का प्रकाश गांव गांव में नहीं होता, विद्युत का प्रसार नहीं होता तो वे जिले कभी आगे बढ नहीं सकते, वे कभी तरक्की कर नहीं सकते इसलिये मैं बल देना चाहता हूं कि चम्बल परियोजना से और भाखरा परियोजना से बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर को सम्बन्धित किया जाय और इसका विकास किया जाय।

अब मैं भूमि सुधारों के बारे में भी विशेष तौर से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मेरा यह कटु अनुभव रहा है कि सीलिंग के बारे में बार बार घोषणायें राज्य सरकार के द्वारा होती हैं। सन् 60 में यह सीलिंग का कानून पास हुआ और आज दस वर्ष होने आये अभी तक भी सीलिंग के कानून के इम्पलीमेन्टेशन के लिए कोई भी कदम नहीं उठाये हैं। पहले 90 स्टेन्डर्ड एकड़ के लिए कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने घोषणा की थी परन्तु वह भी घोषणा अभी घोषणा के रूप में ही है और उसकी कोई कार्यान्विति नहीं हुई और इसलिए मैं विशेष तौर से यह कहना चाहता हूं कि सीलिंग के कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। मैं विशेष तौर से उल्लेख करना चाहता हूं कि कोई भी ट्रान्सफर्स इस एक्ट के पास होने के बाद में हुए है उन सब को इल्लीगल करार देने चाहिएं। वह कैसे भी ट्रान्सफर्स हों, कैसे भी पर्सन्स के हों, लेण्डलैस पर्सन्स के भी हों तो भी वह ट्रान्सफर्स इल्लीगल करार देने चाहिए। लेण्डलैस पर्सन्स ने भी क्यों इस प्रकार की जमीनें खरीदी ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास सीलिंग से अधिक जमीन थी। अगर आप उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो उस जमीन को आप एलॉट करो लेकिन कानून की तो पालना होनी चाहिए। अगर कानून की पालना नहीं हुई और हमने लेण्डलैस पर्सन्स को जो ट्रान्सफर्स किये गये हैं उनको रेगुलेराइज कर दिया तो इसका बहुत ही ही बुरा परिणाम होगा और गम्भीर परिणाम होगा। यह स्थिति पैदा हो सकती है कि ऐसे व्यक्ति लाभ उठा लेंगे कि जो जेनुइन एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं जैसे उनकी बहन हैं, उनके नौकर हैं और वास्तविक रूप में उसका खातेदार कोई और ही है। इसलिये किलयरली गवर्नमेन्ट को तय कर देना चाहिए कि जो भी ट्रान्सफर्स किये गये हैं उनको इल्लीगल करार दिया जाये और सीलिंग का चाहे कोई भी व्यक्ति विरोध करे, यह यह सीलिंग का कानून लागू किया ही जाना चाहिए....

श्री जगन्नाथ पटेल (टीडारायसिंह) : जब तक कोई सीलिंग कानून शहरी सम्पत्ति पर नहीं लाया जाये तब तक किसानों पर भी सीलिंग का कानून नहीं लगाया जाना चाहिए ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं कि जो यह कहूंगा कि शहरी सम्पत्ति की सीमा को भी निर्धारित किया जाना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : आपको मेरे ख्याल से दोनों ही सीलिंग कानून प्रभावित करते हुए नहीं दीखते हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं बजट अभिभाषण में जो वित्त मंत्रीजी ने विचार रखे हैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं । उन्होंने पेज 19 पर लिखा है :

"इस सन्दर्भ में हम यह बात पुरजोर शब्दों में कहना चाहेंगे कि यदि सम्पत्ति के संबंध में संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों के कारण हमारी आर्थिक नीति के अमल में प्रगतिशील कदम उठाने में रुकावट आती है, तो केन्द्रीय सरकार को समाज के व्यापक हितों में इस अधिकार को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचाना चाहिये ।"

इसलिए कोई भी प्रगतिशील कदम उठायें और अगर उसमें बाधा आती है, या बाधा पहुंचती है तो उसे दूर करने का उपाय करना चाहिये जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो कदम सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट ने उठाया था उसके कम्पन्सेशन के पाइन्ट पर बाधा पहुंची उसे दूर किया जा रहा है । मैं तो यह चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कान्सटीट्यूशन में, यह जो प्रापर्टी के बारे में जो राइट्स दिये गये हैं और उनको जो सुरक्षा दी है उन सुरक्षाओं के संबंध में कॉन्सटीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसके बारे में संशोधन आना चाहिए । इसलिए शहरी सम्पत्ति पर सीमा निर्धारण करने के लिए मैं पूर्ण रूप से पक्ष में हूं । मैं यह नहीं चाहता कि एक व्यक्ति करोड़ों रुपये की सम्पत्ति रख ले, करोड़ों रुपयों के भवन रख लें, आज समाजवाद के युग में । इसको हम किसी तरह से बरदाश्त नहीं कर सकते । मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि हमने इसको आज 23 सालों में नहीं किया और इसके कारण कितने धनी धनवान होते गये । यह हमारी कमजोरी है और हमारी योजनाओं में भी मूलतः कमजोरी है । इसलिए यह प्रयास करना चाहिए और अब प्रयास किया जा रहा है । अभी बजट भाषण में वित्त मंत्रीजी ने उल्लेख किया है और उस पर जोर दिया है और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीजी भी इसका प्रयास कर रही हैं । इसलिए हमें पूर्ण रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि जो धनी ज्यादा धनी बनते जा रहे हैं और गरीब ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं, अगर हमें समाजवाद लाना है तो हमें इसके बीच के अन्तर को कम करना चाहिए । इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि अगर समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें समाजवाद के अनुरूप बनना पड़ेगा । पहले अपने को खुद को त्याग करना पड़ेगा । और मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनके पास और अधिक सम्पत्ति है उनको सम्पत्ति देश के लिए दे देनी चाहिए । अभी मान लें कि 5 लाख से ज्यादा जिनके पास सम्पत्ति है उनको देश के लिए अर्पित कर देनी चाहिए । इसलिए समाजवाद हम लाना चाहते हैं तो हमें समाजवाद के अनुरूप बनना पड़ेगा ।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

आज हम देख रहे हैं कि हम जीपों का दुरुपयोग कर रहे हैं। राज्य में जो मंत्रिमण्डल है और उसके जो सदस्य हैं वे अपने टूर्स का कार्यक्रम बनाते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता। सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि अपने क्षेत्र में जायें और आनन्द करें। दूसरे क्षेत्रों में जाकर नुकसान पहुंचायें। इसके सिवाय अधिक काम उनको वास्तविक रूप में नहीं है। जो सदुपयोग करते हैं मंत्रिगण में उनकी प्रशंसा भी करता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसका सही तरीके से उपयोग हो। उनके मकानों में बिजली है तो बिजली में कम से कम खर्च किया जाये इसके लिये उनको कम खर्च करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर वे अपने आप सेक्रीफाइस नहीं करते, अपने जीवन को समाजवाद के अनुरूप नहीं बनाना चाहते, खर्च अधिक करना चाहते हैं और विलासी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, भोग विलास का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो कभी भी समाजवाद नहीं आ सकता। समाजवाद तभी आ सकता है जब हम उसके अनुरूप बनें। महात्मा गांधी जो कहते थे वही करते थे और जो करते थे वह कहते थे। तो हमें भी उनके कदमों पर चलकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा ....

श्री पृथ्वीसिंह (बाली): अगर आपके सुझावों को नहीं मानेंगे तो आप क्या करने वाले हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : प्रश्न यह नहीं है कि वह मानें या नहीं मानें लेकिन मुझे अपने विचार रखने की आजादी है और अगर हम दृढ़ता के साथ विचार रखेंगे, महात्मा गांधीजी जो कि बिलकुल पतले से आदमी थे और जिन्होंने सारे देश को ही नहीं बल्कि सारे विश्व को प्रभावित कर दिया इसी तरह दस आदमी भी ईमानदारी के साथ इस समाजवाद के लिए अपनी शक्ति लगायेंगे तो उसका असर पड़ेगा और 184 सदस्यों पर पड़ेगा...

श्री पृथ्वीसिंह : सुझाव देने के साथ ही साथ आप विरोध भी कीजिए उसका।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं अभी विरोध ही कर रहा हूं, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मैंने हमेशा विरोध किया है और विरोध करता रहूंगा, जब तक सांस है तब तक मैं इसका विरोध करता रहूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : फिर और क्या चाहते हैं अगले का सांस ही काढ़ो तो बात अलग है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : चाहे कोई सीकर जाकर रंगरेलियां करे, चाहे कोई जयपुर में करे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब मैं यह कहना चाहता हूं कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और अन्य जिले जो अविकसित हैं उनकी भूतल-जल की दृष्टि से सर्वे भी की जानी चाहिए। अभी डिटेल्ड सर्वे नहीं किया गया है। बाड़मेर जिले में डिटेल्ड सर्वे नहीं किया गया। डिटेल्ड सर्वे करके सही पोजीशन मालम करनी चाहिए और उन जिलों की सर्वे को प्राथमिकता देनी चाहिए और फिर बाद में वहां पर ट्यूब वैल्स खोदने चाहिए। पोजीशन तो यह है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर इन जिलों में भूतल-जल की दृष्टि से सर्वे करने का जल्दी से जल्दी आदेश देकर उनकी सर्वे कराई जानी चाहिए।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अब मैं विशेष तौर से इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में कमी थी डी० एम० एच० ओ० औफिस की। वहां पर डी० एम० एच० ओ० आफिस राज्य सरकार ने स्थापित कर दिया है। इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। परन्तु और भी कमियां हैं। हमारे बाड़मेर में कोई क्वालिफाइड सर्जन नहीं है इसलिये सर्जन की जो कमी है वह हरेक को खलती है। वहां पर अच्छे सर्जन की व्यवस्था करनी चाहिए। पैथोलाजी के बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं है और हर चीज के लिए जोधपुर जाना पड़ता है। एक्सरे मशीन की यह हालत है कि वह एक साल से बेकार पड़ी है। जब भी एक्सरे मशीन की आवश्यकता होती है तो जोधपुर आना पड़ता है। तो इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए।

विशेष तौर से मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने, विशेष रूप से वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है और जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं की मैं प्रशंसा करता हूं विशेष तौर से यूथ बोर्ड के गठन की। इसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा....

श्री मूलचन्द डागा : उम्र भर रहूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उम्र भर रहूंगा। मुख्य मंत्रीजी के सभापतित्व में यूथ बोर्ड के गठन का तय किया गया है। यह गठन केवल गठन ही न रह जाय और कोई कार्य न हो। गठन शब्द तो बहुत अच्छा है लेकिन कार्यान्वियन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे नवयुवक गलत दिशा में जा रहे हैं और विशेष तौर से आर० एस० एस० एक्टीविटीज धारण कर रहे हैं, और हमारे उन विद्यार्थियों का दिमाग खराब हो रहा है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे अधिकांश टीचर्स आर० एस० एस० माइन्डेड हैं और उनकी एक्टीविटीज़ आर० एस० एस० बेस्ड हैं। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जो आर० एस० एस० एक्टीविटीज में हैं उन पर आप नियन्त्रण करें, क्योंकि वे हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका जीवन गलत रास्ते पर ढाल रहे हैं। इसलिए मैं यह भी विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि यूथ बोर्ड का गठन किया गया है वह इसलिए किया गया है कि आर० एस० एस० एक्टीविटी का ज्यादा फैलाव हो रहा है और गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स और विद्यार्थियों में बहुत ही जहर फैल रहा है, उसे रोका जाय। इसलिए यूथ बोर्ड में आप इन एक्टीविटीज़ को लें जो गलत रास्ते पर न जाने दें। आज इस प्रकार की जो कार्यवाहियां चल रही हैं उन्हें रोका जाय। हमारी सेक्यूलर स्टेट है और उसके सेक्यूलर स्टेट के स्वरूप को रखना है तो मैं यह कहना चाहता हूं-और विशेष तौर से कहना चाहता हूं-कि अगर आप आर० एस० एस० एक्टीविटीज पर प्रतिबन्ध न लगा सकें तो अपने कर्मचारियों पर तो नियन्त्रण करिये, उन पर नियन्त्रण करने के लिए जो कुछ कदम राज्य को लेने चाहिए वे लिये जायं और वह कदम जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहना चाहता हूं कि हमारे अधिकारी आर० एस० एस० माइन्डेड हैं और वे जो प्रचार कर रहे हैं आर० एस० एस० का, वह खतरनाक प्रचार है। आप समाजवादी सरकार की रचना करना चाहते हैं और ये आर० एस० एस० ओरियेन्टेड हैं गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स, वे समाजवाद ो किसी भी तरीके से लाने नहीं देंगे। इसलिए

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हमें समाजवाद को लाना है लेकिन आपकी मशीनरी समाजवाद के अनुरूप नहीं है। आपकी मशीनरी आर० एस० एस० ओरियेन्टेड है। आपकी मशीनरी इस प्रकार की है जोकि रिएक्शनरी है, आपकी मशीनरी जो है वह गरीब आदमी का भला नहीं चाहती है। आज कोई भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट गरीब आदमी का भला नहीं चाहता है। पूंजीपति और पैसे वाले तो अपने आप भला कर लेते हैं, मगर यदि वे गरीब आदमी का भला नहीं सोचते हैं तो वे सही गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं हैं, क्योंकि समाजवाद लाने के लिए जितने भी कार्य हैं उनका इम्प्लीमेन्टेशन यह मशीनरी करती है, और यह समाजवाद के अनुरूप नहीं है। इसलिए इस मशीनरी में विशेष रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और इसमें क्रान्तिकारी कदम लेना है। अगर आप क्रान्तिकारी कदम नहीं लेंगे तो प्रगति नहीं कर सकते हैं।

प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेज के बारे में जो विचार वित्त मंत्रीजी ने रखे हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। यह प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेज आज समाजवादी युग में एप्रोप्रियेट नहीं हैं। एक प्रश्न यह उठा है कि इनको लेना कान्स्टीट्यूशन का ब्रीच है, तो यह कोई कान्स्टीटयूशन का ब्रीच नहीं है, उनके साथ में जो एग्रीमेंट है उसका ब्रीच है, तो कोई एग्रीमेंट का ब्रीच नहीं है। हम प्रगतिशील कदम उठाना चाहते हैं और प्रगतिशील कदम उठाने में जो रोड़े आयेंगे, उन रोड़ों को भी हटाना है और दृढ़ता के साथ हटाना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूं कि अगर प्रोपर्टी राइट के संबंध में कान्स्टीट्यूशन में रद्दोबदल करने की जरूरत हो, तो उसमें भी रद्दोबदल करें। कम्पेन्सेशन के रूप में करोड़ों रुपयों का लाभ उन्होंने उठा लिया है। अब क्या जरूरत है कम्पेन्सेशन की। कम्पेन्सेशन भी नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी सूरत में उनको कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाना चाहिए।

दूसरे, वृद्ध और अपंग व्यक्तियों की पेन्शन 20 से 30 रु० बढ़ाने का जो कदम उठाया है, वह सराहनीय कदम है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

वजीफा देने के बारे में जो ग्रेजुएट्स एम० ए० पास करना चाहते हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स् के, उनके लिये जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं। साथ में मैं कुछ कहना चाहता हूं, विशेष तौर से हरिजनों के लिए, भंगियों के लिए। उनके सिर पर मैला ढोने की प्रथा को बन्द करने के बारे में राज्य सरकार के कदम उत्साहपूर्ण नहीं है। पहले भी घोषणा की थी हमारे वित्त मंत्रीजी ने अपने पहले भाषण में उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है, लेकिन उसके लिए कोई रचनात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं। कोई भी उनके लिए ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे सर पर मैला ढोने की प्रवृति बन्द की जाय। यह हमारे लिए, मैं कहता हूं, कि अच्छी चीज नहीं है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिए श्राप है। इस प्रकार से हरिजन अभी तक सर पर मैला उठाते हैं तो इस कुप्रथा को जल्दी से जल्दी बन्द किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को इसमें कितना भी खर्च करना पड़े, वह खर्च करके इस कुप्रथा को बन्द करना चाहिए।

अब मैं होस्टल्स के बारे में कहना चाहता हूं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
मैंने अच्छी तरह से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के होस्टल्स देखे हैं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि होस्टल्स न हों। अगर अलग होस्टल्स रहे तो यह वर्ग अलग ही रहेगा और हम बिल्कुल अलग रखेंगे इनको। क्या हम चाहते हैं कि यह अलग रहे या इसको समाज में लाना चाहते हैं और हिन्दु समाज में समा लेना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? इसके लिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट होस्टल्स हों। यह आप करदें कि 75 पर्सेन्ट उनको लिया जायगा और 25 पर्सेन्ट दूसरे जो हैं हिन्दु, मोहमडन्स, ईसाई हैं उनको लिया जायगा। तो आपको गवर्नमेंट होस्टल्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और यह नीति अभी से आपको अपनानी चाहिए, नहीं तो भंयकर स्थिति पैदा होगी और उसके भंयकर परिणाम होंगे। इसलिये समाज कल्याण विभाग इसको नोट करलें। इस तरह से अलग होस्टल्स रखने की प्रवृत्ति कुछ वक्त तक के लिए ठीक हो सकती थी क्योंकि हमें प्रगति करनी थी। वह स्टेज अब गुजर चुकी है। अब इन होस्टल्स के बारे में गवर्नमेंट को पुनः सोचना चाहिए और गवर्नमेंट होस्टल्स हो जायं जिनमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थी रखे जायं या 75 पर्सेन्ट उनको रखा जाय और 25 प्रतिशत दूसरे रखे जायं। यह गवर्नमेंट होस्टल्स होने चाहिए, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के होस्टल्स बढ़ा रहे हैं तो यह व्यवस्था आज तो किसी तरीके से ठीक नहीं है।

दूसरे, गंगानगर जिले का जो मूवमेंट आज चल रहा है उसके बारे में मैं विशेष तौर से यह कहना चाहता हूं कि हमें पूंजीपति किसानों के सामने किसी भी तरीके से झुकना नहीं चाहिए। हमारे लैण्ड रिफार्म्स की जो प्रगति है उसमें जो रुकावटें डालते हैं....

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : पूंजीपति हैं क्या?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सुन तो लें।

पूंजीपति किसान किस तरह से हमारी नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। हमारा सीलिंग एक्ट 60 में पास हो गया था लेकिन उसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मैं यह कहता हूं कि वे फिर रुकावटें डालेंगे और आन्दोलन करेंगे। मैं कहता हूं कि ऐसे आन्दोलन के सामने नहीं झुकना चाहिए। इसलिये मैं विशेष तौर से इस बात को कहना चाहता हूं कि जो पूंजीपति किसान हैं....

श्री हंसराज आर्य : आन्दोलन करेंगे अगर उनकी मांगें नहीं मानो तो।

श्री उपाध्यक्ष: इनका कहना है कि झुकना नहीं चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पूंजीपति किसान कौन होता है, यह आप नहीं समझे हैं। पूंजीपति किसान वह है जिसके पास में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है। वहां पर ऐसे ऐसे किसान हैं जिसके पास में 20-20 लाख की सम्पत्ति है। क्या वे पूंजीपति किसान नहीं हैं?

वह धन सम्पत्ति का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, शराब के अन्दर...

श्री मनोहरसिंह मेहता : शेम, शेम।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आज वहीं मरडर तक बढ़ रहे हैं।

श्री हंसराज आर्य : शराब तो तांगे वाले भी पीते हैं, शराब से तुलना मत कीजिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह पैसे के मद में भोग विलास कर रहे हैं। जो रिटायर्ड आई० ए० एस० हैं, उन्होंने भी खेती करना शुरू कर दिया है।

श्री हंसराज आर्य : आप सभी को पूंजीपति मत कहिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप पूंजीपति किसान नहीं हैं।

श्री हंसराज आर्य : गंगानगर में 80% गरीब आदमी हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : गंगानगर में 90% नहीं हैं, 10% तो हैं। उन्हीं के लिये कह रहा हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उनको पूंजपति क्यों कहते हो? वह खुद खेती करते हैं वह किसी जागीरदार के नौकर नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं कहां कह रहा हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री : पूंजीपति उनके पीछे लगते ही नहीं हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह भी मैं स्थिति बतला देना चाहता हूं कि आज जो हरी क्रान्ति हो रही है, ऐसा है, इस हरी क्रान्ति के नाम पर पूंजीपति किसान जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, पूंजीपति किसान अपने पैसे को ब्लैक से व्हाइट करने के लिए आते हैं। ट्रैक्टर और जमीन खरीद कर खेती में लगा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जोकि खुद तो मोज करते हैं, नौकरों को नौकरी पर रखा हुआ है। ऐसे मुरब्बेदार हैं वे नौकरों से क्यों खेती कराते हैं। गरीबी के नाम पर वह बढ़ गए सीलिंग को दबाया जा रहा है।

(कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : (श्री रामानन्द अग्रवाल से) आप तो समाजवाद में चले गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह जो उधर बैठे हैं इधर भी बैठे हैं दोनों तरफ हैं। सीलिंग कानून लागू करना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गंगानगर जिले के अन्दर..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ बड़े बड़े जागीरदार हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपको तो समर्थन करना चाहिए।

श्री हंसराज आर्य : रामानन्दजी कह रहे हैं कि वहां बड़े बड़े मुरब्बेदार हैं। वह कौनसे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कहा आपने?

श्री हंसराज आर्य : आप मुरब्बेदार किन्हें कहते हैं?

Page No 69

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो सीलिंग से ऊंचे वाले हैं, उनको।

श्री भगवानदास शास्त्री : जनता की मांग कह कर आप उस आन्दोलन को कमजोर कर रहे हैं। आप गरीबों के समर्थन की बातें करते हैं।

श्री हंसराज आर्य : मैंने आन्दोलन को सपोर्ट किया है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री आर्य से) : आप यों ही गुस्सा हो रहे हैं। पहले आप किसानों के नाम पर गुस्सा हो गये। उनका इशारा आपकी तरफ नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरे माननीय सदस्य समझ नहीं सके हैं। 10% से कम हो सकते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पूंजीपति किसान हैं गंगानगर में दूसरी जगह भी हो सकते हैं।

श्री हंसराज आर्य : पूंजीपति सबको नहीं कहें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं कहना चाहता हूं कि यह जो देश में हरी क्रान्ति आ रही है, कहीं ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जाए कि पूंजीपति किसान छोटे छोटे किसानों की सम्पत्ति को समाप्त न करदें। ये छोटे छोटे किसान कम्पीटीशन में ठहर नहीं पायेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि समाजवाद की स्थापना में छोटे छोटे किसानों को विशेष सुविधा देनी पड़ेगी। लोन्स दिये जा रहे हैं बड़े किसानों को, मैं तो कहता हूं उन लोगों को लोन्स देना बन्द कर देना चाहिए। कोई वजह नहीं है कि उनको लोन्स दिये जायें।

श्री उपाध्यक्ष : गंगानगर आपने देखा है या नहीं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने देखा है, प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग में गया था।

श्री उपाध्यक्ष : मीटिंग में गये थे तो कुछ खास नहीं देखा है।

श्री हंसराज आर्य : गंगानगर में सिंचाई भाखड़ा नंगल और राजस्थान कैनाल से होती है। 20% सिंचाई होती है और 71% आज भी नान कमाण्ड है। और हमेशा रहेगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : पूंजीपति आप जमीन के बीघों से मान रहे हैं या आमदनी से हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आमदनी है।

श्री नत्थीसिंह : कितनी आमदनी है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जिसकी 10 लाख से ज्यादा हो।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : यह सरकार 3600 रुपयों की आमदनी वालों को पूंजिपति मान रही है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं विशेष तौर से इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि खुशहाली कर लगना चाहिए। अगर खुशहाली कर बाड़मेर जिले पर लगाते हैं तो हम तैयार हैं। अगर खुशहाली होती है तो ऐसी जगह पर लगाना चाहिए। अगर कोई तैयार नहीं होता है तो वह खुशहाली के लिए तैयार नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : हमें पानी पूरा दिया जाए, खुशहाली कर आप भर पेट लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो खुद ही पेंशन पर रह रहे हैं। कहीं खुशहाली कर की बात कर रहे हैं।

(2 म० प०)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यात्री माल कर की बात है, यह जो गाड़ियों पर बढ़ेगा तो किराया ज्यादा कर देंगे। और किराया जब ज्यादा होगा तो इसका गरीब आदमियों पर असर पड़ेगा। हम समाजवाद लाना चाहते हैं इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो थर्ड क्लास का रेल का किराया है वह पहले ही सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने ज्यादा लगा रखा है, अब भी किराया है, यह गाड़ियों का किराया है, यह अब भी ज्यादा है। इसके अलावा जो बसेज का किराया है, यह रेल गाड़ियां के किराये से भी ज्यादा है। इसके उपरान्त आप यात्री एवं माल कर लागू कर देंगे तो इनका किराया और बढ़ेगा और यह कर भी गरीब आदमियों पर लागू होगा। इसलिए इसके सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट को सोचना पड़ेगा क्योंकि इसका, इस कदम का गरीब आदमियों पर असर पड़ता है।

दूसरे जो टैक्स लगाये है, जो अधिकांश टैक्स लगाये है, उनके लिए मैं वित्त मंत्रीजी की प्रशंसा करूंगा। यह जो उन्होंने टैक्स लगाये हैं, यह टैक्स साधारण व्यक्तियों पर नहीं पड़ते हैं। लेकिन यह जो कर लगाया गया है इसका साधारण व्यक्तियां पर असर पड़ेगा, इसलिए इस कर को वापिस लिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, ऑर्डर? माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि गोटा किनारी पर बिक्री कर नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि गरीब किसान हैं, वह गोटा-किनारी यूज करते हैं, यूज किया करते हैं। मेरा निवेदन है कि गरीब किसानों को भी श्रृंगार करने का अवसर दिया जाये। इसलिए इस पर आप बिक्री कर मत लगाइये...

श्री मूलचन्द डागा : बाड़मेर में ज्यादा लगाते है गोटा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अवश्य अवश्य! बाड़मेर में महिलायें लगाती हैं।

पेट्रोल? पेट्रोल पर पहले ही सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने कर बढा दिया है इसलिए इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि यह कर नहीं बढाया जाय क्योंकि इसका असर भी बाद में गरीब किसान पर ही पड़ता है क्योंकि चार्जेज किराये के बढा देंगे या यह लोग माल ढोने की रेट्स बढा देंगे और यह सब कर भार जाकर गरीब आदमियों पर पड़ेगा इसलिए इसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।

दूसरे जो टैक्स हैं वह चावल, मछली एरेटेड वाटर, देशी शराब,-इन पर जितने भी टैक्स लगाये गये हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा पहले गवर्नमेंट ने पापड़ और मंगोड़ी पर टैक्स लगाया था, अब इनको उससे मुक्त कर दिया है, उस टैक्स से। मैं विशेष तौर से बीकानेर के लिए कहना चाहता हूं कि वहां वास्तव में पापड़ और मंगोड़ी विधवाओं की आय का सोर्स है। इससे उन्हें बड़ी भारी रिलीफ मिलेगी।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

साथ ही पापड़ और मंगोड़ी का गरीब आदमी ही प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसलिए मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इन पर से टेक्स हटाया गया है।

मैं यह विशेष तौर से निवेदन कर रहा हूं कि इस बजट में समाजवाद की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया है, परन्तु हमें और भी आगे बढ़ना है इसलिए सबसे पहले मैं यह विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि देश के निर्माण, राष्ट्र के निर्माण, इस प्रान्त के निर्माण में हमें अपने को भी त्याग करना है और अपने चरित्र और अपने जीवन को समाजवाद के अनुरूप बनाकर इस देश को आगे बढ़ाना है। इन शब्दों के साथ मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर श्री अम्बालाल।

डा० अम्बालाल (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट तो कई विशेषताओं से भरा हुआ है, और मैं समझता हूं..

श्री हंसराज आर्य : जोर से बोलिये, सुनाई नहीं देता है।

डा० अम्बालाल : इस बजट पर सामान्य वाद-विवाद में माननीय विद्वान सदस्यगण अपनी विद्वता का परिचय देंगे। मैं कुछ साधारण बातें इस बजट के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा और साथ ही अजमेर के विषय में जो अनुभव कर रहा हूं, वह भी आपके सामने निवेदन करूंगा।

आज सबसे ज्यादा कठिन और विषम समस्या इस देश के सामने है वह पठित लोगों के अनएम्प्लायमेंट की है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां भी क्रांतियां हुई हैं और जहां भी परिवर्तन हुए हैं, गवर्नमेन्ट बदली गई है, गवर्नमेन्ट नष्ट हुई है और नई गवर्नमेन्ट आई है, जैसे इण्डोनेसिया के अन्दर—वहां विद्यार्थियों की क्रांति के यह परिवर्तन हुए हैं। आज हमारे देश में विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा असन्तोष है—यह सब मानते हैं, सब पार्टियां मानती हैं, गवर्नमेन्ट मानती है, ऊपर से लेकर नीचे तक यह बात सब स्वीकार करते हैं। हम इसके कई कारण बताते हैं। हम कहते हैं कि विद्यार्थियों में असंतोष इसलिए है, लेकिन मुख्य और मूल कारण जो है वह यह है कि उनके सामने आज अंधकारमय भविष्य है, यह स्पष्ट है, दिस इज क्लीअरली रिटन ऑन दी वाल। इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। उनके सामने भविष्य के प्रति किसी प्रकार का सन्तोष नहीं है। वह समझते हैं कि हम किस जगह और कहां पर जायेंगे? भले ही वह एम० ए० कर लें तो भी उनके सामने कोई स्पष्ट भविष्य नहीं है। इसके दो कारण है। एक तो यह है कि गवर्नमेन्ट की प्लानिंग है उसके अन्दर आरम्भ में ही देश के जितने शिक्षा शास्त्री हैं, जैसे, उपाध्यक्ष महोदय, जस्टिस छागला जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने प्लानिंग में दोष बताये थे—वह सब आप लोग जानते हैं रात दिन पढ़ते हैं। तो प्लानिंग में गल्ती हुई, उसको अच्छी तरह से, गम्भीरतापूर्वक देखा नहीं, स्टीरियो टाइप है वह। अन्धा न माने तो यथा अंधा जिस प्रकार से चला जा रहा है उसका उसी प्रकार और अन्धे अनुकरण करते जा रहे है, उसी प्रकार अन्धानुकरण

(डा० अम्बालाल)

होता जा रहा है और किसी ने उसको विशेष महत्व दिया नहीं है । इसलिए आज अनएम्प्लायमेन्ट बढ़ता जा रहा है। आज लड़कियों में भी अनएम्प्लायमेन्ट बढ़ रहा है । आज जीवन संघर्ष इतना हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं, आज पति के कमाने से कुछ होता नहीं है, इसलिए पत्नी को भी साथ देना पड़ता है । इससिए आज पति और पत्नी दोनों में असन्तोष हो रहा है। एक तो कारण यह है—भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार जो है, मैंने पहले भी निवेदन किया था, प्रान्त का, राष्ट्र का यह गुण-दोष राष्ट्र व्यापी हो गया है । और मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आज स्थिति यह हो रही है कि भ्रष्टाचार पर बोलना समय को नष्ट करना है । इस भ्रष्टाचार को नेशनेलाइज कर देना चाहिए । बहुत सारी चीजों का नेशनेलाइजेशन गवर्नमेंट करती है, तो इसका भी कर देना चाहिए। यह कह देना चाहिए कि चपरासी से लेकर ऊपर तक, सब जगह जो भ्रष्टाचार है—यह एक असाध्य रोग है, यह कैंसर है, यह किसी प्रकार जाने वाला नहीं है, न शब्दों से जाने वाला है और न किसी और चीज से जाने वाला है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार एक तो यह चीज है, दूसरे आज विद्यार्थी जानते हैं कि हमारे यहां होने पर भी नेपोटिज्म होता है । मैं आपको निवेदन करूं, मेरे पास कई विद्यार्थी आते हैं, कई ग्रेजुएट आते हैं । कहीं कोई एक क्लर्क के लिए जगह खाली हुई तो पिचहत्तर केन्डीडेट्स की एप्लीकेशन पहुंची । मेरे पास भी दो चार व्यक्ति पहुंचे तो मैं अधिकारी से मिला । उन्होंने कहा कि हमारे पास टेलीफोन आ जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह से टेलीफोन आ जाते हैं । यह सब अपाइन्टमेन्ट केवल मेरिट पर होने चाहिये । इस सम्बन्ध में इन्टेग्रिटी रहे तो आंशिक रूप से यह प्रश्न हल हो सकता है । इसके अलावा यह नहीं हुआ तो आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लायमेन्ट कितना आज भारतवर्ष में है । मैं आज फिगर्स भूल आया हूं । मुझे पता नहीं था कि आज बोलना है, नहीं तो मैं सब फिगर्स इस सदन के सामने रखता कि राजस्थान में कितना अनएम्प्लायमेंट आज पढ़े लिखों का बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जायगा । इसका परिणाम आप देख रहे हैं, आज बंगाल में क्या हो रहा है—यह आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बम्ब छूट रहे हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो हो रहा है वह आप देखते हैं, मैं भी देखता हूं, सारा देश देख ता है—आज हालत क्या हो रही है ? दूसरे देशों में क्या हालत है ? इसका कारण क्या है ? आज यंग मेन आर एंग्री, आज नौजवान सब दुखी हैं, क्षुब्ध हैं, नाराज हैं। इसका कारण यह है कि उनके सामने आज कोई भविष्य नहीं है। श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि हम आज समाजवाद को स्वीकार करते हैं, मैं आपसे कहूं, आज हमारे बीस वर्ष वेस्ट हो गये हैं, इन बीस वर्षों में हमने क्या किया है ? हम देख रहे हैं, हमारे साथी देश जापान को देखिये । वह कहां से कहां पहुंच गया है। दूसरे देश कहां से कहां पहुंच गए हैं। वैसे तो रोज बरोज थोड़ी बहुत प्रगति होती है, वह प्रकृति करती है।

(डा० अम्बालाल)

लेकिन अब जाकर समाजवाद सूझा है। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी समाजवाद के जन्मदाता थे। महात्मा गांधी भारतीय पद्धति के समाजवाद को मानते थे। उन्होंने कहा था, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार, हमारे रिपब्लिक में सबसे पहला प्रेसीडेंट एक हरिजन कन्या को बनाया जाय, एक हरिजन को बनाया जाय। कम से कम अगर यह चीज हो जाती, यह मान ली जाती हमारी रूलिंग पार्टी, शासक वर्ग के द्वारा तो एक प्रश्न तो स्वत: ही हल हो जाता। आज जो अनुसूचित जाति और परिगणित जाति के करोड़ों आदमियों का संघर्ष चल रहा है, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जो कोढ़ है समाज के अन्दर, देश के अन्दर—वह स्वतः ही दूर हो जाता। मैं निवेदन करूं, वह नहीं हुआ, वह तो नहीं हुआ, श्रीमान्, हमारे यहाँ जो ऐसा योग्य आदमी था, जो भारतवर्ष के योग्यतम पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष था, डाक्टर अम्बेदकर—ऐसे आदमी को भी प्रेसीडेंट बनाने के लिए चुना नहीं गया। यह स्पष्ट बातें मैं बता रहा हूं। यदि यह हो जाता तो आज जो दस करोड़ अनुसूचित जाति और परिगणित जाति के हैं या इससे भी ज्यादा हैं—इनका प्रश्न हल हो जाता विद वन स्ट्रोक आफ पेन। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसकी उपेक्षा की गई। मैं निवेदन कर रहा हूं कि परिगणित जातियों के लिए वित्त मंत्री जी ने कुछ प्रावधान रखा है और कुछ सुझाव इस सम्बन्ध में दिये हैं। यह बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करती हूं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि आज जो पशु जीवन व्यतीत कर रहे हैं बारह करोड़ या दस करोड़ आदमी और स्त्रियां उनके लिए इस प्रकार अट्ठाइस प्रतिशत रिजर्वेशन करने से कुछ नहीं होगा। जिस रोज सारे देश की मशीनरी इसको मिटाने के लिए मोबिलाइज होगी, इस रोग को मिटाने के लिये कृत संकल्प होगी, जितने समाज के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं—वह आगे बढ़ कर इसके लिए काम करेंगे उस रोज यह रोग मिट सकता है वरना कुछ नहीं हो सकता। आज भी हरिजनों की नरबलि दी जाती है, आज भी वह बेचे जाते हैं, आज भी कुओं पर उनको मार दिया जाता है, उनके पैर तोड़ दिये जाते हैं, आज भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज सारे संसार के अन्दर सिवाय अमेरिका के, जिस प्रकार अमेरिका में नीग्रोज के ऊपर अत्याचार होता है, उसकी तुलना में उतना अत्याचार कहीं नहीं होता है। आज मैं आपको कह रहा हूं कि बीस वर्षों की स्वाधीनता के बाद, जबकि हमारा विधान वैसा का वैसा है, हमने इस समस्या के लिए क्या किया? हम इस जाति भेद के प्रश्न को हल नहीं कर सके हैं। यह हिन्दू जाति के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ा दी है, नौकरियों में रिजर्वेशन बढ़ा दिया है इन लोगों के आंसू पोंछने के लिए। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक प्राचीन पुस्तक मैंने पढ़ी थी, थ्यूसीडाइडीज एक ग्रीक दार्शनिक हुआ है, बहुत बड़ा दार्शनिक, कई हजार वर्ष पहले हुआ जिन दिनों में यूनान की अवस्था गिरती जा रही थी, जैसे आज भारतवर्ष की गिरती जा रही है, आज कहा जा

Page No 74

(डा० अम्बालाल)

रहा है कि हमने बहुत तरक्की की है, हम प्रचार के लिए कह देते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है पर स्थिति आज इसके बिल्कुल विपरीत है, भुक्तभोगी जानते हैं कि क्या तरक्की की है, आज महंगाई बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, हर प्रकार से स्थिति बिगड़ रही है फिर भी आप कहते हैं कि बहुत तरक्की की है तो मैं भी मान लेता हूं। तो जिस तरह आज भारतवर्ष की दुर्व्यवस्था हो रही है, इसी तरह सब दृष्टि से यूनान की भी बड़ी दुर्व्यवस्था हो रही थी। जब यूनान के लोग भूखों मर रहे थे तो यूनान के शहर का शासक वर्ग भूखे लोगों को नशा पिलाता था। नशा क्या था ? जब भूख की आग से यूनान के लोग तड़फड़ा रहे थे तो उनके लिये सर्कस मंगाये जाते थे, उनको सर्कस दिखाये जाते थे, नाच दिखाये जाते थे, खूब गानें होते थे और भखे आदमी पेट को बांधते हुए सर्कस देखते थे नाच देखते थे गाना सुनते थे। ठीक वही दशा आज हमारी है। हम भूखे हैं, आज लाखों आदमी भूखे पेट पटरी पर सोते हैं, मैं अजमेर में देखता हूं, कि लोग पटरी पर सोते हैं, बम्बई में लोग पटरी पर सोते हैं और बम्बई में सर्दी से लोग मरते हैं। गर्मी से लोग मरते है, और भूख से मरते हैं आज वेलफेअर स्टेट का प्रथम कर्त्तव्य तो यह है कि भूखे लोगों को अन्न दे, वस्त्र दे और रहने के लिये आवास दे। यह नहीं कर सके तो वेलफेअर स्टेट नहीं। यह समाजवाद है क्या ? श्रीमान् यह तो पाखंड है। इस पाखंड के रास्ते को छोडकर अगर सही अर्थों में समाजवाद लाना चाहते हैं तो पहले आप उसके अनुकूल आचरण कीजिये। क्योंकि :

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त तदेवेतरो जनः।

समाजवाद लाना चाहते हैं तो पहले आप महलों को छोड़ दें, केन्द्र के मन्त्री महलों को, बंगलो को छोड़ दें, आप छोड़ दे तो समाजवाद होगा, नहीं तो हम समझेंगे कि इट इज ए स्लोगन।

तो श्रीमान् परिगणित जातियों की आज यह अवस्था है, विद्यार्थियों की यह अवस्था है।

अब मैं अजमेर के बारे में थोड़ा सा निवेदन करदूं। अजमेर का कुछ डेवेलपमेंट हुआ है पर 20 वर्षों की स्वतन्त्रता के बाद जैसा होना चाहिये वैसा नहीं हुआ है। अजमेर में एक इन्डस्ट्रियल ओर्गेनाइजेशन है एच०एम० टी० का उससे कुछ बेकारी दूर हुई है पर रेल्वे का वहां एक बड़ा कारखाना है जो विलय से पहले सबसे बड़ा कारखाना था, वहां नये एंजिन्स बनते थे, वहां नये वैगन्स बनते थे पर वहां अब सब बन्द हो गया है, केवल रिपेयर के लिये रह गया है। इस का कारण यह है कि अजमेर का केन्द्र में कोई प्रतिनिधि नहीं है, मारवाड़ी कहावत के अनुसार कोई धणी धोरी नहीं है, अजमेर के लिये कोई चिल्लाने वाला नहीं है कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है। यह एक ही कारखाना अगर अजमेर में पूरी तरह से चालू हो जाय तो अजमेर की बेकारी मिट सकती है।

अजमेर की दूसरी भयंकर प्रोबलेम है पानी की। यह ठीक है कि कुए खुदवाये गये हैं, बनास में कुएं खुदवाये है, मैं भीखा भाई के साथ वहां गया। मैंने देखा कि वहां कुएं खोद रहे हैं पर यह कोई अच्छा स्थाई हल नहीं है। अजमेर की गवर्नमेन्ट के समय में पुष्कर में कुएं खुदवाये थे पर उस समय विशषज्ञों ने कहा था कि यह कुएं

(डॉ० अम्बालाल)

सूख जायेंगे। आज वहां कुएं सूख गये है, वहां हरियाली खत्म हो गई है, वे कुएं खुदवाये जा रहे हैं पर जब तक पैरेलल पाइप लाईन राजमहल से अजमेर और जयपुर दोनों के लिये नहीं लाई जाती तब तक स्थाई हल नहीं होगा। यह दूसरी दुःख की बात अजमेर के लिये मैंने रखी।

तीसरी बात यह है कि अजमेर में विद्यार्थियों के लिये कई संस्थाएं हैं पर गर्ल्स स्टुडेन्ट्स के लिये कोई संस्था नहीं है केवल एक प्राइवेट संस्था सावित्री कालेज है। बाकी जो संस्थाएं हैं उनमें दो तीन को छोड़ कर अध्यापकों की यह अवस्था है कि उन्हें वेतन नहीं मिलता है। शिक्षा मंत्रीजी बड़े सहृदय हैं। उनसे मैं मिला एक जगह तो अध्यापकों ने हड़ताल की, भूख हड़ताल भी की, रामगंज में स्कूल है उसके अध्यापक कल मेरे पास आये और कहा कि हमें 15 महिनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मैंने कहा है कि शिक्षा मंत्रीजी के पास ले चलूंगा वे बड़े सहृदय हैं। आज कई सिख सज्जन मिले नानक हायर सेकेन्डरी स्कूल के सम्बन्ध में। उनका यह एक ही स्कूल है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक ग्रान्ट मिलती है, उसके बाद गवर्नमेंट की ग्रान्ट नहीं मिलती। बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। 5 वर्ष पहले कहा गया था कि ग्रान्ट बढ़ा देंगे, पर अभी तक नहीं बढ़ाई है। माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन है कि गुरुनानक के नाम पर यह स्कूल है। गुरु नानक के प्रति सबको श्रद्धा है। केवल 4,800 रुपयों की ग्रान्ट है। यह ग्रान्ट उनको मिलनी चाहिये। हालाकि वित्त मंत्रीजी यहां नहीं हैं पर मेरे शब्द उन तक पहुंच जायेंगे। वे यह ग्रान्ट दें।

सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार हमारी संस्थाओं में भी पेनिट्रेट कर गया है। तनख्वाह मिलती नहीं है, हस्ताक्षर कुछ कराते हैं, देते कुछ और हैं। हालांकि कानूनी दृष्टि से यह साबित न कर सकूं पर यह सच बात है। मैंने शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया था कि वे आश्वासन दें, मैं दुबारा उनसे निवेदन करूंगा कि चैक के द्वारा पेमेंट कराया जाय। शिक्षा मंत्रीजी सहृदय हैं। मैं आशा करता हूं कि वे अजमेर की इस कठिनाई को हल कर देंगे।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो टैक्सेज बढ़ाये हैं मैंने निवेदन किया है कि यह विशेषज्ञों का काम है, वे स्टडी कर रहे हैं। मैं छोटी सी दो चार बातें निवेदन कर देना चाहता हूं। बच्चों के लिये चाकलेट, बिस्कुट वगैरह छोटी चीजें हैं। छोटे नन्हें मुन्ने हमेशा चाकलेट मांगते रहते हैं, इस पर से टैक्स हटा देना चाहिये।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हुं कि अजमेर में एक पर्यटन केन्द्र बनाना चाहिये। ऐतिहासिक दृष्टि से चित्तौड़ को छोड़कर राजस्थान मे अजमेर का सबसे पहला नम्बर आता है। अजमेर ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस्लाम का वहां सबसे बड़ा धर्म स्थान है, वहां हिन्दुओं का सब से बड़ा तीर्थ पुष्कर है, वहां जैनियों के भी धर्म स्थान हैं। अजमेर में इतिहास के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। अजमेर राजनैतिक चेतना का केन्द्र रहा है। पथिकजी, माणकलाल जी वर्मा आदि का यह क्षेत्र रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार को यह मूव करे कि अजमेर में पर्यटन केन्द्र बनाया जाय।

(डॉ० अम्बालाल)

इसके अलावा पुष्कर की आज बड़ी उपेक्षा की जा रही है, पुष्कर भारतवर्ष का सबसे पवित्र तीर्थ है। वहां पानी घटता जा रहा है और कीचड़ बढ़ता जा रहा है। इसके लिये बड़े परिश्रम की जरूरत है। चन्दे के रुप में थोड़ा सा रुपया दे देते हैं यह ठीक नहीं है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रभा मिश्राजी पुष्कर से आई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे परसनल इन्टेरेस्ट लेकर पुष्कर को ठीक करवा दें। अगर इसका पानी खत्म हो जायगा तो पांच, छः वर्ष बाद यह किसी योग्य नहीं रहेगा।

अन्त में, मैं श्रीमान्, एक निवेदन और कर देना चाहता हूं। संसार में जितने ईश्वर की उपासना के धर्म हैं, सब पवित्र हैं। हिन्दू धर्म तो संस्कृति से ही बड़ा सेक्युलर हैं। वह तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ईश्वर की उपासना करने वाला कोई भी धर्म उसके लिये आदर का पात्र न हो। क्योंकि हिन्दू धर्म तो सभी में विश्वास करने वाला हैं। ऐसा ही है, ऐसा नहीं मानता। चाहे जरस्तुसा का धर्म हो, चाहे क्राइस्ट का धर्म हो, चाहे मोहम्मद साहब का धर्म हो, सबका भगवान् एक है। प्राचीन ऋषियों को अवतार बना लिया पर आज भी अधिकांश हमारा मस्तिष्क शुद्ध है हम चाहते हैं कि हर एक धर्म का प्रचार किया जाय, इसमें हमें आपत्ति नहीं। पर मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि पेट को ज्वाला के कारण अपने धर्म को बेचते हैं। मैंने खुद न देखा है मैं डूंगरपुर की तरफ गया था। तीन वर्ष पहले की बात है। वहां से लौट रहा था तो देखा कि एक जगह फेमीन का काम हो रहा था। वहां मैंने देखा कि काफी तादाद में भील क्रिश्चियन काम कर रहे थे मैंने कहा कि इतने भील क्रिश्चियन कैसे बन गये। उन लोगों से मैंने पूछा कि क्या क्राईस्ट के उपदेशों को जानते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम क्या जानें। मैंने पूछा कि फिर कैसे धर्म बदला तो वे कहते हैं :

"पेट के तांई गाढ़ो व्रत ले लियो"

ये उनके शब्द हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्राइस्ट के उपदेशों को पढ़कर उनसे प्रभावित हो कर यदि कोई धर्म बदल लेता है तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, वैष्णव जैन बन जाते हैं, जैन वैष्णव बन जाते हैं, जैन शैव बन जाते हैं। हमारे यहां यह होता है पर अगर पेट के कारण, पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिये धर्म परिवर्तन करते है तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट को व्यवस्था करनी चाहिये। अन्न देकर आत्मा को खरीदते हैं तो यह नहीं होना चाहिये। बस मुझे यही निवेदन करना था।

अजमेर में गोटा उद्योग है। इस पर आपने टैक्स लगाया है। अजमेर में कोई उद्योग नहीं है, किसी प्रकार का व्यापार नहीं है, है तो भी ठंडा है,। नया बाजार में गोटा का व्यापार बहुत शिथिल पड़ गया है। इसलिए बच्चों के चाकलेट और गोटा पर बिक्री कर पर पुनः विचार करें।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : माननीय वित्त मंत्री जी ने 1970-71 की आमदनी व खर्च का हिसाब-किताब पेश किया है। मंत्री-महोदय ने अपने लम्बे भाषण में कई चीजों का जिक्र किया है और अब तक के जितने वित्त मंत्री के भाषण हुए हैं, मेरे ख्याल से उनमें यह सबसे अधिक लम्बा है। इसमें कई खासी चीजें

(श्री शिवनाथसिंह)

हैं। एक समाजवाद का नारा लगा है। उसके अनुरूप अपने सभी को ढालना है, और उसके अनुरूप ही बोलना चाहिए। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कुछ जिक्र किया है......

श्री उपाध्यक्ष: ढालना है या नारा लगाना है?

श्री शिवनाथसिंह: बोलना चाहिए। सबसे पहले तो साहसी कदम जो वित्तमंत्री ने बताया है वह नरेशों के विशेष अधिकारों के संबंध में है। पिछले 12 महीने में राजाओं के जो विशेषाधिकार थे, प्रिवी पर्सेज थे, उनके संबंध में देश म हलचल मची और जो इनके विशेषाधिकार थे, उनके खिलाफ सभी लोगों की धारणा बनी। समाजवादी युग में जहां लोकतंत्र है किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार रहें, यह उचित नहीं और इसी रूपरेखा पर केन्द्रीय····

(2.22 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

"मंत्रिमंडल ने निश्चय किया कि जितने भी राजाओं के विशेषाधिकार हैं, प्रिवी पर्सेज है, उनको खत्म किया जाय और उसी के संबंध में हमारे वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जितने विशेषाधिकार हैं और राज्य सरकार के विधान बनाने की सीमा में जितनी वातें आती हैं उन पर राज्य सरकार कार्यवाही करे, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इसका विरोध करेगा क्योंकि यह प्रगतिशील कदम है।

इसी तरह से वित्त मंत्री जी ने दो-तीन चीजें और कही हैं जो कि बधाई के पात्र हैं। उन्होंने पेंशन में वृद्धि की है बुड्ढे लोगों और महिलाओं की उम्र 65 से घटा कर 60 करदी है, जिस के लिए महिला समाज वित्तमंत्री जी की बड़ी आभारी रहेगी और आभार प्रदर्शन करना चाहती है।

दूसरे आपने शिक्षा संस्थाओं के अनुदान की धनराशि में संशोधन किया है लेकिन मेरा सुझाव है कि वे अनुदान का सही उपयोग नहीं करती हैं। शिक्षा संस्थाओं के मैनेजमेंन्ट्स आज भी शिक्षकों को तंग करते हैं। शिक्षकों के लिए बहुत बाधा हैं, कोई तनख्वाह नहीं देता है, मनमाने ढंग से उनको निकालते हैं, मनमाने ढंग से रखते हैं। इसलिए जितने भी राज्य सरकार के नियम हैं भर्ती के संबंध में पेन्शन के संबंध में या उनको निकालेने के संबंध में, अनुशासन की कार्यवाही इत्यादि वे सभी नियम निजी संस्थाओं पर भी लागू करें। यदि वह नहीं होता है तो निजी संस्थाएं राज्य सरकार से धन लेती हैं, और हमारे सामने उदाहरण हैं कि 90 प्रतिशत खर्चा वे राज्य सरकार से लेती हैं, अपनी मनमानी करती हैं। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री जो जागरुक हैं, इस संबंध मे कार्यवाही करेंगे और निजी संस्था के अध्यापकों व सरकारी अध्यापकों के बीच का भेदभाव मिटायेंगे तभी जब तक उस अध्यापक का कार्यकाल है तब तक वह उस संस्था में रह सकेगा। इसलिए सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने अनुदान की नई दरें कायम की हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ साथ निजी शिक्षण संस्थाएं राज्य सरकार के नियमों का पालन करें वरना इस रुपए का सदुपयोग न होकर दुरुपयोग होगा, अध्यापकों का शोषण होगा।

(श्री शिवनाथसिंह)

इसी तरह से इंजीनियरों के लिए आपने कहा है। हम समझते हैं कि जो टेक्नीशियन्स हैं उनमें बेकारी की समस्या है, आए दिन हड़तालें होती हैं। कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के देखते हैं कि हमारा भविष्य अंधकारमय है, उससे डरकर आंदोलन या हड़ताल करते हैं। हम विश्वविद्यालयों में झगड़े देखते हैं इसलिए राज्य सरकार ने योजना चालू की है और वह बधाई की पात्र है। जो इंजीनियर्स अपना काम नहीं कर सकते उनको 12 महीने तक रुपया दिया जायगा, उनको प्रशिक्षण दिया जायगा, उस समय में उनको वजीफा दिया जायगा और शिड्यूल्ड कास्ट्स के पोस्ट-ग्रेज्युएट्स के लिए वजीफा रखा है, यह सराहनीय कदम है।

इसी तरह से यूथ बोर्ड के कई कदम वित्तमंत्री ने सुझाए हैं, वे काफी अच्छे हैं लेकिन और भी कई बातें हैं जिनके लिए मैं बाद में निवेदन करूंगा।

हरिजनों के लिए सरकार बार बार सदन में घोषणायें करती है, पिछली बार भी की थी और आगे भी करेगी लेकिन जितनी घोषणायें उनका 10 प्रतिशत भी पालन हो जाय तो मैं बहुत ही सही मान लूंगा। पिछली बार यह घोषणा की गई थी कि गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों को जमीनें एलॉट होंगी, तो जितनी जमीन थी वह हरिजनों को एलॉट कर दी गई?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने फिगर्स दिए हैं।

श्री शिवनाथसिंह : राज्य सरकार ने जो एलॉटमेन्ट किये हैं वह सिर्फ हरिजनों को किये हैं और उस संख्या को, देखते हुए कितनी जमीन काबिले एलॉटमेन्ट थी और इसमें से कितनी की गई हैं?

श्री नरपतसिंह : यह वित्त मंत्री के समाजवाद का परिचायक है।

श्री शिवनाथसिंह : फर्ज करो हमारे पास 100 एकड़ जमीन है, साल भर में 5 एकड़ एलॉट की तो कोई वक्त नहीं रखता। जितनी जमीन काबिले एलॉटमेन्ट थी, वह यदि सारी एलॉट हो जाय तो कल्याण हो सकता है, और हरिजन संतुष्ट हो सकते हैं।

दूसरी घोषणा की थी कि गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों के कल्याण के लिए भंगी कष्ट निवारण के कामों को हाथ में लिया जायगा..

श्री मदनसिंह : (कबूतर के प्रवेश करने पर) घर के पास जीव आ गया है।

श्री सभापति : आप संभाल लें।

श्री शिवनाथसिंह : भंगियों को सर पर मैला ढोना पड़ता है। कम से कम 5-10 नगरपालिकायें भी दिखाते जहां भंगी सर पर मैला नहीं ढोते हैं, ? इसलिए यह इतनी बड़ी समस्या है कि बड़ी बातों से समस्या का निवारण नहीं हो सकता इसलिए कोई क्रांतिकारी कदम आवश्यक है।

अब मैं कुछ करों की घोषणाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें डिफरेन्सिएशन किया गया है और वहां वित्तमंत्री ने साधन बढ़ाने के लिए किया है, गरीब तबके को कुछ राहत देने के लिए किया गया है, लेकिन इससे कुछ में चोरबाजारी व भ्रष्टाचार होगा। राज्य सरकार के खजाने

(श्री शिवनाथसिंह)

में धन कम आयेगा, बीच में लोग खा जायेंगे। जैसे साबुन के लिए आपने कहा है कि जो लोग साबुन बनाने के लिए बिजली का उपयोग नहीं करेंगे उनको छूट मिलेगी लेकिन किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे ? सही मायने में शतप्रतिशत डिफरेन्शिएट नहीं हो सकता इसमें गुंजाइश है वेरी करने की।

दूसरा आपने रेडीमेड कपड़ों पर 15) तक छूट दी है इसका मतलब यह हुआ कि 15) से कम का पहनने वाला गरीब है और 16) रु० का रेडीमेड कपड़ा पहनने वाला करोड़पति हो जायगा। अगर कोई रेडीमेड में खास क्वालिटी का कपड़ा है तो 5) 10) या 15) लगादो। इसमें राज्य सरकार को देखना चाहिए।

सबसे अधिक जो मेरा एतराज है वह यात्री कर और माल भाड़े के बारे में। यात्री कर जो बढ़ाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। अधिकतर विरोध मेरा आपकी प्रणाली से है। जितनी भी यात्रियों से कर के रूप में वसूली हो जाती है उसका 10 प्रतिशत भी आपके खजाने में नहीं आता है जबकि आपने उनके लिए इतना स्टॉफ लगाया है। हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री जी को इतना अधिक मौका न मिलता हो। राष्ट्रीयकृत मार्गों की बसों में हम चलते है उनके डिफिकल्टी रहती हो और सौ रुपया आमदनी होती है तो उस पर टैक्स न देते हों। तिमाही, छः माही रिटर्न्स देते है तो सही नहीं मानते हैं और असेसमेंट करते हैं। उनके पास पांच सौ रुपया भी नहीं हुआ और आप कहते कि दो हजार रुपया हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिटर्न पेश किये वह गलत किये। दो हजार रुपया आपने लगाया तो वह उसको पे करता है और इस बात की क्या गारन्टी है कि दो हजार रुपया ही उसने वसूल किया है। इसलिये हरियाणा में जो सिस्टम है टिकट का वही यहां पर रखिये। जितने यात्री होंगे वह उतना लगा देगा और ठीक टैक्स होगा वह आ जावेगा। राज्य सरकार ने बन्दोबस्त किया था। मोटर मालिकों की हड़ताल हुई थी। यह कहा गया कि उनको असुविधा होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि उनको असुविधा होगी। असुविधा क्या होगी ? उन लोगों को पहले टिकट खरीद कर रखने होंगे। दो तीन महीने तक उसको लगावेंगे। उनकी केपिटल ब्लॉक होगी। आज तो एक यात्री से टैक्स वसूल करते है और छः महीने बाद आकर उसको देते हैं। यदि मोटर चलायेंगे तो उनको इतनी असुविधा तो उठानी ही पड़ेगी इससे सबसे बड़ी सहूलियत यह होगी कि यात्री भाड़े में जितना करप्शन होता है वह बच जावेगा और टैक्स भी सही रूप में खजाने में आ जावेगा। 20 पर्सेन्ट से 25 पर्सेंट कर दिया यह बहुत बड़ा भार है। पांच पर्सेन्ट का टैक्स बढ़ाया है वह वापिस लेना चाहिए। यह यात्री के लिये संभव नहीं है। आप बहुत बोझा डाल रहे है।

आपने फसलों पर अलग अलग दरें रखी

Page No 80

(श्री शिवनाथसिंह)

है। वाणिज्यक फसलों पर टैक्स लगा रहे थे इतने एकड़ पर टैक्स लगा रहे थे तो राज्य सरकार ने वापिस लिया लोगों को एतराज भी था। वाटर रेट्स को अलग अलग रखना है तो इसका कोई तरीका निकालें वर्ना तो जो गेहूं बोयेगा, गन्ना बोयेगा वह पटवारियों और कानूनगो के हाथ में करप्शन का जरिया होगा और राज्य सरकार के खजाने में जितना वसूल होकर आना चाहिए वह नहीं आवेगा। इस पर राज्य सरकार को सोचना चाहिये और ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि झगड़ा न हो और राज्य सरकार के खजाने में भी आजावे उसका हम स्वागत करेंगे। बीच में जो खा जाते हैं वह भी बन्द होगा। यह मैंने टैक्सों के बारे में निवेदन किया।

वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में और चीजों का जिक्र किया। हरित क्रान्ति और समाजवाद ये दो नारे बन गये हैं। हम इस भ्रम में हैं कि हमारी खेती में उन्नति हो रही है। यह मैं मानता हूं कि पहले से प्रगति हुई। काश्त की पैदावार बड़ी और काश्तकार की भी आमद बढ़ी। लेकिन यह भी तो आप देखिये कि एक फसल अच्छी निकल गयी और दूसरी खराब। एक फसल अच्छी निकल गयी तो क्या हमारी काश्त में हरित क्रान्ति हो गई? एक फसल अच्छी होगयी और दूसरी में ओले पड़ गये या वर्षा नहीं हुई खेती फैल हो गयी। इसलिये ऐसा उपाय करना चाहिये कि जो काश्तकारों के हित में हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एग्रीकल्चरल बीमे के बारे में एक योजना थी। उसको आप लागू करते। काश्तकार उसको अपना सकते थे और उससे काश्तकार को फायदा हो सकता था। अभी अभी जिक्र हुआ कि बहुत से भागों में ओले गिरे हैं और किसान के जिस खेत में गिरे हैं वह तबाह हो गया है। यह बीमा योजना लागू करेंगे तो फायदा होगा। कृषि के लिये खाद, सुधरे हुए बीज और उपकरण, ये तीन चीजें मुख्य हैं। राज्य सरकार ने खाद और अच्छा बीज उपलब्ध किया उससे राज्य सरकार को भी फायदा हुआ और किसान को भी। लेकिन मशीनरी के मायने में सरकार ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की इससे भाव बढ़ते जाते हैं और सरकार की ओर से कोई सहूलियत नहीं दी जाती, मोटर पंप हैं, आज के जो भाव हैं उनमें 10 पर्सेन्ट बढ़ गये हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि कृषि के औजार ठीक प्राइस में मिले और अधिक भाव बढ़े तो काश्तकार को रिबेट दिया जाय। सौ-दो सौ रुपया रिबेट लगेगी, लेकिन उससे कितना फायदा होगा और आमदनी होगी यह तो देखें। इसलिये यदि आप आप उचित मूल्य पर उपकरण उपलब्ध करावेंगे तो कृषि की भी उन्नति होगी और राज्य सरकार को भी फायदा होगा।

एक भ्रम फैला हुआ है और मेरे मन में भी वह भ्रम है। आज एक छोटा किसान और एक बड़ा किसान इस प्रकार का किसानों में भेद किया जा रहा है। और आम तौर पर यह कम्युनिस्ट साथी ही पैदा कर रहे हैं, वे नाराज न हो।

श्री मदनसिंह : नाराज होंगे तो अपना बिगाड़ क्या लेंगे?

श्री शिवनाथसिंह : कोई किसान बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। किसान वही है जिसके घर में औरत, आदमी, बच्चे, बूढ़े, अपने हाथ से खेती करते हैं चाहे उसके पास पांच बीघा जमीन हो और चाहे पचास बीघा जमीन हो। आप लोग छोटे बड़े किसानों का यह भेद मत डालिये। गंगानगर के किसान आन्दोलन की कुछ उचित बातें थीं इसलिये सरकार ने मान लीं।

श्री मदनसिंह : उनके प्रिवी पर्स बन्द होने चाहिये और जयपुर दरबार किसान हैं तो उनमें और दूसरों में डिफरेन्स नहीं करना चाहिये ?

श्री शिवनाथ सिंह : छोटा किसान और बड़ा किसान नाम से बरगलाया गया है। मैं यह चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि केवल खेती से कोई भी पूंजीपति नहीं बन सकता। पूंजीपति है तो उसका धंधा दूसरा है। आपने एग्रीकल्चर की डेफिनिशन दे रखी है उससे मुगालता है। बड़े-बड़े ऑफिसर दो-दो हजार, ढाई-ढाई हजार तनख्वाह लेते है उनको छूट दे रखी है। दस बीघा खेती का टुकड़ा लेलिया और काश्तकार बन गया। बहुत से खेती नहीं करते, उनको काश्तकार मानते हैं यह मुगालता है। उनको काश्तकार मानिये जिनके बीवी बच्चे, मां-बाप, सब खेती करते हैं।

श्री मदनसिंह : जिनके बाप राज्य करते थे उनको राज्य दे दो।

श्री शिवनाथसिंह : खेती से काश्तकार पूंजीपति बन सकता है यह मुगालता है। कोई भी काश्तकार जिसके पास हजार हजार बीघा जमीन है फिर भी वह करोड़पति नहीं बन सकता। इसलिये छोटे बड़े किसान का भ्रम न फैलाओ। इसको फैलाओगे तो मुगालता होगा और हमारे प्रान्त का नुकसान होगा। आपस में टक्कर होगी। साम्यवादियों का जो नारा है उसके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये। अमुक तरीके से काश्त करेगा वह ऐसा होगा और नहीं तो नहीं इस प्रकार के छोटे बड़े के भेद में नहीं पड़ना चाहिये।

लघु उद्योगों के लिये राज्य सरकार ने छूट दी है और जो ऋण दिया जावेगा उसके ब्याज में भी 3 पर्सेन्ट की छूट दी जावेगी। किस आधार पर है ? छोटे-छोटे उद्योगों को ऋण, बिजली मकान बनाने की सहूलियत देते हैं। उसम जो ब्याज देना पड़ता है उसमें भी राज्य सरकार साझीदार होना चाहती है। यदि इन उद्योग-धन्धों को पनपाना है तो रा-मेटिरियल उपलब्ध कराओ, कोटा परमिट दो, पर ब्याज की रिबेट देकर भ्रम नहीं फैलाना चाहिये। मुझे नहीं मालूम किस आधार पर आप यह कह रहे हैं ? यह रिबेट वाला मामला मेरी समझ में नहीं आता है। किस आधार पर आप यह दे रहे हैं। एग्रीकल्चर में सुधार के लिये आपने एग्रो-इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन का जिक्र किया है। इसके अलावा और भी कई सहूलियतों का जिक्र किया है। इन सबका मैं स्वागत करता हूं, किन्तु आज इनमें जो काम करने वाले हैं उनके मानस को देखना है। आप कोई स्कीम बनाते हैं, उसका एक्जीक्यूशन किसके जिम्मे होता है, उसका मानस कैसा है, यह हमें देखना चाहिये। हरियाणा को आप ले लीजिये। दुर्भाग्य से वह आज

(श्री शिवनाथ सिंह)

पंजाब से अलग है। पहले वह पंजाब का ही एक भाग था। हमारे प्रान्त की और हरियाणा की एग्रीकल्चर की समस्याएं एकसी हैं परन्तु आज वहां के गांव गांव में बिजली पहुंच गई है और हमारे यहां लाइन डालने के लिए तार नहीं हैं। हरियाणा में लकड़ी के खम्भों के जरिये काश्तकारों के हर कुए पर बिजली पहुंच गई है। हमारा प्रान्त उससे मिलता जुलता है। वहां जाकर हमारे लोग जब देखते हैं तो उनको पता चलता है कि हरियाणा के लोगों को इतनी बिजली व अन्य साधन प्राप्त हो गये हैं और राजस्थान उससे कहीं अधिक बड़ा प्रान्त होते हुए भी हमारे यहां हरियाणा के मुकाबले कुछ भी साधन नहीं हैं। इनके लिये आप जितने भी संस्थाएं बनायें-यह व्यक्तिगत आरोप नहीं है-उन संस्थाओं में ऐसे लोगों को लें, इसका एक्जीक्यूशन ऐसे लोगों के हाथ में दें, जो काश्तकारों की दिक्कतों को समझता हो। हमारे एग्रो-इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन द्वारा ट्रेक्टर सप्लाई किये जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये ट्रेक्टर इम्पोर्ट किये जाते हैं और कॉर्पोरेशन ट्रेक्टर के साथ इम्पलीमेंट्स भी बेना चाहता हैं। इम्पलीमेन्ट्स देने चाहियें, परन्तु जिस काश्तकार को जरूरत नहीं है वह क्यों ये इम्पलीमेन्टस ले और इम्पलीमेन्ट्स को हम क्यों इम्पोर्ट करें। ये लोकली मेन्युफेक्चर हो सकते हैं। आप इनको सुविधा दें, इन कारखानों को सहुलियतें दें, तो काश्तकारों को उचित मूल्य पर यहां पर बनी हुई चीजें मिल जायेंगी, लेकिन हम इन चीजों को नहीं करना चाहते हैं। कार्पोरेशन के माल की कीमत बाजार में मिलने वाली चीजों से दुगुनी, तिगुनी होती है। इसलिये ऐसे व्यक्ति जो काश्तकारों की दिक्कत को जानें उनके हाथ में आप यह काम दें

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा निवेदन मेरा बिजली के बारे में है। रूरल डेवेलपमेंट अधिकतर आज बिजली पर आ गया है। राजस्थान में ऐसे इलाके हैं जहां बांध है, नहरें हैं। राजस्थान नहर सबसे बड़ी परियोजना है परन्तु इससे भी 29 प्रतिशत जो जमीन है वही इरिगेट होगी। हमारा जो बेस है वह आज बिजली हो गया है। देहातों की काश्त आप बढ़ाना चाहते हैं, काश्तकारों की आप उन्नति करना चाहते हैं तो आप उनको बिजली दें। इसके बारे में हमारी दोहरी नीति है। इन्डस्ट्री वालों को आप तीन, चार, पांच पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं और काश्तकारों को यह बिजली 13 पैसे प्रति यनिट देते हैं। बिजली में इन्डस्ट्री वालों को आप रिबेट देते हैं और काश्तकारों को आपकी ओर से कोई रिबेट नहीं है। जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, जैसे सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फेक्टरी है उन में दो, तीन, चार लाख रुपये की रकम बकाया है और काश्तकारों की हालत यह है कि उनमें 100/- रुपये की बकाया हो तो उन के कनेक्शन ड्यू डेट समाप्त होते ही काट दिये जाते हैं। जबकि बड़े कारखानों में लाखों की बकाया रहती है फिर भी उन के कनेक्शन नहीं काटे जाते हैं। इसलिये इस बात को आप सोचें कि जिनमें 100 रुपया बाकी रह जाय उनके कनेक्शन आप काट देते है तो जिन में लाखों रुपयों की बकाया है उनके कनेक्शन आप क्यों नहीं काटते हैं? इसलिये सरकार को इस

(श्री शिवनाथसिंह)
प्रश्न पर भी सोचना चाहिये और काश्तकारों को भी इसमें सहुलियतें मिलनी चाहिये। जो इलेक्ट्रिसिटी का कोटा एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्रीज का है उसमें भी बहुत फर्क है। इसका बहुत कम प्रतिशत काश्तकारों को मिलता है। इसलिये इस में से जितनी बिजली आप काश्तकारों को दे सकते हैं, वह दे दें। आप उनको लोन मत दीजिये वह मेहनत कर के कुआ खोदेगा और जमीन को भी सुधारेगा। सिर्फ आपसे एक ही मांग है आप उसको पूरी बिजली दे दीजिये और वह आप को धन देगा। पिछले साल जितनी इलेक्ट्रिसिटी की मांगें मंजूर हुई थीं उनमें से किसी पर भी काम शुरू नहीं हुआ। आजकल हमारा यह मेन्टल आउटलुक हो गया है। मेरे क्षेत्र में कम से कम 10 गांव की सैंक्शन हुई थी और आज तक एक भी गांव में काम शुरू नहीं हुआ। इसलिये यह जो विद्युत् बोर्ड है उस के काम पर आप कन्ट्रोल कीजिये उसमें जो पैसा है वह जनता का पैसा है। इस को कामर्शियल लाइन पर आप चलाइये। इसका नुकसान हमारा नुकसान है, जनता के पैसे की बरबादी है। इसलिये इसमें सुधार कीजिये लेकिन आज बोर्ड की हालत ऐसी है कि वह मनचाहे ढंग से लोगों को बिजली देता है। जो नीचे की मांग होती है उस को बिजली नहीं मिल पाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदया, मैं अभी समाप्त कर देता हूं।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप राजस्थान की काश्त को बढ़ाना चाहते हैं तो बिजली की समस्या का आप निराकरण कीजिये।

सभापति महोदया, मैं एक-दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। अब बैंक से ऋण मिलने की व्यवस्था की गई है,। यह एक अच्छा कदम है, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें भी एक दुविधा है। काश्तकारों को जो ऋण मिलेगा वह 5 सालों में वापिस देना होगा। कुए के लिये उस को 5,000 रुपये मिलते हैं और 12 महिने बाद ही उसकी किश्त ड्यू हो जाती है। 12 महीने में उसका कुआ तैयार नहीं हो पाता है और उससे पहले ही उसकी किश्त ड्यू हो जाती है। इसलिये इसमें आप सुधार कीजिये। जितने कामर्शियल बैंक्स हैं-उनसे इस लोन की वसूली दस साल में कराइये। क्योंकि काश्तकारों का कुआ 12 महीने में तैयार होता है और उस समय में उसको उससे रिटर्न नहीं मिल पाती है। और जब उसको इससे पहले किश्त देना पड़ेगी तो उसको दिक्कत होगी। इसलिये आप इसमें सुधार कीजिये और उस को दस सालों में पेमेन्ट की रियायत दीजिये। जब वह उससे प्रोड्यूस करने लगे तब उस से वसूली कीजिये।

सभापति महोदया, कुछ और बातें हैं। उनके बारे में मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा। जो पंचायती राज आपने कायम किया है उसकी आज क्या हालत है? इस बारे में हमको सोचना चाहिये। जिला परिषद्, पंचायत समितियां, पंचायतें आज निर्जीव हैं। इनकी आज हमको आवश्यकता है या नहीं यह हमें देखना चाहिये। हम इनको कायम रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। यदि इनको खत्म करना है तो खत्म कर दें और रखना है तो सजीव ढंग से इनको रखना चाहिये ताकि वे सजीव हो सकें। आप सब इस बात को रियलाइज करते होंगे कि पंचायतों से हर गांव में झगड़े बढ़े हैं। इनकी कोई उपयोगिता होती है तो हम इन झगड़ों

(श्री शिवनाथसिंह)

को बर्दाश्त कर सकते हैं। आज एक-एक गांव दो-दो टकड़ों में बंट गया है। इसलिये इनको सजीव रखना चाहते हैं तो आप को सोचना चाहिये कि आप इन पंचायतों को क्या साधन देना चाहते हैं ?

वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में सहकारिता का जिक्र किया है परन्तु आज यह मृत प्राय: है। इसको सजीव करने से मेरे खयाल से कोई हित नहीं होगा। यह सिर्फ लोन देने की एक इन्स्टीट्यूशन थी। जब कामर्शियल बैंक्स् इसके स्थान पर आ गये हैं और इन बैंकों से इतने अधिक साधन मिल सकते हैं तो इसको जिंदा रखना व्यर्थ होगा ? कोआपरेटिव बैंक ऋण के माध्यम नहीं बन सकते। अभी सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि जो राज्य सहकारी संघ है, उसमें जो इन्सपेक्टर्स हैं उनको भी समाप्त करने की बात चल रही है। मुझे मालूम नहीं इस बारे में राज्य सरकार का क्या दिमाग है। खत्म करने को है तो खत्म करदें। नहीं तो, ग्रान्ट इन एड या जो भी देना चाहिये, दें। कोऑपरेटिव सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो पूरी तरह से चलावें, नहीं चलाना हो तो खत्म करें।

आज शिक्षकों की क्या स्थिति है पंचायत समितियों में ? भख-हड़ताल करने का वे सोच रहे हैं। तो इन सब बातों पर सरकार स्पष्टीकरण दे कि पंचायत राज्य संघ का क्या स्वरूप होगा ? इसे आप रखना चाहते हैं या नहीं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे राज्य में और करीब करीब सभी राज्यों में बसों के परमिट की एक प्रणाली है। रूट्स सेंक्शन होते हैं और उन पर बसें चलाने के परमिट दिये जाते हैं सरकार के द्वारा। स्वतन्त्र बसों का व्यवसाय करने पर सरकार द्वारा रोक है। सरकार के कन्ट्रोल में यह व्यवसाय है। इसके लिये बस चलाने की इच्छा रखने वाले को एस० टी० ए० में या आर०टी० ए० में जाना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि इस व्यापार में भी स्वतन्त्र कम्पीटीशन आप चलने दें। सरकार जिन रूट्स पर जिन सड़कों पर अपनी स्वयं की बसें चलाना चाहती हो, उनको छोड़ कर बाकी जितने भी रूट्स हों सब पर जो चाहे अपनी बस लगा सकें, सकी छूट सरकार को दे देनी चाहिये, और स्वतन्त्र कम्पीटीशन होने देना चाहिय। जो आपको टैक्स वगैरह भर दे आप उस को परमिट दे दें। आपका आर्ग्युमेन्ट इसके पीछे यह हो सकता है कि इससे पहले वालों का धन्धा चौपट हो जायगा। जयपुर में छ–सात लाख की आबादी है। दो हजार आदमी नये दुकानें चलाना चाहते हैं तो उनको दुकानें चलानें से कोई रोक नहीं सकता और उनके दुकानें चलाने से कोई पहले वाला दुकानदार भाग गया हो या घाटे में चला गया हो ऐसा भी नहीं हुआ। अगर कोई घाटे में गया है तो और कारणों से फिजूल खर्ची से गया है, बेईमानी करने से गया है या ऐसे ही अन्य कारण हो सकते हैं, पर अधिक लोगों न दुकानें खोली हैं इस कारण से नहीं गया है। तो इसी तरह जिस रूट पर चार-पांच बसें पहले से चल रही हैं तो उस पर दो चार अगर और आना चाहते हैं तो आप क्यों रुकावट डालना चाहते ? हैं उन लोगों में जो एफीशियन्ट

(श्री शिवनार्थसिंह)

होगा वह चल निकलेगा जो आलसी होगा, जिसकी पॉलिसी ठीक नहीं होगी वह रह जावेगा । नहीं तो यह सब तो नया आने वाला सोचेगा । इस तरह करने से क्या होगा कि आज जो कालडा है, हाजी हैं और बस सर्विस वाले हैं जो मोनोपोली लेकर बैठ गये हैं उनको नुकसान हो सकता है, पर जो खुद की बस चलाना चाहते हैं खुद ड्राइवर और कण्डक्टर बन कर चलाना चाहते हैं वे लोग मैदान में आवेंगे और चलेंगे और उनकी मोनोपोली खत्म हो जावेगी । एक आदमी के पास आज की आपकी गलत पॉलिसी से बीस तीस बसें हो गई हैं और दूसरे किसी को आसानी से आने ही नहीं देते । तो इस मोनोपोली को आप खत्म करें । इससे फला हुआ भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा जो आज आपके हर आर० टी० ओ०, एस० टी० ओ० विभाग में घुन की तरह लग गया है इसके कारण एक के बजाय अधिक लोगों को रोटी रोजी भी मिलेगी। फ्री कम्पीटीशन अलाऊ कर देंगें तो सहूलियत मिलेगी । तो इस बारे में भी आप इस आधार पर अपनी नीति निर्धारित करें।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और राज्य सरकार से दो-एक बातें मेरे जिले से सम्बन्धित भी निवेदन करना चाहता हूं ।

अकाल राहत कार्य शुरू किये गये सब जगह । हमारे जिले में इस साल भी अकाल है। पहली साल भी था उससे पहली साल भी था । पर आपने वहां एक पैसा खर्च नहीं किया इसका मुझे आश्चर्य है । सड़कों के लिये भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया । हमारे जिले में कोई सरकारी कॉलेज भी नहीं है । डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर हायर सेकण्डरी स्कूल भर हैं । इसलिये जिला हैड क्वार्टर पर कॉलेज खोलने की तरफ भी ध्यान दें । इससे काफी सुविधा होगी शिक्षा के क्षेत्र में ।

पानी की समस्या भी हमारी है । इसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था । खेतड़ी प्रोजेक्ट के लिये पानी की सप्लाई के लिये नदी के बेल्ट से आप लाइन ले रहे हैं। इधर रिजर्व बैंक ने गांवों में पानी की सहूलियत देने हेतु तीन गांव सिलेक्ट किये थे । 80 लाख की आपकी स्कीम थी । कुए खोदने के लिये, सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये 80 लाख के ऋण दिये जायेंगे ऐसी रिजर्व बैंक की स्कीम थी ।

इस स्कीम के लिये खेतड़ी प्रोजेक्ट ने एतराज किया कि उनके पानी के स्त्रोत इससे मर जावेंगे । 90 लाख गैलन प्रतिदिन पानी वहां से जावेगा । अब मैं नहीं कहता कि प्रोजेक्ट न हो, या प्रोजेक्ट के लिये पानी का प्रबन्ध न हो । पर खेतड़ी प्रोजेक्ट का प्रबन्ध पच्चीस तीस गांवों की बरबादी पर खड़ा हो तो इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे । खेतड़ी प्रोजेक्ट बड़ा है, वे डीप जाकर भी पानी ले सकते हैं, पर ये गांव वाले कहां जायेंगे जिनके पास साधन नहीं हैं और बड़ी कृपा करके रिजर्व बैंक उनकी मदद पर आया है । तो आप इस 80 लाख की स्कीम से उन गांव वालों को महरूम मत रखिये । इसको काश्तकार बर्दाश्त नहीं करेंगे । राज्य सरकार इसको देखे और इसका सही हल ढूंढे ।

श्री सभापति : श्री जुझारसिंह ।

श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी) : सभापति महोदया, वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर मैं भी थोड़े में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । यह बजट-भाषण जो सदन के सामने आया है मेरी राय में सबसे लम्बा है और जितनी बातों को वित्त मन्त्री महोदय ने इसमें टच किया है उन सब पर मैं नहीं कह सकूंगा पर जो खास खास बातें हैं और जो मेरे इलाके से और राजस्थान से सम्बन्धित हैं उनके बारे में मैं थोड़ा कहूंगा ।

वित्त मन्त्री महोदय ने जो तथाकथित समाजवादी बजट पेश किया है और जिसमें छोटे काश्तकारों के सम्बन्ध में बहुत कुछ बताया गया है, मैं आगे बढ़ने से पहले यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने छोटे काश्तकारों की कोई परिभाषा भी तय कर दी है ।

आपने जो ऋण के लिये प्रावधान किया है उसमें क्या सब छोटे काश्तकार कवर हो जाते हैं । सबसे मोटी जानने की बात यह है कि काश्तकार छोटी से छोटी कितनी जोत पर गुजारा योग्य काश्त कर सकता है। क्या इसका अन्दाजा राज्य सरकार ने लगा लिया है और क्या उसी पॉलिसी पर सरकार पिछले 22 सालों से चली है ?

जिस तरह से सीलिंग की आपने सीमा तय कर दी है उसी तरह से छोटी जोत की भी सीमा का निर्धारण करना लाजिमी है, और इस सीमा का निर्धारण सभी दृष्टियों से पूर्ण होना चाहिये । यह सीमा इतनी छोटी नहीं होनी चाहिये कि वह काश्तकर के लिये लाभदायक न हो सके । अनइकोनोमिकल होल्डिंग्स पर यदि मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो अधिक से अधिक सुविधाएं आप उनको देना चाहते हैं इसका लाभ किसान को जोत-सीमा के कम होने से नहीं मिल सकेगा और आपका प्रयास और खर्चा सब बेकार जायेगा ।

राजस्थान के टीनेन्सी एक्ट की धारा 180 में फ्रेगमेन्टेशन के अगेन्स्ट में प्रोविजन किया गया है। फ्रेगमेंटेशन के बारे में अलग-अलग जिलों में एक संकेत बताया गया है । इसमें यह मानकर चले हैं कि इससे नीचे अगर भूमि का बंटवारा होता है तो अनइकोनॉमिकल हो जावेगा और उस सूरत में उस छोटे टुकड़े पर काश्तकार जो भी साधन लगावेगा उसका रिटर्न उसको नहीं मिलेगा ।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपने एलॉटमेन्ट और ऑथोराइजेशन के द्वारा इस फ्रगमेन्टेड एरिया की जो सीमा खींची है उससे नीचे भी आप एलॉट करते जा रहे हैं और इस तरह से छोटी और अनइकोनॉमिक्ल जोत पैदा करते जा रहे हैं । यह जोतें दो, तीन और चार बीघा तक हैं । एक ऐसे छोटे टुकड़े पर एक फेमिली का और एक बैल की जोड़ी का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

मेरा इसलिए निवेदन है कि छोटी जोत के लिये कम से कम इतनी जमीन आप दें कि जिस पर किसान का एक परिवार अपना पूरा परिश्रम कर सके और एक बैल की जोड़ी के लिए भी उपयुक्त काम के अवसर उससे मिल सकें । उससे नीचे की जोत नहीं दी जानी चाहिये । इससे कम अगर आप जमीन देते हैं जैसा कि आज आप दे रहे हैं तो यह सिर्फ नारे बाजी के

(श्री जुझारसिंह)

कारण हो सकता है। आप इससे केवल अधिक अधिक किसानों को सेटिसफाई थोड़े समय तक के लिये कर सकते हैं पर इससे जो धीरे धीरे अनइकोनॉमिकल परिस्थिति पैदा होती जावेगी उससे अन्त में किसानों में असन्तोष ही घर करेगा।

तो मेरा निवेदन करना यह है कि छोटी जोत में कम से कम इतनी जमीन तो आनी ही चाहिये कि जिस पर एक परिवार की पूरी लेबर लग सके और एक बैल की जोड़ी को पूरा काम मिल सके।

वित्त मन्त्रीजी ने यह भी बताया कि एग्रो-फार्मा कॉर्पोरेशन द्वारा 500 ट्रैक्टर वितरित किये गये हैं और आगे भी वितरण की योजना बनाई गई है। इस मशीन के युग में धीरे 2 मेकेनाइज्ड फार्मिंग बढ़ेगा, आपको इस दृष्टिकोण से सोचना होगा। एक ट्रैक्टर का यूनिट सीलिंग का यूनिट होना चाहिये ताकि इकोनॉमिकली ट्रैक्टर का उपयोग हो सके। तो यह तो सीलिंग की सीमा होनी चाहिये और एक पूरा परिवार और एक बैल की जोड़ी जितना परिश्रम कर सके उतनी सीमा तक छोटी जोत होनी चाहिये।

इस तरह से लोएस्ट जोत और हाइएस्ट सीलिंग के बीच में कोई नाम रखना चाहिये। अगर अनसाइन्टिफिक वे में सीलिंग की सीमा और छोटी जोत की सीमा आपने तै की तो इससे पैदावार में वृद्धि के बजाय ह्रास ही होगा और एक स्थिति ऐसी आवेगी जब आपको क्लेक्टिव फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा या कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो यह परिस्थिति अगर आप जान बूझकर पैदा नहीं करना चाहते हैं तब तो सही दिशा में आपको सोचना होगा। मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने बुनियादी उसूल की तरफ अव्यवहारिक रुख रखकर छोटी जोत को बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ाया है अनइकोनॉमिकल बनाया है। उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेन्ट होना चाहिये वह एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट समाजवादी नारों के बावजूद नहीं हो पाया है। इस बजट भाषण में, सभापति महोदया, वित्त मंत्रीजी ने जो छोटे कल्टीवेटर्स को कन्सेसन दिया है उसके लिये इन्होंने जरूर कहा है, 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि के लिये यह व्यवस्था करेंगे ऋण देने की, और 10 एकड़ की जोतों पर पांच हजार रुपय तक कुओं के लिये लोन देंगे। उसके लिये जो इन्ट्रेस्ट बनेगा उसको अनुदान के रूप में बर्दाश्त करेंगे। आपने 5 या 10 एकड़ रकबा छोटी जोत का मान लिया है और इससे छोटी जोतों पर आपने ऋण की कोई सुविधा नहीं दी है। कितनी और छोटी छोटी जोतें इससे कवर नहीं होती हैं उनका आपने कोई सुधार नहीं किया आपको साइन्टिफिक होकर चलना चाहिये और एक परिवार और एक बैल जोड़ी सुचारु रूप से जमीन का उपयोग कर सके इतनी साइज की जोतें बढ़ानी हैं। यदि इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो छोटे काश्तकारों के हित में नारा लगाना बेकार है। आप उनके हित को नहीं देखते हैं। गांव में जो अन एम्प्लायड हैं उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इकोनामिक्स का एक प्रिन्सिपल है कि कोई भी देश जब तरक्की करता है

(श्री जुझारसिंह)

उसका लोड जो एग्रीकल्चर पर होता है वह धीरे धीरे शिफ्ट होकर इण्डस्ट्री की तरफ जाता है। पिछले 50 वर्षों में अमेरिका, यूरोप और जापान में इन्डस्ट्रियल तरक्की हुई है, उनको इकोनोमिक प्रोस-पेरिटि बढ़ी है। उसके साथ साथ यह भी बात है कि उनकी एग्रीकल्चर परसन्टेज भी धीरे धीरे घटी है और धीरे धीरे इण्डस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हुई है। आज अमेरिका जो सबसे ज्यादा अनाज पैदा कर रहा है वहां एग्रीकल्चर की परसेन्टज 7 और 10 के बीच में आती है। एग्रीकल्चर की पापुलेशन जो शिफ्ट होकर इन्डस्ट्री की तरफ गई है उसकी पर केपिटा इन्कम भी बढी है। हमारे ेश का इण्डीकेशन उस वक्त मिलेगा जब एग्रीकल्चर की बढ़ती हुई आबादी इन्डस्ट्री की तरफ हो सके। आज 75 परसेन्टेज एग्रीकल्चर पर आलरेडी लगी हुई है वह इण्डस्ट्री की तरफ डाइवर्ट होनी चाहिये। राजस्थान के पास इसका कोई साधन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और विकल्प न होने के कारण एक बात कहकर अलग हो जाते हैं कि भूमिहीन काश्तकार हैं उनको जमीन दे रहे हैं।

(3 म० प०)

सभापति महोदया, यह जमीन बांटने का नारा बहुतसी बार कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी दिया करते हैं। समाजवाद का नारा कम्युनिस्ट लोग बार बार लगाते हैं। परन्तु सोसलिस्ट कन्ट्रीज में खेती का यूनिट दो दो बीघा नहीं होता है वे चाहे डिविजन में विश्वास करते हों, वे खेती का स्टेट कन्ट्रोल चाहते हैं लेकिन उनकी मोड़ ऑफ एग्रीकलचर आपरेशन मेकेनाइज्ड वे आफ प्रोडक्शन है। आपको आज की परिस्थिति में यह सोचना चाहिये कि माडर्न युग की क्या मांग है, आज के युग में यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर आपरेशन क्या हो, अगर बटवारे करने की नारे बाजी पर चलते हैं तो उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। आपको एग्रीकल्चर का यूनिट अवश्य कायम करना पड़ेगा। छोटे और बड़े काश्तकारों के लिये बिना यूनिट कायम किये एग्रीकल्चर में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ

श्री मदनसिंह (दांता) : व्हाट इज योर सजेशन अबाऊट इट ?

श्री जुझारसिंह : डान्ट डिसटर्ब मी। मैं यह कहता हूं ट्रैक्टर का युग है, मशीन का युग है मैकनाइज्ड एग्रीकल्चर चल रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं वित्त मन्त्री-जी से इन छोटे यूनिटों पर इकोनोमिकली काम हो सके उसके लिये आपने क्या किया है। आप तो आज 20 हार्स पावर, 30 हार्स पावर और 40 हार्स पावर की मशीन और ट्रैक्टर बना रहे हैं। कभी आपने उन छोटी जोतों के लिये कोई मशीन काम में लाने की बात सोची है? ये सब आज की मशीनें बड़े कल्टीवेटर के काम में आ सकती हैं। लेकिन क्या धीरे धीरे इस तरह के लेबोरेटरी में छोटे उपकरण बनाने की योजना बनाई है। जिससे छोटी यूनिटों पर काम हो सके। सभापति महोदया, यह तो मेरा खेती के बारे में विचार है। जो वित्त मन्त्री जी ने इस सदन में पेश किये हैं। मैं उम्मीद करता हूं। आप उसका समाधान करेंगे।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं एग्रीकल्चर का जो पेटर्न है वह सघन खेती का हो गया है और वित्त मन्त्री जी ने

(श्री जुझारसिंह)

इंडीकेशन दिया है कि बहुत सी जगह इन्टेंसिव एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट खोले हैं। आप यह महसूस करते हैं कि आज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सघन खेती से ही हो सकता है और आप उसको ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। सभापति महोदया, इस सघन खेती का मुझे भी थोड़ा बहुत अनुभव है। सांगोद में भी इन्टेंसिव एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट पर 96 लाख 30 हजार रुपये री-फाइनैन्स कारपोरेशन से मिलने वाले हैं। उसके तहत कुए खुद रहे हैं, डीजल सैट्स लग रहे हैं। मैं सभापति महोदया, आपकी मार्फत वित्त मन्त्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां पर इंटेंसिव लिफ्ट इर्रिगेशन या इन्टेंसिव प्रोजेक्ट चलाया जाय वहां पर आपको देखना होगा कि उसके साथ बिजली का प्रोग्राम भी फोलो हो। मैं मिसाल के रूप में सांगोद का उदाहरण रखना चाहता हूं जिसमें 96 लाख 30 हजार रुपये री-फाइनेन्स कोरपोरेशन से ऋण मिलेगा उसमें 900 कुए और 650 डीजल पम्प सेट्स लगेंगे। डीजल पम्पों की कीमत 18 लाख रुपये की आती है। सांगोद तहसील अभी आलरेडी इलेक्ट्रिसिटि से जुड़ी हुई है। मेजर पोरशन में बिजली आई हुई है। गांव के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लम्बाई के हिसाब से बता रहा हूं। ऐसे स्थान पर जहां बिजली उपलब्ध हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वहां डीजल सेट्स बांटने का क्या प्रयोजन है? वहां तो काश्तकार को अधिक से अधिक बिजली पहुंचानी चाहिये। आप काश्तकारों को बिजली नहीं पहुंचायें तो कैसे विकास हो सकता है। अगर आप बिजली पहुंचा देते हैं तो काश्तकारों को पम्प के 1500 रु० देने पड़ते हैं और री-फाइनेन्स कोरपोरेशन को करीब तीन हजार फी सट की बचत होगी। जो ऋण दिया जाने वाला है, उसमें भी आपको बचत हो सकती है। जिससे अगर आप चाहें तो और जमीन को इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडेक्शन है, वह घट जायगी और गवर्नमेंट को भी बेजा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ सभापति महोदया मैं वित्त मन्त्रीजी से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे सांगोद क्षेत्र में जहां इन्टेन्सिव लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम चल रही है, उस पर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के डीजल सेट्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े 60 हार्स पावर के क्योंकि कोटा जिले की एक विशेष परिस्थिति है और बूंदी का भी यही हाल है कि वहां पर हर तीन-चार मील पर नदी है और जगह जगह 'डैड वाटर' है और उससे हजारों बीघा पर लिफ्ट इर्रिगेशन से खेती की जा सकती है। आपके जो डीजल सेट्स हैं और लिफ्ट इर्रिगेशन की रेट्स हैं उनको सुनकर आप ताज्जुब करेंगे कि लिफ्ट रेट 180 रुपया एकड़ की है। उसका नतीजा यह है कि जितना कमाण्ड एरिया इससे प्रपोज्ड है उसका 1/20 भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि डीजल की रेट्स इतनी हैवी है। जहां आपके बिजली है, जहां आपके पाइलेट प्राजेक्ट्स चल रहे हैं, जहां लिफ्ट स्कीम के लिए री-फाइनेन्स कारपोरेशन फंड्स दे रहा है, ऐसे एरिया में आप बिजली का प्रोग्राम नहीं चला कर डीजल के सेट्स बांटें और जो सेट्स गवर्नमेंट चलाये उनके ऊपर 180 रुपया प्रति एकड़ चार्ज करें तो उससे तो आप खुद ही सोचें कि कहां तक यह एग्रीकल्चरिस्ट के इन्टरेस्ट में है।

सभापति महोदया, इसी संदर्भ में यह भी कहना चाहूंगा वित्त मंत्रीजी, को कि

(श्री जुझारसिंह)

आपने इर्रिगेशन के रेट्स रेशनेलाइज किये हैं और जितनी भी मेजर स्कीम्स हैं उसमें सबको रेशनेलाइज करके एक सी रेट्स वेरियस क्राप्स के लिए कायम कर दी हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने फ्लो इर्रिगेशन की रेट्स इन्क्रीज कर दीं लेकिन क्या लिफ्ट इर्रिगेशन और फ्लो इर्रिगेशन का प्रपोर्शन भी रखना चाहेंगे या नहीं? लिफ्ट में आपकी पालिसी है कि नो प्राफिट नो लास पर लिफ्ट की स्कीम को चलाई जावे तो क्या आप तालाबों के सिलसिले में, माईनर, मीडियम और मेजर स्कीम्स हैं उनके सिलसिले में भी नो प्राफिट नो लास की पोलिसी रखना चाहेंगे? आपका मकसद प्रोडक्शन बढ़ाने का है तो लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम को भी माईनर, मीडियम, मेजर और फ्लो इर्रिगेशन की तरह ही किसी रेशनल बेसिस पर ट्रीट की जानी चाहिए और आपका प्रोग्राम है "नो प्राफिट नो लास" का फोर्मूला लिफ्ट सिंचाई में हो और माईनर, मेजर इर्रिगेशन में 12 रुपया एकड़ गेहूं की पिलाई का चार्ज करें यह कहां तक न्याय संगत है? बड़ी बड़ी योजनाओं में छः छः और आठ-आठ पानी के तो 12 रुपया एकड़ का चार्ज करें और लिफ्ट में तीन चार पानी देने वाली क्रोप्स से 180 रुपया एकड़ चार्ज करें और आपके यहां रिप्रेजेन्टेशन करने के बावजूद भी आप कहें कि नहीं इसमें तो नो प्रोफिट नो लास चलेगा यह सोशियेलिज्म की नीति आपकी लिफ्ट इर्रिगेशन के संबंध में भी होनी चाहिए। वहां तो आप कैपेटिलिस्ट होकर क्यों बैठ जाते हैं?

सभापति महोदया, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने हरी क्रांति का जिक्र किया था। मैं भी उनके मत से सहमत हूं। अभी हरी क्रांति के बारे में बहुत ज्यादा लोग यह समझते हैं कि "हैवन हैव फालन" बहुत ज्यादा क्रांति आ गयी है। सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जितना एरिया कल्टीवेटेड होता है उसका 15 परसेन्ट एरिया अभी अण्डर इर्रिगेशन है और उस 15 परसेन्ट एरिया में से भी जो आपके लास्ट ईयर के फिगर्स हैं उसमें 15 परसेन्ट ऑफ दी इर्रिगेटेड एरिया आप हाई यील्डिंग क्रॉप्स के अण्डर में कवर कर पाये हैं और टोटल कल्टीवेशन को लें तो आपका एरिया अण्डर हाई यील्डिंग इज नाट मोर दैन 1.5 परसेन्ट। तो सारे राजस्थान में जहां खेती हो रही है उस एरिया के मुकाबले 1.5 परसेन्ट रकबा पर आप हाई यील्डिंग वैराइटी को इन्ट्रोडयूज कर पाये हैं। यह भी आपके सरकारी आंकड़े हैं जो कि एग्जोजरेटेड हैं। फिर भी जितने एरिया में हाई यील्डिंग प्रोग्राम चल रहा है वह 1.5 परसेन्ट है और उसको लेकर आप कई तरह की बातें करने लग गए हैं। इससे छोटे और बड़े काश्तकारों के बीच असमानता बढ़ जायेगी। एक तो रिच कल्टीवेटर हो जायेगा और उसको ज्यादा फायदा होने लगेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना आपका इर्रिगेटेड एरिया है उस पर आपकी हाई यील्डिंग वैराइटी पहुंच जानी चाहिए। आप जो 2 परसेन्ट से भी कम कल्टीवेटर्स को टच कर पाये हैं उसके बारे में आप चारों तरफ हल्ला करते फिरते हैं और नारे लगाते रहते हैं

(श्री जुझारसिंह)

क्रांति तो तब आयेगी जबकि हर कल्टीवेटर उसका फायदा ले। या फिर किसी ड्राई एरिया में आप ऐसी वैराइटी इन्ट्रोडयूज करें जिसमें यील्ड बढ़ने लगे और पानी के ऊपर डिपेण्ड नहीं होना पड़े। यदि इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो क्रांति आ सकती है। अभी प्रोग्राम ही नहीं चल पाया और जहां कि हमारी सरकार का अमूमन रवैया रहा है हर बात को नारों में देना और डींग मारना, यह सब हरी क्रांति के बारे में भी हो रहा है। हरी क्रांति का इम्पेक्ट बहुत कम कल्टीवेटर्स पर आया है बल्कि मेरा तो निवेदन है कि वह कल्टीवेटर्स जोकि आज हरी क्रान्ति की खातिर मेहनत करते हैं उनको डिस्करेज किया जाता है। ये चीज एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने वाली नहीं हैं बल्कि उसके प्रोग्रेस में बाधक होंगी। इसलिए जब तक उसका पूरा रिजल्ट नहीं आता है काश्तकार को डिस्करेज करने की कोशिश नहीं करें तो अच्छा होगा।

सभापति महोदया, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में सीलिंग के बारे में कुछ कहा था। हमारे गवर्नर महोदय के अभिभाषण में भी सीलिंग के बारे में कहा गया था। मैंने उस पर भी कुछ कहा था और उस बात को अब ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहता हूं लेकिन क्योंकि वित्त मंत्रीजी ने सीलिंग के बारे में भी अपनी स्पीच में खास तौर से मेन्शन किया है, इसलिए उसके बारे में भी निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार ने जो भी फसला लिया है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे काश्तकार जिन्होंने राज्य के कानून के खिलाफ 1959 से 70 तक जमीनें बेची हैं जबकि जमीन को अपनी कमाई का आधार नहीं बनाकर जिन्होंने व्यापार समझकर जमीन को बेचा है, मार्केट वैल्यू लेकर बेचा है, उसको सरकार ने रेगुलेराइज करने का फैसला लिया है और जिन काश्तकारों ने सरकार के आश्वासन पर अपनी खेती पर इनवेस्टमेन्ट किया है, ट्रैक्टर्स लगाये हैं या जमीन का इम्प्रूवमेन्ट किया है, उन काश्तकारों के बारे में आपने फैसला लिया है कि इनके सारे कन्सेशन्स विथड्रा कर लिये जायेंगे, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जायगा। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है कि जो लोग आपके वादों पर चलना चाहते हैं, जो आप पर विश्वास मानकर चलना चाहते हैं उनके दिये हुए कन्सेशन आप वापिस लेना चाहते हैं, उनको डिसकरेज करना चाहते हैं और जिन लोगों ने आपके कानून की परवाह नहीं करके जमीनों को बेचा है और आपकी परवाह नहीं की है, उनको आप रेगुलेराइज करना चाहते हैं, आपकी क्या पालिसी है? ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इल्लीगल ट्रान्सफर्स को लीगेलाइज करने के पक्ष में हैं क्या?

श्री जुझारसिंह : नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप खिलाफ हैं?

श्री जुझारसिंह : बिलकुल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अकेले या आपकी पार्टी भी?

श्री जुझारसिंह : मेरी पार्टी भी खिलाफ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपको पता है कि आपकी पार्टी ने इन इल्लीगल ट्रान्सफर्स को लीगेलाइज करने की बात रखी है ?

श्री जुझारसिंह : सभापति महोदया, वित्तमंत्री महोदय को मैं यह बताना चाहता हूं कि सीलिंग के बारे में जो मेरा खास ओब्जेक्शन है, वह यह है कि आपने 30 स्टेन्डर्ड एकड़ का सीलिंग दिया है जिसमें 3,600 रुपये की ग्रोस इनकम को आपने सीलिंग माना है और उसके ऊपर अभी साम्यवादी जो हमारे सदस्य हैं वे सीलिंग के ऊपर बड़े एजीटेटेड हैं लेकिन क्या आप यह पसंद नहीं करेंगे कि गांव में रहने वाले आदमी को एक रीजनेबल लिविंग स्टेन्डर्ड मिले। 5 आदमियों के परिवार पर 3,600 रुपयों का सीलिंग करना और वह भी ग्रोस इनकम पर सीलिंग करके आप यह कहना चाहते हैं कि आपने उनको बहुत कुछ दे दिया है। गवर्नमेंट ओफिसर्स के लिए कन्सेशन देते हैं, कि पेन्शनर्स के लिए कन्सेशन्स दिये हैं 500 रुपये की इनकम वालों को लो पेड की केटेगरी में माना है जिनकी सालाना आमदनी 6 हजार रुपये होती है। उनका अगर फेमिली का दूसरा मेम्बर एम्पलॉयड है तो उसका अलग कन्सीडरेशन किया जाता है। यहां पर एग्रीकल्चरिस्ट, पर 3600 रु० का सीलिंग कर रहे हैं वह भी ग्रास इनकम पर और वह भी पांच सदस्यों की फेमिली पर। और उसके ऊपर यदि कोई आदमी यहां पर बोलने की कोशिश करता है और सच्ची बात बताने की कोशिश करता है तो हमारे साम्यवादी सदस्य महोदय हमारी पार्टी की पालिसी पूछते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की पालिसी गांव के आदमी को भूखों मरने देने की नहीं है : वह दूसरे आदमी को एक्सप्लाइट नहीं करना चाहती लेकिन उसकी इतनी आमदनी होनी चाहिए कि उसके बच्चे पढ़ सकें और ईमानदारी से काम कर सके और जो राज्य के ड्यूज हैं वह दे सकें। इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह बिल्कुल ही गरीब हो जायं। साम्यवादी पार्टी की पॉलिसी में आप जमीन डिविजन तो चाहते है लेकिन अल्टीमेटली कलेक्टीवाइजेशन करके मैकेनाइज्ड फार्मिंग को लाना चाहते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया कि कोई यूनिट तो कायम होना चाहिए, लोएस्ट कोई यूनिट तो होना चाहिए जिसमें एक आदमी अपनी फेमिली का उपयोग कर सके और हाइएस्ट यूनिट भी होना चाहिए। मेरा लोएस्ट यूनिट 'ए पेयर आफ बल्कस' था और हाइएस्ट यूनिट था, ट्रेक्टर का। यह सीलिंग इस हद तक होना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं एक निवेदन और वित्त मंत्री महोदय के सामने करना चाहता हूं कि अभी फेमीन के बारे में बहुत कुछ राजस्थान में कहा गया है, लेकिन हमारे एरिया में फ्लड से बहुत डेमेज हुआ है और उस फ्लड से जो भी पोर्शन्स डेमेज्ड हुए हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी टीम्स गई थीं, उन्होंने डेमेजेज को देखने के बाद रिपेयर करने के लिए और रेस्टोर करने के लिए

(श्री जुझारसिंह)

रिकमन्डेशन्स की हैं। सभापति महोदया, जो कुछ भी रिपेयर करने के लिए फन्ड्स एलॉट किये गये हैं वह पिछले महीने में उपलब्ध करवाये हैं और अभी टेन्डर वगैरह भी होने वाले हैं उन सब में टाइम लग-लगाकर इस महीने की 15 तारीख से काम शुरू होगा और उसके लिए पाबन्दी है कि जितना भी पैसा है वह 31 मार्च तक युटिलाइज कर लें। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आने वाली मदद और राज्य सरकार की मदद नहीं मिलेगी। सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ग्रान्ट हुई है वह 'डेमेज्ड वर्क्स' के लिए आइटमवाइज हुई है, किसी चीज को रेस्टोर करने के लिए हुई है। अगर आपकी, किसी की वजह से, राज्य सरकार की कमजोरी की वजह से, या टाइम पर अपने अनुमान प्रिपेयर्ड नहीं करने की वजह से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से कोई डिले हो गई है, तो किसी प्रोजेक्ट को सिर्फ टाइम की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाय और फुल्ली रेस्टोर नहीं किया जाय, यह गलत चीज है, क्योंकि जो ग्रान्ट मन्जूर की है, वह प्रोजेक्ट की रिपेयर या रेस्टोरेशन के लिए हुई है तो उस प्रोजेक्ट को रेस्टोर या रिपेयर करना आवश्यक है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप प्लानिंग मंत्री भी हैं तो जहां जहां फ्लड की वजह से डेमेजेज हुए हैं उन डेमेजेज को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम फेक्टर रेस्टोर किये जाने चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनके मेन्टीनेन्स के लिए इन्तजाम किया जाना चाहिए प्रोसीजरल डिले और उनकी वजह से प्रोजेक्ट्स का जो नुकसान होता है वह नहीं होना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदया, बिजली की प्रोग्रेस के लिए बहुत कुछ कहा गया है, और वित्त मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि बिजली बोर्ड को 3 करोड़ मिलने की सम्भावना थी, वहां अब 5.75 करोड़ की उपलब्धि होने वाली है, और उससे ऐसा लगता है कि बिजली का प्रोग्राम अब ज्यादा बढ़ जायगा, लेकिन जो कुछ भी राजस्थान सरकार की नीति रही है, वह प्रिज्युडिशियल और फेवरेटिज्म की रही है। अनफोर्चुनेटली आज जो हमारे देश की दशा हो रही है, वह योजनाओं की वजह से नहीं है, लेकिन उनके एम्प्लीमेन्टेशन में गवर्नमेंट का जो इन्टेन्शन पक्षपातपूर्ण है, वह सब उन नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से हो रहा है। आप पैसा उपलब्ध भी करवाते हैं, बिजली में मदद भी देते हैं, बैंकों के मारफत भी पैसा देते हैं, लेकिन आपका इन्टेन्शन फवरेटिज्म करने का है, उससे लोगों का कोई फायदा नहीं होता है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी इसी तरह की पक्षपातपूर्ण नीति चल रही है। वहां पर भी हमारे यहां के उप-मंत्री हैं श्री कन्हैयालाल डांगी जिनका गांव 5 मील की दूरी पर है बिजली की लाइन से, क्योंकि राजस्थान सरकार को उनका फेवर करना था उनके गांव के लिए बिजली मन्जूर हो गई है और जैसा कि अभी मैंने बताया था, सांगोद तहसील को आवश्यकता होते हुए भी बिजली नहीं दी जिसके पैटर्न पर आप दूसरी तहसीलों को

(श्री जुझारसिंह)

एक्सटेन्ड करना चाहते हैं, इस तहसील के हैडक्वार्टर पर बिजली उपलब्ध है। वहां पर सिंचाई के साधन बढ़ाये जा रहे हैं, कुए खुदवाये जा रहे हैं, लिफ्ट इरिगेशन योजनाएं गवर्नमेंट की करीब 13-14 चल रही हैं और लिफ्ट इरिगेशन योजना में चार हजार बीघा का कमान्ड एरिया है परन्तु इन सबके बावजूद आप कहते हैं कि यह किसी दूसरी पार्टी के आदमी का क्षत्र है इसलिए उनको बिजली न मिले, जो आदमी डिजर्व करते हैं उन लोगों के लिए बिजली का उपयोग न करें तो जो आपने बजट में प्रोवोजन किया है उसका लोगों को क्या फायदा होने वाला है? इसलिए मेरा यह निवेदन है कि चाहे कोई स्कीम बने, योजना का कोई साइज हो, लेकिन जब तक आपके एडमिनिस्ट्रेशन में औनेस्टी नहीं है, फेयरनेस नहीं है, तब तक आपकी योजनाओं और आपके नारों से कुछ नहीं मिलने वाला है।

मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार का असन्तोष जनता म है, स्टूडेन्ट्स में है, टैक्निशियन्स में है, प्रोफेसर्स में है, साइंटिस्ट्स में है, सोचने वाले आदमियों के दिमाग में जिस तरह का असन्तोष है, वह एक गम्भीर स्थिति है। उसको आप रियेलाइज करें या न करें। यह उसी प्रकार की स्थिति है जो किसी भयंकर तूफान के पहले किसी दूसरे देशों में हुआ करती थी। आप इसको नजर अन्दाज करके चलते हैं, इसी प्रेसिपाइस पर बैठे हुए यह भूलकर चलते हैं, और गैर-जिम्मेदारी से काम चलाना चाहते हैं तो जो कुछ भी उसके परिणाम होंगे वे हिन्दुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में शुरू हो गये हैं उनसे आप दूर नहीं रह सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ भी बजट है, इसमें जो कुछ भी एनाउन्समेंट्स है, उनका औनेस्टली और फेयरली इम्पलीमेंटेशन हो और पक्षपात नहीं हो। आज राजस्थान की जनता जो सबसे ज्यादा दुविधा में है वह योजनाओं की वजह से नहीं है, बल्कि आपके प्रोफेशन्स में कोई सिन्सियेरिटी नहीं होने की वजह से है। सभापति महोदया, मेरा यही निवेदन है राजस्थान सरकार से की आप ईमानदारी और नेकनीयती से जो कुछ भी आपके प्रोफेशन्स हैं उन पर चलने की कोशिश करें और यह जो टैक्सेज आपने लगाये हैं.. ..

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): ज्यादा दिन तक टिकेंगे।

श्री जुझारसिंह: अगर ईमानदारी से चलें तो इनके टिकाव पर किसी को आपत्ति नहीं है।

श्री मदनसिंह: इनमें, तो ईमानदारी की हवा ही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इन्हें संजीवनी बूटी क्यों दे रहे हैं।

श्री जुझारसिंह: संजीवनी नहीं लेने वाले हैं।

आपके एडमिनिस्ट्रेशन में फेयरनेस होनी चाहिए। जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन में आज तबका बैठा हुआ है और जो लोगबाग राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट की योजनाएं बनाते हैं, अनफोरचुनेटली उनके पास कोई धन्धा नहीं है, उनके पास कोई प्रोफेशन नहीं

(श्री जुझारसिंह)

है उनके पास कोई खेती नहीं है, वह एक ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर टैक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक भ्रष्टाचार और करप्शन टेक्स नहीं हो तब तक इस तबके का कोई नुक्सान नहीं होना है। और प्रोग्रेसिव नारा लगाते जाय और जिस तरह की आज हवा चली है, उसमें बहकते चले जायं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते इसलिए जो कोई भी बात हो, वह व्यवहारिक हो और उस पर चलने की आवश्यकता है। आप भ्रष्टाचार पर टेक्स लगा दें तो वित्त मंत्री महोदय आप लोगों पर भी कुछ न कुछ टैक्स का असर आयेगा नहीं तो इन टैक्सों से जनता तो परेशान होगी लेकिन उनको फायदा नहीं मिलने वाला है। इतना ही निवेदन करके मैं बैठता हूं।

श्री गोरधन सोनी: सभापति महोदया, अब हमें मौका मिलना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री: अभी आपके नेता महोदय बोल चुके हैं, अब दूसरी पार्टियों को मौका देना चाहिये।

श्री बिरदाराम (जालोर-मु०): सभापति महोदया, छोटे छोटे किसान जो हाथ से काम करने वाले हैं, उन पर टैक्स माफ किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। गरीब आपको आशीर्वाद देंगे। मेरे क्षेत्र जालौर में अकाल के लिए जो काम खोले गये हैं, उनके लिये हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन वहां कई जगह मजदूरों की हरकतें भी होती हैं। इसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मेरे यहां सड़कों का काम कच्चा हुआ है। वहां सड़कें मेटल रोड बनाई जाए। पक्की डामर रोड बनाई जाए। तो उस जिले में कुछ परिवर्तन होगा। क्योंकि हमारे गांवों में इस अकाल के समय मुख्य मंत्रीजी, अकाल मंत्री और माथुर साहब ने आकर काम कराया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो नदियों का काम है, वह नहीं हुआ है। छोटी मोटी नदियां हैं। दो महीने रह गये हैं। चार महीने के अन्दर अगर नहीं हुआ तो वह फिर नहीं होगा। वह पिछड़ा हुआ जिला है सरकार को यह ध्यान रहना चाहिये। नदियों की पुलियों का काम है वह जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिये। काश्तकार लोगों को बहुत तकलीफ है। काश्तकारों के साथ जो पशु थे वे भी मर गये हैं। अभी फसल अच्छी है लेकिन ठीक है तो उसमें नुकसान भी है। काश्तकारों को ट्रेक्टर भी दिये जायें किराये के। जालोर जिले में ट्रेक्टर भेजें जाय तो काम कर सकेंगे। नहीं तो कुछ नहीं कर सकेंगे। किसानों के पास बैल नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो चमड़े का काम करने वाले हैं हाथ से काम करने वाले हैं, वित्त मंत्री ने हाथ से उद्योग करने वालों का टैक्स माफ किया है उसके लिए पुनः धन्यवाद है। पिछली साल वित्त मंत्रीजी ने माफ किया था लेकिन वहां पढ़े लिखे आदमी नहीं है, उनको पता नहीं होता है। वहां 10-15 आदमी कहीं मिलकर चलते हैं तो उनसे वसूल किया जाता है। गरीब आदमियों के लिए कुछ बन्दोबस्त होना चाहिए। और हमारे जालोर जिले की बात है, एक हायर सेकेन्डरी स्कूल का मौका भी हुआ था। वह गिर गया। वह सरकार बनादे तो हम धन्यवाद देंगे। अगर वह बन जायगा तो

(श्री बिरदाराम)

लड़कों के लिए ठीक रहेगा। हमारा कालेज है, आपकी मेहरबानी है। उस कॉलेज में साइन्स होनी चाहिए। वहां कामर्स भी लड़कों को पढ़ने की नहीं है तो वह कैसे पढ़ेंगे। एक जगह किसी भी जगह बैठकर समझौता कर लें। कैसे भी करो, लेकिन करो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : करो, करो।

श्री बिरदाराम : हमारा पिछड़ा जिला है। सरकार ध्यान देगी तो वहां की जनता पढ़ेगी। नहीं तो वह बेकार रहेगी। वह पढ़ने के लिये और कहीं नहीं जाएगी। वह जयपुर नहीं जाएगी। बाहर जाकर वह नहीं पढ़ सकेगी। जिस गांव में कॉलेज है, वहां कामर्स नहीं है। तो वह कैसे पढ़ सकते हैं। अब कैसे भी निपटारा करके साइन्स-कामर्स खोली जाए।

एक माननीय सदस्य : जमीन के बारे में?

श्री बिरदाराम : जमीन के बारे में सरकार ने कानून लागू कर दिया, सीलिंग होनी चाहिए। बाकी सरकार ने सीलिंग लगाया लेकिन हमारे जिले में एक व्यक्ति को 1,080- बीघा जमीन एलाट की गई है। सरकार से वह जमीन खारिज की जाय। खारिज नहीं की जाए तो गरीब जनता को दे दी जाए। वहां अन्दोलन मचेगा। वह जमीन खारिज करेंगे तो कम से कम 80 या 100 घरों को मिल सकती है। 1 हजार 80 बीघा जमीन एक आदमी को सरकार ने दी है। ठीक है सरकार उसको मुआवजा दे दे। उसको जमीन कैसे दे दी? जो जमीन दी है वह गैर कानूनी है।

श्री गंगाराम चौधरी : क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि इतनी जमीन किस आदमी को कहां पर एलॉट हुई? इसके पर्टीक्यूलर क्या हैं?

श्री बिरदाराम : जालोर में कौनसा गांव है, भीनमाल तहसील में, इसमें जमीन एलॉट हुई है। किसको हुई है, किसको नहीं हुई है, यह आप देख लें।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : मैं नाम बता देता हूं। यह एक्स-जागीरदार को हुई है, वह टौंक का रहने वाला है। वहां का रहने वाला नहीं है। उसको गवर्नमेन्ट ने दी है?

श्री बिरदाराम : वहां की जमीन है वह दूसरे आदमी को एलॉट क्यों हुई?

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : नाम बता दें।

श्री गंगाराम चौधरी : नाम की जानकारी हो मेम्बर साहबान को, तो वह बताने का कष्ट करें।

श्रीमती सभानेत्री : नाम बता दीजिये अगर वाकिफ हों तो।

श्री आईदानसिंह : वह बता दूंगा। वह टोंक का रहने वाला एक्स-जागीरदार है। टोंक का रहने वाला जागीरदार है और जागीर रिजम्पशन के बाद में कम्पेनसेशन के रूप में वह जमीन दी है। उसके लिए कलेक्टर ने रिफ्यूज कर दिया था लेकिन उसके बाद गवर्नमेन्ट से सेक्शन हुई है।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह क्या मामला है? यह महत्वपूर्ण मामला है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह पहले हुई होगी, बृजसुन्दरजी के टाइम में ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : टोंक के जागीरदार को इसलिए एलॉट हुई होगी क्योंकि टोंक में उप-चुनाव होने वाले हैं । यह इस समय हो सकता है ।

श्री मदनसिंह : सभानेत्री महोदया, इस साल के लिए गवर्नमेन्ट का रूल है कि हरिजनों को जमीन एलोट होगी । इस साल जो एलॉटमेन्ट जमीन का होगा, वह हरिजनों को होगा । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या हो सकती है कि जिस वक्त हरिजनों को एलॉटमेन्ट करने के लिए कानून लागू हैं उस वक्त इस तरह से व्यक्तिगत तौर पर किसी आदमी को दबाकर उसकी जमीन एलॉट हुई है । मैं समझता हूं इससे ज्यादा लज्जा की बात कोई और गवर्नमेन्ट के लिए नहीं हो सकती । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें ।

श्री गंगाराम चौधरी : जैसा जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, यह जमीन किसी जागीरदार को कम्पेन्सेशन के बतौर एलॉट हुई है ।

श्री मदनसिंह : नहीं नहीं । कम्पेन्सेशन के बतौर नहीं हो सकती । हरिजनों के अलावा किसी को भी एलॉटमेन्ट बन्द हैं । औरों को एलॉटमेन्ट करने का कार्य बन्द है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : किसी भी व्यक्ति को इतनी जमीन नहीं दी जा सकती है ।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं, गवर्नमेन्ट के लिए इससे ज्यादा लज्जा की बात नहीं हो सकती है ।

श्री रामसिंह कुड़ी : इस प्रकार एलॉटमेन्ट करने का कोई लॉ नहीं है ।

श्री मदनसिंह : मैं चाहूंगा कि सारे माननीय सदस्य इस बात पर जोर दें कि यह कौन जागीरदार हैं, किस मिनिस्टर के जरिये से यह काम हुआ है जबकि और लोगों को एलॉटमेन्ट बन्द है । मुझे मालूम है कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट में भी इस प्रकार का रूल नहीं है कि कम्पेन्सेशन के बजाय किसी को लैंड मिले।

श्री गंगाराम चौधरी : जैसा माननीय सदस्य ने बताया है खुदकाश्त जमीन दी है ।

श्री आईदानसिंह : टोंक से बुलाकर जालोर के अन्दर उसको जमीन दी है ।

जबकि वहां पर हरिजन काश्तकार हैं, भूमिहीन काश्तकार हैं ।

श्री गंगाराम चौधरी : आप नाम बता सकते हैं क्या ?

श्री मदनसिंह : नाम बता दें तो क्या होगा ।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : इस गवर्नमेन्ट के द्वारा जब जमीन एलाट हुई है तो क्या नाम का पता नहीं चला सकते ?

श्री मदनसिंह : मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि यदि नाम बता दिया जाय तो क्या आप एलॉटमट को रिजेक्ट करेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : यह कानूनी मसला है। हो सकता है कि खुदकाश्त की जमीन हो।

श्री मदनसिंह : क्या कानूनी मसला हो सकता है। यह कानून में स्पष्ट है कि यू केन नाट एलाट।

श्री रामसिंह कुड़ी : खातेदारी भूमि का एलॉटमेंट नहीं हो सकता है।

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य सरकार को अधिकार है खुदकाश्त जमीन एलॉट करने का।

श्री मदनसिंह : कानूनी मसला है तो हम बता रहे हैं कि हरिजनों के सिवाय इस साल किसी को भी जमीन एलाट नहीं हो सकती है, जब कि इस मामले में एक जागीरदार को टोंक से बुला कर जमीन एलॉट हुई है। नाम बता दिया जाय तो क्या आप विश्वास दिलायेंगे कि वह जमीन वापिस ली जायगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : आप पूरी जानकारी दे दीजिये, इस सम्बन्ध में जांच करवा ली जायगी।

श्री मदनसिंह : जांच क्या करायेंगे, यह तो स्पष्ट है कि एलॉट हुई है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु०): इस वर्ष जमीन एलॉट कराई है, जब कि इस वर्ष हरिजनों को जमीन एलॉट होनी चाहिए।

श्री मदनसिंह : जांच के अन्दर यह सिद्ध हो गया तो क्या आप विश्वास दिलायेंगे कि वह जमीन छीनली जायगी ?

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या उप मंत्री जी यह मानते हैं कि इतनी जमीन राज्य सरकार ने इस वर्ष एलॉट की है ? क्या इतना मानते है ?

श्री आईदान सिंह : टोंक के एक्स जागीरदार को बुला कर जालोर में जमीन एलॉट कर दी है।

श्री मदनसिंह : क्या यह मतलब हम लगायें, इस जानकारी के बाद यह मतलब लगायें कि राज्य सरकार के एलान के खिलाफ यह काम हुआ है ?

श्री आईदान सिंह : उस गांव के अन्दर इस एलॉटमेंट के खिलाफ भावना तैयार हो रही है, जैसा माननीय सदस्य बिरदा राम जी ने फरमाया वह सही है लेकिन वह व्यक्ति वहां आकर जमीन का कब्जा नहीं ले पायेगा। यह निश्चित बात है, न खेती कर पायेगा।

श्री मनोहरसिह मेहता : मैं बिरदा रामजी से प्रार्थना करूंगा......

श्री रामसिह कुड़ी : जब रेवेन्यू मिनिस्टर ने उस जमीन का एलॉटमेंट कर दिया है और होम मिनिस्टर पीछे है,तो वह कब्जा ले लेगा!

श्री बिरदाराम : आज वह व्यक्ति वहां पंचायत में जाकर जो गरीब आदमियों की जमीन है, उस जमीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है....

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आप बता रहे हैं फिर भी यह कोई एक्शन नहीं लेंगे।

श्री बिरदा राम : यह गरीब काश्तकारों की, हरिजनों की जमीन है.....

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज ! एक बात सुनिये । बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आई है वह सदन में पेश मंत्री महोदय कर दें। यह बात जरूरी है। बाद में इस पर वाद-विवाद कर लें ।

श्री मदन सिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर.......

श्रीमती सभानेत्री : एक मिनट ।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय मैं कार्य सलाहकार समिति के 24 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जो इस प्रकार है......

श्री मदन सिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर....

श्री दामोदर लाल व्यास : कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 1970 को हुई....

श्री मदन सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री मदन सिंह : सभापति महोदया, जब बजट के ऊपर सामान्य वाद-विवाद में स्पीच हो रही है, वह चाहे मंत्री की हो या किसी सदस्य की हो और बीच के अन्दर बहुत सीरिअस बात चल रही है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसका निर्णय जब तक न हो, उसके पहले जैसी चीज चल रही है, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट, हमें क्या मालम उसने क्या रिपोर्ट दी है, उसको चुपचाप यहां पास करालें, यह उचित बात नहीं होगी ।

श्री दामोदर लाल व्यास : नहीं नहीं । आपकी इजाजत से पास कर रहे हैं । आप चिन्ता क्यों करते हैं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप बाद में ऐतराज करलें ।

श्री दामोदर लाल व्यास : कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 10 मार्च, 1970 को हुई। दिनांक 11 से 31 मार्च, 1970 तक लिए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में समिति सिफारिश करती है कि इसके लिए समय का बंटवारा इस प्रकार किया जाय ।

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 70	अनुपूरक अनुदानों की मांगों, 1969-70 पर मतदान तथा तत्सबन्धी विनियोग विधेयक पर विचार एवं उसका पारण ।
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, दिनांक 12 13 व 14 मार्च, 70	आय-व्ययक, 1970-71 पर सामान्य वाद-विवाद ।
रविवार, दिनांक 15 मार्च, 70	आय-व्ययक, 1970-71 पर हुए सामान्य-वाद विवाद का राज्य सरकार की ओर से उत्तर । नोट। इस दिन प्रश्न-काल नहीं होगा। तथा इसके स्थान पर अन्य कार्य लिया जायेगा जो श्री अध्यक्ष निश्चित करें ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दिनांक 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26 व 27 मार्च, 1970	आय-व्ययक, 1970-71 से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार तथा उन पर मतदान । नोट : (1) दिनांक 27 मार्च, 1970 को शेष मांगों पर मुखबन्द के प्रयोग के पश्चात् आय-व्ययक, 1970-71 से सम्बन्धित विनीयोग विधेयक का पुरःस्थापन। (2) अनुदानों की मांग उस क्रम में प्रस्तुत की जायेंगी जो सदन के नेता महोदय द्वारा जन लेखा समिति की सलाह पर निश्चित किया जाय।
शनिवार व सोमवार दिनांक 28 व 30 मार्च, 1970	आय-व्ययक, 1970-71 से सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार तथा उसका पारण ।
मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 1970	गैर सरकारी सदस्य कार्य ।

नोट :—(1) सदन की बैठकें शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रेल, 1970 तक चलेगी ।

(2) उपरोक्त कार्य के बटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।

श्री मदन सिंह : क्या इस कार्यक्रम में ...

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदया, कार्य सलाहकार समिति की बैठक के 10 मार्च, 1970 के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़): सभापति महोदया, मैं इस पर थोड़ा निवेदन कर देना चाहता हूं, वह यह है साहब कि जो तारीखें बोली हैं उनके लिए हम तो बिल्कुल सहमत हैं । बाकी एक बात है, वह यह है कि आप बिल्कुल तंग दिन लेंगे तो उसमें हम लोगों को सारी बातें बोलने के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती है । इसलिए यह जो है कम से कम बजट का मामला, वह चार दिन के बजाय पांच दिन या छः दिन रहना चाहिए । इसके अलावा दूसरी जो डिमाण्ड जो हैं, वह कम से कम दो दो या तीन तीन डिमाण्ड रखी जायें । उसमें साहब कभी कभी दस दस, और पांच पांच डिमाण्ड रख दी जाती हैं । उनके बारे में कार्य का बंटवारा विचार करके रखा जाय तो ठीक बात है...

श्री गिरधारीलाल व्यास : पांच दिन रख दिये ।

श्री हीराभाई : वरना कम से कम समय रख कर, तोड़ फोड़ करके फिर विधान

Page No 101

(श्री हीराभाई)
सभा स्थगित करके छोड़ भागेंगे। इस तरह हाउस के अन्दर मजाक नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मेरी राय है कि यदि छुट्टी के दिन भी विधान सभा को चलाते हैं तो हम इसके लिए बिल्कुल राजी हैं, लेकिन छुट्टी के दिन के अन्दर विधान सभा चलाते हैं तो फोर्थ क्लास कर्मचारियों को उस दिन बिल्कुल छुट्टी दे देनी चाहिये वह चाहे अर्दली हों या सिपाही हों—उनके लिए बिल्कुल हाजिरी जरूरी नहीं रखी जाय—चाहे मिनिस्टर हों या सेक्रेटरीज हों, वह अपना काम खुद करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बढ़िया बात है।

श्री हीरा भाई : छोटे कर्मचारियों को बिल्कुल छुट्टी दे देनी चाहिए।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा): सभापति महोदया, यह परम्परा रही है कि रविवार, शनिवार के दिन विधान सभा की बैठक बिल्कुल आफ रखी जाती है। अब इसमें यह व्यवस्था की है कि रविवार के दिन भी बिजनेस चलायेंगे....

श्री मदनसिंह : आपकी पार्टी के लीडर्स ने किया है।

श्रीमती सभानेत्री : यह प्रतिवेदन उपस्थित किया गया है, इस पर सारी पार्टी के मुखियाओं ने विचार किया है और सबने मिल कर इस पर अपनी सहमति प्रकट की है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : हमने हमारे नेता से पूछा है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री हरि वल्लभ शर्मा : हम स्वतंत्र हैं अपना विचार व्यक्त करने के लिए। उसके लिए हमें रोक नहीं सकते हैं।

श्री मदनसिंह : पार्टी लीडर का तो मानना पड़ेगा।

श्री हीराभाई : पार्टी लीडर को हम मानते हैं। हमने स्वीकार किया है। लेकिन क्या छोटे कर्मचारियों को छुट्टी के दिन....

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के 24 वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय..—

श्री विट्ठल प्रसाद
श्री हरिवल्लभ शर्मा } **: नहीं किया जाय।**

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

(स्वीकृत)

(स्वीकृति प्रदान की गई)

कई माननीय सदस्य ; नो नो।

श्रीमती सभानेत्री : क्या डिविजन किया जाय।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : हमने विरोध में अपना मत व्यक्त किया है।

श्रीमती सभानेत्री : डिविजन किया जाय—क्या आपका यह मतलब है ?

श्री मदनसिंह : पक्ष में मत ज्यादा है। इसे स्वीकार करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कैसे मान लें कि बहुमत ने इस बात का स्वीकार किया है।

श्रीमती सभानेत्री : क्या डिविजन किया जाय ?

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या मतलब है। इंगलैंड में डेमोक्रेसी के सारे टाइम में इस प्रकार हाउस नहीं चला। यहां क्या हुआ ? क्या बजह हो रही है ? जब कि इंगलैंड में, जहां बहुत समय से डेमोक्रेसी है, वहां ऐसी परम्परा नहीं है कि इतवार के दिन हाउस चलाया गया हो।

श्रीमती सभानेत्री : बहुमत इसके पक्ष में है इसको स्वीकार किया जाय।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : बहुमत....

श्रीमती सभानेत्री : मदनसिंह जी अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह असंवैधानिक होगा।

श्रीमती सभानेत्री : बीच में यह प्रसंग चालू हो गया। काफी टाइम चला गया।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : हम तो कह रहे हैं। हम ऐतराज कर रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य बहुमत ऐतराज नहीं कर रहा है। बहुमत इसके पक्ष में है कि स्वीकृति दी जाय।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा
श्री हरिवल्लभ शर्मा } : हमें ऐतराज है।

श्री बिरदा राम : सभापति महोदय, मैं अभी बोल रहा हूं।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : इस बात का अन्दाज कैसे लगाया कि बहुमत इसके पक्ष में है। हमें एतराज है।

श्रीमती सभानेत्री : आप दो माननीय सदस्यों को ऐतराज है, जब कि बहुमत इसके पक्ष में हैं कि इसे स्वीकृति दी जाय।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : कैसे अन्दाज लगाया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और बहुमत में विश्वास नहीं है ?

श्री बिरदाराम : जो गरीब काश्तकार है उनके पास में जमीन नहीं है। उनके पास जमीन जोतने और बोने के लिए नहीं है, इसलिए गरीब काश्तकारों को जमीन ऐलाट की जाय।

जालोर क्षेत्र में समाज कल्याण का काम हो रहा है और जालोर के अन्दर हमारे समाज कल्याण मंत्री गये भी हैं। मेरा निवेदन है कि जालोर की स्थिति है उसको देखते हुए वहां पर समाज कल्याण का दफ्तर लगाना जरूरी है। वहां पर समाज कल्याण अधिकारी रहना चाहिए, यह बात मैं समाज कल्याण मंत्री से निवेदन कर रहा हूं। उद्योगों के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में खास तौर से

(श्री बिरदाराम)

जालोर में उद्योगों के लिये कोटा मिलना चाहिये, उद्योगों के लिये हर प्रकार का माल मिलना चाहिये। उद्योगों के वास्ते वहां कोटा नहीं मिलता है इसलिये यहां के व्यापारी दूसरे प्रान्तों में जाते हैं। हमारे यहां के व्यापारी कहते हैं कि राजस्थान में उद्योगों के लिये कोटा नहीं मिलता है, उद्योगों के लिये कोटा लेने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, रिश्वत में पैसा देना पड़ता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार उसका बन्दोबस्त करे कि उद्योगों के लिये कोटा दिया गया तो राजस्थान में उद्योग खुलेंगे और यहां के गरीब मजदूरों को काम मिलेगा, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, राजस्थान की माली हालत अच्छी होगी। इसलिये जल्दी से जल्दी उद्योगों के लिये कोटा देने की व्यवस्था की जाय, राजस्थान में भारत सरकार से उद्योगों के लिये ज्यादा कोटा लिया जाय। सरकार की आज जो उद्योगों के बारे में व्यवस्था है, यह ठीक नहीं है। उद्योगों के लिये, इन्डस्ट्रीज के लिये कोटा मिलना चाहिये, गरीबों को उद्योगों के लिये कर्जा मिलना चाहिये। आज कर्जा लेने के लिये गरीब दरख्वास्त देते हैं तो 6 से 7 महीने कर्जा लेने में लग जाते हैं और उनका बहुत रुपया खर्च हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार गरीबों को कर्जा दिलाने के लिये ऐसी व्यवस्था करे कि एक महीने के अन्दर अन्दर गरीबों को कर्जा मिल जाय। आज अकाल की स्थिति है, इस अकाल की स्थिति में सरकार गरीबों को कर्जा नहीं देगी तो गरीब लोग खेती करने के लिये बैल कहां से लायेंगे ? और उनकी फसलें नष्ट होंगी। इसलिये सरकार कर्जा जल्दी से जल्दी दिलाने की व्यवस्था करे, चाहे भूमि बन्धक बैंक से दिलाएं या किसी दूसरे बैंक से दिलाये, पर यह व्यवस्था जल्दी से जल्दी करे।

मैं अब छात्रावासों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, जालोर के बारे में कहना चाहता हूं वहां छात्रावास खोलें, सायला समिति है, बागरा है, भीनमाल है, वहां छात्रावास खोलना और छात्रवृति देना आवश्यक है। इन जगहों पर छात्रावास होने से गरीब हरिजन और आदिवासी लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, इसलिये वहां पर छात्रावास खोलना बहुत जरूरी है।

सरकार ने 12½ परसेन्ट नौकरियां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मिलेंगी, इस तरह की व्यवस्था की है......

एक माननीय सदस्य : 28 प्रतिशत कर दिया है।

श्री बिरदाराम : जालोर में 6-7 लड़कों को नौकरी में लिया गया पर ... ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब के एक भी लड़के को नौकरी में नहीं लिया गया जब कि उनमें से एक लड़का 14 वीं पास था और दूसरा दसवीं पास था......

श्री मदनसिंह : न शिक्षा मंत्री हैं न मुख्य मंत्री हैं।

श्री बिरदाराम : शिड्यूल्ड कास्ट का एक भी नहीं लिया, इस मामले में सरकार को देखना चाहिये।

हमारे यहां पर खारा पानी है, वहां पर मीठे पानी की व्यवस्था करनी चाहिये, नल की योजना चालू करनी चाहिये। जालोर में

(श्री बिरदाराम)
नल की योजना मंजूर कर ली है, वहां पानी है तो फिर योजना को चालू करने में क्यों देरी की जा रही है? मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां खारा पानी है वहां पर मीठे पानी की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिये।

बिजली के बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि पिछली बार मीटिंग हुई थी तो उसमें यह तय किया गया था कि जालौर में दो मील तक बिजली बढ़ाई जायगी। पर आज तक वहां पर एक मील भी बिजली नहीं बढी है, लोग कनेक्शन्स मांग रहे हैं पर लोगों को कनेक्शन्स नहीं दिये जा रहे हैं। वहां बिजली मौजूद है, 500 लोग बिजली लेने वाले हैं पर एक को भी बिजली नहीं मिली है। दो मील बिजली का एरिया बढाने का कहा है पर अभी तक नहीं बढाया गया है। मास्टर प्लान बिजली का जालौर में बना, उसके लिये बरकत साहब को और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

आज गरीब मजदूर जो काम पर आते हैं, उनको पेमेंट नहीं होता है, इसलिये वे लोग बड़े दुखी हैं, मुझे भी उन गरीबों की हालत देख कर करुणा आ जाती है, मुझे बड़ा दुख होता है, उस क्षेत्र से मैं जीता हूं इसलिये उन गरीबों की हालत देख कर मुझे बड़ा दुख होता है। लोग मुझे कहते हैं कि तू थाका कैसे? मैं इस तरह से थाका हूं, गरीबों के दुखों को देख देख कर मुझे दख होता है, उन लोगों का बन्दोबस्त होना चाहिये। हमारे गरीबों का बन्दोबस्त होना चाहिये जो गरीब बेकार बैठे हैं, उनको काम मिलना चाहिये, पढे लिखे गरीबों को नौकरी मिलनी चाहिये, उनको नौकरी नहीं मिले, यह सरकार का कितना बड़ा अन्याय है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाय और मालूम किया जाय कि कितने बेकार हैं। सरकार की स्कीम है कि लोगों को रहने के लिये जमीन, खाने के लिये रोटी, पीने के लिये पानी और पहनने के लिये कपड़ा होना जरूरी है। तो गरीबों के वास्ते यह होना जरूरी है; पहले पानी फिर खाना, फिर रहने के लिये झोंपड़ी और फिर पहनने के लिये कपड़ा। गरीब अपने रहने के लिये झोंपड़ी बनाता है तो उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो गरीब के वास्ते इन्तजाम किया जाय ताकि गरीबों को राहत मिले। जो लोग बेकार बैठे हैं उन लोगों को रोटी रोजी देनी चाहिये।

श्री मदनसिंह : गरीबों को जयपुर में ले आवो, मंत्रियों का बंगलों में बाड़ देवो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री बिरदाराम : मैं बैठ जाऊ, मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं।

माथुर साहब ने गरीबों के वास्ते जो टैक्स में छूट दी है, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। हरिजनों के वास्ते नौकरी के लिये जो रियायत दी है, वह जल्दी होनी चाहिये और गरीबों पर से टैक्स घटाया गया है, उसके लिये हमारा समर्थन है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : आज विधान सभा में बजट के ऊपर बहस हो रही है। यह तो किसी भी सदस्य के लिये संभव नहीं है कि संपूर्ण बजट पर व्यवस्थित ढंग से अच्छी तरह बजट का क्रिटिसिज्म कर सके, पर कुछ मुख्य मद्दे ऐसे हैं उनसे

(श्री मदनसिंह)

पता चल सकता है कि यह बजट किसका है। इस बजट को देख कर मेरी समझ में यह आया है कि यह कांग्रेस पार्टी का बजट है, राजस्थान की जनता की हालत को देखते हुए यह बजट बना हो ऐसी बात नहीं है। और आज 22 साल से ऐसे बजट बनते आये है। आज तक बजट के माफिक न तो प्रान्तों की सरकारों ने कामयाबी हासिल की है और न ही सेंटर ने कामयाबी हासिल की है। यह मैं नहीं कहता, जो कांग्रेस की सब से बड़ी सदस्या है और जो प्रधान मंत्री है, उन्होंने कहा है कि ये बजट जिस तरह कांग्रेस या महात्मा गांधी देश को आर्थिक स्वतन्त्रता दिलवाना चाहते थे, उसके अनुरूप नहीं हैं।

(4 म० प०)

मुझे विश्वास नहीं होता कि आज आजादी के 20-22 साल बाद भी राज्य सरकार उन नीतियों को कार्य रूप में परिणत कर देगी। ऐसा बजट पास होकर कार्य रूप में परिणत हो सकता था अगर आज इस सरकार की कुछ दृढ नीति रहती। आज से 6 महीने पहले यह सरकार कांग्रेस के दूसरे संगठन का समर्थन करती थी, लेकिन आज यह सरकार इंदिराजी के, या इंडीकेट के नाम से बजट बना रही है। मुझे विश्वास नहीं होता कि किन्हीं परिस्थितियों के बीच में आकर किसी का मन तब्दील हो सकता है। आज से 6 महीने पहले यह सरकार कुछ और माइन्ड रखती थी। थोड़ा हल्ला हुआ, उसके बीच में समाजवाद के नारे लगे, कम्यूनिस्टस का हल्ला हुआ, बंगाल में हरकतें हुई और कुछ वातावरण बना और राज्य सरकार ने अनाउन्स किया कि हम समाजवाद लायेंगे, हमारा बजट समाजवादी बजट होगा।

सभानेत्रीजी, ऐसा बजट, ऐसी चीजें पहले किताबों में थी, क्या आज तक किताबों में नहीं पढ़ाई जाती हैं? अगर किताबें पढ़ने से समाजवाद आ सकता है, अगर यही यथार्थता है, समाजवाद की, अगर इसी से हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो मैं समझता हूं, पहले के लोग जो समाजवाद को लाए हैं, जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने तपस्या की है समाजवाद लाने के लिए, अगर यह इतनी मामूली बात होती, बजट से समाजवाद आ जाता, अगर रूस व चीन में बजट से समाजवाद आ जाता तो वह पागल नहीं थे जिन्होंने इतना परिश्रम किया। इसलिए मैंने राज्यपाल के अभिभाषण के समय भी निवेदन किया था कि हमको सोचना पड़ेगा कि समाजवाद लाने के लिए बड़े त्याग की जरूरत है या नहीं। जहां तक बजट का प्रश्न है, बजट के अन्दर मैं समझता हूं, कुछ अच्छाई आई है। आज मुझे एक चीज जरूर मिली वह यह कि हमेशा बजट भाषण की किताबों का हरा रंग होता था क्योंकि आप कह रहे हैं कि हरियाली लाने का एक आन्दोलन चल रहा है लेकिन आज इसका रंग दूसरा है।

श्री शिवनाथसिंह : पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अभी कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं। कुछ लोग अपने सदन के प्रेमिसेज में हैं, उसके अन्दर एन्टर होकर हल्ला मचा रहे हैं। किस तरह से उनको परमीशन दी गई है, किस तरह से वे अन्दर आए हैं। दरअसल यह सदन के

(श्री शिवनाथसिंह)

लिए गम्भीर बात है, देखना चाहिए कि क्यों और कैसे इनको अन्दर आने के लिए अलाऊ किया गया है और किस तरह से...

एक माननीय सदस्य : यह किसके जरिये हुआ। ये लोग ऊपर से हल्ला करके आ रहे थे, ऊपर की दर्शक गैलरी से उतर रहे थे।

श्रीमती सभानेत्री : आप प्रारम्भ रखें।

श्री मदनसिंह : राजस्थान की गरीब जनता जो अशिक्षित है जिनको पता नहीं कि नारे के आधार पर समाजवाद की बजट के अन्दर व्यवस्था है, यह हमारे गले उतरने की चीज नहीं है वैसे सरकार इनकी पार्टी की है, इनको कोई विवश नहीं कर सकता जैसा भी नारा लगाएं। मैं समझता हूं अपोजिशन की तरफ से इस पर कोई असर होने वाला नहीं है जब तक मंत्रियों के जीवन में परिवर्तन नहीं आए, जब तक विधायकों के जीवन में परिवर्तन नहीं आये। राज्यपाल के अभिभाषण में भी समाजवाद का जिक्र आया था। वित्त मंत्री से भी आज सुना कि समाजवाद क्या है, क्या उसका आधार है। आज राजाओं की तरह कुर्सी पर बैठ कर समाजवाद का नारा लगायें, हो सकता है कि वह गरीब जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जो समाजवादी दलों के नेता है, जो समाजवाद को समझते है, वह आपके चक्कर में नहीं आयेंगे। इसलिए यह धोखेबाजी है इस तरह से मैं समझता हूं, काफी गमराह रही राजस्थान की जनता, इस समाजवाद की आवाज से जिंदा रही, अब वह शायद ही मानेगी। म खास तौर से जो विरोधी दल के लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी कभी कभी इन लोगों के चक्कर में आकर समाजवाद की आशायें करते हो कि ये लोग कोई समाजवाद ला सकते हैं, यह सही नहीं है। इस बजट के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए पार्टियों की तरफ से। गांव 2 में इसका प्रचार होना चाहिए इस नीति के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ। ये लोग जो जनता को गुमराह करते हैं, मैं दलों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे गुमराह न हों। समाजवाद यहीं तक सीमित नहीं रहता है। आप आंदोलन चला कर कम से कम समाजवाद क्या है इसका प्रेक्टीकल रूप इनको बतायें कि जब तक आपका रहन सहन नहीं बदलेगा, तब तक कुछ असर नहीं होने वाला है।

हमेशा बजट तभी चल सकता है जब आय पक्की हो, जब आय मजबूत हो जब तक आय स्थिर नहीं, तब तक बजट नहीं चलेगा। बजट क्यों होता है? यह एक आर्थिक व्यवस्था है, देश हो, राज्य हो या व्यक्तिगत घर हो, उसकनान बजट तभी बन सकता है जब आय पक्की हो। आय में यदि उतार चढ़ाव होते हैं और व्यय करते हैं तो खर्च इतना अधिक बढ़ जाता कि है कर्जा लेते हैं फिर उसको कर्जा न मानकर बराबर का बजट कहते हैं जब तक आप पर कर्जा है तब तक कैसे कह सकते हैं कि अच्छा बजट है? एक बावला है, पागल है, वह भी अच्छी कुर्सी रखता है, कर्टेन लगाता है, खाने को पैसा नहीं, वह कहता है कि बजट कितना अच्छा है। वैसे ही राजस्थान

(श्री मदनसिंह)

में योजनाएं हैं, उनका रिटर्न क्या है, नतीजा क्या है? मैं समझता हूं वह किसी से छुपा नहीं।

जो वित्त विशेषज्ञ है वह भी अपनी राय रखते हैं। जो अपना नेतृत्व करते हैं, वह खुद जब तक सेक्रिफाइस नहीं करेंगे, तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। सड़कें ज्यादा बना सकते हैं, बिजली ज्यादा लगा सकते हैं, मगर जो समाजवाद लाना चाहते हैं उनके द्वारा जब तक त्याग नहीं होगा तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। ये चीजें बिडला भी कर सकते हैं। अंग्रेज भी करते थे, अंग्रेज भी जगह 2 पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते थे, सड़कें बनवा सकते थे, नालों की योजनायें शुरू कर सकते थे लेकिन जो झांकी महात्मा गांधी दिखाना चाहते थे वही स्वतन्त्रता के 22 वर्ष बाद आज राज्य सरकार बताना चाहती है कि यह समाजवाद है। क्या आपके और कामों में समाजवाद आया है? 2-4-5 व्यक्तियों की यह सरकार है। 2-4 व्यक्ति बंगाल में हैं, दिल्ली में 2-4 व्यक्ति हैं। सरकार अपनी व्यवस्था पेश करती है और गुमराह करती है। आपकी पार्टी में दो टुकड़े हो गये, इसलिए कम से कम जनता को गुमराह करने का यह बहुत अच्छा सिद्धान्त है। मूंगफली से कर हटा दी, पापड पर कर माफ कर दी ताकि हाजमा ठीक हो। इस तरह से लोगों को गुमराह करके बताना चाहते हैं कि बजट में कितनी अच्छी चीज है, गरीबों का उत्थान हो जायगा। गरीबों का उत्थान सेक्रिफाइस से होगा।

2-4 बातें प्रशासन की कहूंगा। उसमें क्या ढील है? आज तक क्या विधान सभा में 4 घंटे या 10 घंटे समाजवाद पर लगाएं हैं कि समाजवाद क्या है? इस पर आज तक कोई बहस नहीं हुई। मुर्गी का अण्डा खराब हो जाय तो 4-4 घंटे बहस हो सकती है। यह तो आपकी मर्जी है, फिर वोटर्स को धोखा देकर समाजवाद लाओ लेकिन राज्य में कुछ 2-4 कमियां है, उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पहली चीज है शिक्षा। क्या राज्य में वास्तविक शिक्षा मिल रही है? क्या जैसी शिक्षा होनी चाहिये, उसका फल मिल रहा है? मैं मानता हूं कि शिक्षा का रिटर्न पैसे में नहीं हो सकता है। खर्चा हो रहा है तो क्या वापिस फायदा मिल रहा है? क्या वैसे स्टूडेन्ट्स निकल रहे हैं, वैसी चीजें उनमें आ रही हैं? क्या वे पढ़ जाते हैं तो उनको नौकरियां मिल रही हैं? क्या उनको समझाने का माद्दा है? क्या वे जो जो मांगें देते हैं उनको पूरी करते हैं? क्या स्टूडेन्ट्स और प्रोफेसर्स में अच्छा वातावरण बन रहा है? क्या स्टूडेन्ट्स की सुरक्षा है? जो जो अच्छी चीजें शिक्षा में होनी चाहियें, वह नहीं हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सुशिक्षा गांव गांव में ले जानी चाहिये। आज हम गांवों में शिक्षा का जो रूप देखते हैं, वह बड़ा अजीब और विचित्र है। पंचायत समितियों के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, क्या कभी सरकार की तरफ से विचार होता है कि उनको शहरों के बच्चों के मुकाबले में शिक्षा मिलनी चाहिये, वह मिल रही है? आप आपके बोर्डिंग्स हैं। लोगों ने कहा कि आज बाहर नारे लग रहे हैं।

(श्री मदनसिंह)

क्यों लग रहे हैं ? आप क्यों नहीं गम्भीरता से लेते हैं ? आज कोई सुरक्षित नहीं है, लड़के सुरक्षित नहीं हैं। उनके चरित्र पर कोई अच्छा असर नहीं है। व्यवस्था पर असर नहीं हो तो न तो यह स्थिति आप से और न इन्दिराजी से मिटेगी और न मिटती आयी है। इसलिये आपको शिक्षा के माने में सोचना चाहिये। कैसी शिक्षा होनी चाहिये ? चरित्र का किस प्रकार निर्माण होना चाहिये जो आगे चल कर इन्दिराजी और नेहरूजी के माफिक हो सके। क्या कोई छाती ठोक कर मंत्री कह सकता है कि इससे गांधी और नेहरू निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। गांवों में मास्टर और लड़कों में कोई फर्क नहीं है। दो दिन तक नहीं नहावें तो मास्टर नहीं कहेंगे कि नहाये नहीं। बीस बीस रोज तक मास्टर नहीं नहावेंगे। मास्टर के गरारे का एक नाड़ा नीचे लटक रहा है तो लड़के का दूसरा। गांव गांव में, झोंपड़ी झोंपड़ी में शिक्षा का प्रसार करने वाली राज्य सरकार की शिक्षा का यह हाल हो रहा है। आज कोई नही बताता है कि किस प्रकार बैठो, किस प्रकार कपड़े पहनो, किस प्रकार खाओ ? मेट्रिकुलेट होकर गांव का आदमी यहां आता है, सिलेक्शन बोर्ड के सामने तो उसको पतलून पहनने का होश नहीं। जवान है हट्टा कट्टा है, साफा पहने है। मुख्य मुद्दा तो सामने लायें ताकि दूसरे देशों में कह सकें कि गांवों के बच्चे आते हैं उनकी ओर सरकार क्या ध्यान देती है। सिलेक्शन बोड और अन्य फैसेलिटीज हैं।

हरिजनों के सम्बन्ध में इतने नारे लगाये। हरिजन भाई नाराज न हों। इन नारों में आपको भी भगवान ने फंसाया, आपके पास भी दूसरी पार्टी नहीं है जिसमें जाकर इनको विवश करें। हरिजनों और मुसलमानों के पास दो ही जरिये हैं, जी हजूरी करो और सरकार को माई-बाप कहो। आज विधायक यहां खड़े होकर कहें कि मंत्रीजी महरबानी करो और वित्त मंत्रीजी यहां से चले जाते हैं। 3 बजे बाद जैसे सूर्य अस्त होता है, विधान सभा के नेता अस्त हो जाते हैं। उनको इन्ट्रेस्ट नहीं रहता है कि गरीबों की आवाज सुनें। शिक्षा के मामले में वृद्धि ज्यादा कर दी होगी, स्टुडेन्ट्स के आंदोलन ज्यादा हो गये होंगे, लेकिन शिक्षा के माने में रूचि और मास्टरों के सम्बन्ध में इन बीस वर्षों में कोई फर्क नहीं आया है। यह भी ऐसा खर्चा है जो रिटर्न नहीं करता।

राजस्थान की पुलिस के माने में तो आंकड़े बता रहे हैं मैं क्या बताऊंगा। क्या क्या सुरक्षा के काम किये। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, राजस्थान की पुलिस तो मर चुकी है। भारतवर्ष की पुलिस का भी जहां तक सम्बन्ध है पुलिस को गुंडों का भय है और पुलिस का भय गुन्डों को नहीं। यदि पुलिस का भय है तो ईमानदार और इज्जतदार आदमी को है। आज राजस्थान और बंगाल में क्या पुलिस का भय ईमानदार और इज्जत वाले को है ? गुन्डे और बदमाश आज पुलिस के द्वारा सुरक्षित हैं। बंगाल का नमूना राजस्थान में भी आ रहा है और राजस्थान की पुलिस में भी वह असर है कि चार गुन्डे मिलकर राजस्थान के एस० पी० को दबाना चाहें तो दबा सकते हैं। ईमानदार की बात कभी वह सुनने को तैयार नहीं। सुरक्षा पर आज

(श्री मदनसिंह)

करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन यह बात में नहीं कहता, भारत के कमाण्डर-इन-चीफ ने बंगाल में यह ऐलान किया कि जब बड़े आन्दोलन होते हैं और मार काट होती है तो फौजी आदमी को बुला लेते हैं, और फौज के आदमियों के आते ही असर हो जाता है और पुलिस, जिसकी वह की वही ट्रेनिंग, पुलिस के सिपाही को वही राइफल मिलती है और राउन्ड मिलता है जो फौजी को मिलता है, फौज के मेजर और पुलिस के एस०पी० की ट्रेनिंग एक सार होती है लेकिन आज पुलिस में जनता विश्वास क्यों खो बैठी है? जनता विश्वास खो बैठी है। इसलिये कि पुलिस के लोग हमारी क्या सुरक्षा करेंगे जो हमारे से पैसा खाते हैं। जो फौज में आज कान्फीडेन्स है और ट्रेनिंग और विश्वास है अफसर और जवानों में, जहां फौजी आगया, वहां गुन्डे भाग जाते हैं। पर यह कान्फीडन्स आज पुलिस में नहीं है, इसका कारण नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है पुलिस में तीन विभाग हैं। एक सी० आई० डी०, दूसरा पुलिस एज सच और तीसरा एन्टीकरप्शन। सभानेत्रीजी, सी० आई० डी० की तो मुझे मालूम नहीं, न ज्यादा एक्टीविटी इसकी देखी हैं, फिर भी कह सकता हूं कि सरकार को समय समय पर अवगत कर देती है। पुलिस का जहां तक सवाल है, वह राजस्थान में किसी को भी मार सकती है, लूट सकती है और बरबाद कर सकती है। तीन चार गवाह मजबूत होनी चाहिये और वकील अच्छा होना चाहिये। जैसलमेर और बाड़मेर के एरिया में गत वर्ष भी देखा और आज भी देख रहे हैं। एन्टीकरप्शन के लिये उदाहरण दूंगा तो ताज्जुब करेंगे। विधायक कोशिश करें अफसरों के खिलाफ केसेज लगाते हैं पांच पांच वर्ष तक विधायकों को रगड़ा जाता है। चेक पर साइन हुए मौजूद है, पैसा खा गये, वह आदमी मौजूद है, अकाउन्टस मौजूद है और वह भी चैक सी० एम० के जरिये एण्टी करप्शन में भेजा जाय और जल्दी से जल्दी जिसको सस्पेन्ड करना चाहते हैं लेकिन एन्टीकरप्शन में विमजिकल आदमी भर गये हैं उनकी ईमानदारी में मैं डाउट नहीं करता, लेकिन वे चोरों को मौका देते हैं। चैक किसने लिया, क्या मोड़ था? सभानेत्रीजी, इस प्रकार से एन्टीकरप्शन वाले काम कर रहे हैं। जोशीजी नोट ले लेंगे। मैं चाहता था कि होम मिनिस्टर और मुख्य मंत्रीजी यहां रहते एन्टीकरप्शन के नमूने की फाइल पेश करता। चीफ मिनिस्टर चेक पर साइन करें। होम मिनिस्टर ने भेजा और डी० आई० जी० बैठे हैं वह कहते हैं कि यह तो पहले का केस है इसको रद्दी की टोकरी में फैंक दो। एक व्यक्ति पैसा लेता है, सी० एम० दस्तखती चैक उसे भेजते हैं और उससे अधिक क्या सबूत हो सकता है। गोरधनसिंह था, 6 वर्ष से केस चल रहा है चैक पकड़ा गया, मेरी किताब में एलट्रेशन हुए हैं, वह पकड़ा गया और 6 वर्षों से पेशियों पर घूम रहा हूं। इसिलिए एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट में आप एक दो चमत्कार कर सकते हैं। पर वहां भी तर्क दिया कि हमें तो ठाकुर साहब, रुपया लेते हुए बताओ। आप इसकी आशा ठाकुर साहब से मत करिये, इस मामले में दूर भागते हैं ठाकुर साहब से। मैं कैसे पकड़ाऊंगा इस तरह?

श्री मूलचन्द डागा (पाली): आपके तो कागज उड़ जाते हैं।

श्री मदनसिंह: आप के उड़ेंगे कागज तो।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : एन्टी-करप्शन के वकील बनने के लिये तैयार हैं ।

श्री रामकिशन (वर) : एन्टी-करप्शन के नहीं, करप्शन के कहिये ।

श्री दौलतराम सारण : करप्शन में कैसे कह सकता हूं ।

श्री मदनसिंह : मेरे कहने का लक्ष्य तो और था किसी को बुरा लगा हो, तो बात दूसरी है। किसी एम० पी० से दोस्ती है तो ठीक है। मैं वास्तव में कह रहा हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे दोस्त हैं ।

श्री मदनसिंह : आपके दोस्त तो और जगह हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : ये तो ब्रह्मज्ञानी हैं, मनुष्य मात्र से दोस्ती है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ब्रह्मज्ञानी तो आगे बढ़ें हैं ।

श्री मदनसिंह : यह पता नहीं कौन ब्रह्मज्ञानी है, कौन नहीं है ? इसलिये मेरा एन्टीक-रप्शन पर थोड़ा विश्वास था पर वह भी डगमगा गया है। दो चार केस प्रत्यक्ष में थे । पर निश्चित रूप से यह पता मुझे लग गया कि एन्टीक-रप्शन वाले आई० जी० पी० और मिनिस्टरों से दबते हैं, मिनिस्टरों के चमचों से दबते हैं । यही कारण है कि चैक पकड़ा जावे, अकाउन्ट्स चैक कराया जावे, तब भी कुछ करने को तैयार नहीं होते ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : थोड़ी जानकारी चाहता हूं कौनसा चैक है, जानकारी तो मिले ।

श्री मदनसिंह : यह आपके परम मित्र जगदीशप्रसाद शर्मा, प्रधान, दांतारामगढ़ जिनके लिये आप मिनिस्टरों के पास सिफारिशों के लिये दौड़ते रहते हैं। चैक की नकल भेजते हैं, मैं सब बताता हूं । हिम्मत हो तो आप उनको पकड़ें । एक हजार रुपया रिश्वत का लिया है । यह चैक उसके लिये साक्षी है। एन्टी-करप्शन में चैक है। उनके दस्तखत हैं। बीकानेर बैंक में जिससे रिश्वत ली है वह साफ है । आप चले चलें । अभी आपको दिखा दूंगा ।

श्री मोहनलाल मोदी : चैक से रिश्वत दी जाती है क्या ?

श्री मदनसिंह : यह तो आप अधिक जानते हैं । उन्होंने स्वीकार किया है । आप कांग्रेस के सच्चे विधायक तब होंगे जब उनके खिलाफ केस दायर करके उनको सजा दिलाएं ।

श्री मोहनलाल मोदी : बैंक से सजा कैसे दिलाई जा सकती है । आप इसमें कहीं भूल कर रहे हैं । रिश्वत देने वाला कभी चैक से रिश्वत नहीं देगा । आप ठाकुर साहब हैं, आपका काम पड़ता नहीं है, इसलिये जानकारी नहीं है आपको ।

श्री मदनसिंह : आप बनिये हैं, आपका काम पड़ता रहता है, आप जानते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपका तो यह खानदानी धन्धा ही है ।

श्री मोहनलाल मोदी : बनिये का तो देना और लेना ही काम है ।

श्री मदनसिंह : आपका भी मौका है, आप चैक से लेना।

श्री मोहनलाल मोदी : आप देना चाहें चैक तो दे दें। मैं ले लूंगा।

श्री मदनसिंह : तो इसलिये सभानेत्रीजी, मेरा तो इस एन्टी-करप्शन विभाग से विश्वास उठ रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मेरा भी उठ रहा है।

श्री मदनसिंह (दांता) : पुलिस का भी हाल यही है। पंचायत राज के सम्बन्ध में कह रहा हूं। जिस पंचायत मिनिस्टर से उम्मीद थी, जो विधान सभा के बीच छाती ठोक कर कहते थे कि आज पंचायतों में पक्षपात नहीं करते। वहां आज इन्होंने जो लिखा है वह वाकई रिश्वत है। मिनिस्टर क्यों सस्पेंड नहीं कर सकते? मिनिस्टर, सी० एम० को ताकतें हैं। पंचायत मिनिस्टर क्यों नहीं सस्पेण्ड कर सकते हैं? चुनाव आ रहे थे इससे दबे हुए थे। दांता पंचायत में वह सरपंच है। 17।18 मुकद्दमे उन पर लगे हैं।

सभानेत्रीजी, उनकी करप्शन की बात असेम्बली में अपनी जबान से नहीं कह सकता। काफी इल्जाम हैं इनके खिलाफ। काफी मुकद्दमे चल रहे हैं चोरियों के और और चीजों के। आज केवल मन्त्रीजी के बूते पर वे जिन्दा बैठे हैं। इसलिये आज जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है इसके लिये धन्यवाद दूंगा कि इससे पैसे का जो ये लोग पहले दुरुपयोग कर लेते थे वह रुक जावेगा। पंचायतों के पैसे के जरिये ये वोट खरीद लेते थे मोदीजी जैसे आ जाते थे, वह अब नहीं हो पावेगा।

श्री मोहनलाल मोदी : 20 वर्षों से आता ही रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या रिश्वतें देते ही आ रहे हो?

श्री मोहनलाल मोदी : आप एक जगह से चुन कर आते हैं और दुबारा रह जाते हैं। एक बार जनता आपका नमूना देख लेती है, फिर हटा देती है।

श्री रामकिशन : आप भी तो दूसरी बार ही आये है। कौन बार बार आ रहे हैं?

श्री मोहनलाल मोदी : मैं आ रहा हूं मेरे चाचा आ रहे है। यह तो मेरा खानदान है।

श्री मदनसिंह (दांता) : आप इनको बोलने दीजिये। ये अपना जवाब खुद ही दे ले रहे हैं। लड़का आवेगा, मर कर पोता आवेगा। यह तो हम जानते हैं। जूते खाये हैं या क्या खाया है। वहां से जूते खाकर ही आये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): जूते खाना शब्द रखना है या निकालना है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : है तो अनपार्लियामेन्टरी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : आदमी जिन्दा चमड़ा खा सकता है तो जूते क्या बुरे हैं।

श्री मदनसिंह : मैं पंचायतों के सम्बन्ध में कह रहा था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से अच्छा हुआ। इससे पंचायतों में भ्रष्टाचार और रकम का दुरुपयोग समाप्त हो जावेगा।

बैंकों से पैसा लेने में गरीबों को अब भी दिक्कत आती है। इस आदमी का खेत है और पहले कोई लोन नहीं लिया है ये दो बातें देख कर लोन दे दिया जाना चाहिये। तब तो गरीबों को लोन मिल सकता है। वरना नहीं मिल सकता।

मेरा सुझाव है, जिस तरह से पंचायत समिति में बीज का वितरण होता है कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनका वितरण होता है, सोने और चांदी के जेवर रखे जाते हैं, तो क्या ट्रैक्टर नहीं रखा जा सकता? इन्जिन नहीं रखा जा सकता? आज समाजवाद आ रहा है, तो ट्रैक्टर को भी बैंक अपने पास रख कर लोन दे। इससे किसान को समय पर रुपया मिल सकेगा और वह फायदा उठा सकेगा।

पर बैंकों में भी भेदभाव आज भी है। राष्ट्रीयकरण की दुहाई जरूर दी गई है। पर उनका काम करने का ढंग अभी नहीं बदला है। मैंने बैंकों की मीटिंग के निर्णय सुने हैं। राजस्थान बैंक के चैयरमैन अच्छे हैं। तो वह तो उदयपुर के पांती आया। अब राजस्थान बैंक से मैं उधार लूं तो नहीं मिलेगी। एक सीकर का हरिजन उधार ले, तो नहीं मिलेगा। उसके लिये कहेंगे कि तुम्हारा बैंक बीकानेर बैंक है। झुंझुनू का बीकानेर बैंक है। यह बैंकों में भी फर्क कर लिया। राजनीति इसमें भी जोड़ दी। अच्छा बैंक उदयपुर का। खराब खराब दूसरों के जो दस बार कहें तो एक बार दें। तो यह सारा पक्षपात का मसला चल रहा है। इनसे गरीबों को क्या राहत मिलेगी? मुझे विश्वास नहीं कि गरीबों के पास ये बैंक पहुंचेंगे। रिक्शा वाला भी आज सोच रहा है कि राष्ट्रीयकरण से उसको भी कुछ सहायता मिलेगी। पर पैसे मिलने का रास्ता पक्षपात भरा है। दो दो लाख रुपये उनको मिलते हैं जिनके पास काफी जमीनें हैं और उन लोगों के जाते ही तीन मिनट में मामला सिद्ध हो जाता है। पर आज एक दांतारामगढ़ का गरीब किसान जाए तो छः छः महीने में और एक वर्ष में भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिये मैं समझता हूं बैंकों का राष्ट्रीयकरण तभी ठीक हो सकता है, जब ऐसी व्यवस्था हो, जब बैंकों पर प्रतिबन्ध हो, गरीबों को रुपये जल्दी से जल्दी मिलें। 5 एकड़ के आगे तो लोन मिलेगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : समय समाप्त हो गया।

श्री मदनसिंह : आप चिन्ता क्यों करते हैं? आप बोलते हैं तो मैं बड़ा घबराता हूं। 5 एकड़ तक लोन नहीं मिलेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं 5 बीघा वालों को लोन नहीं मिलेगा तो वह गरीब....

श्री मूलचन्द डागा : मिलेगा।

श्री मदनसिंह : 5 एकड़ से कम वालों को मिलेगा?

श्री मूलचन्द डागा : हां।

श्री मदनसिंह : दैन आई विल सेन्ड इट टू यू। यह तो मैंने बैंकों की बात कही। अब मुझे दो शब्द सीलिंग के लिये भी कहना है। सीलिंग के लिये मेरा पहला मौका है बोलने का। यहां के विधायक महोदय जागीरदार हैं, सरदार हैं और कई किसान पैदायश से पुरखों से चले आते हैं।

(4.31 म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

आपकी यह व्यवस्था हो ही नहीं सकती है एक के पास 100 बीघा जमीन है, दूसरे के पास तीन बीघा जमीन है, सीलिंग एज सच यह हो ही नहीं सकता और मेरी समझ में नहीं आता है जब आपकी आखिरी नीति कोऑपरेटिव बेसिस पर है, अब चाहे जयपुर हिजहाईनेस के पास दो हजार बीघा जमीन हो उसमें सीलिंग क्या लेजा है। कम्पलसरी कोऑपरेटिव बेसिस पर कर दीजिये कि कोई भी ऐसी होल्डिंग नहीं रखेंगे जो कलेक्टिव बेसिस पर नहीं होगी।

श्री शिवनाथसिंह : पोइन्ट ऑफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कुछ लोग बाहर से दर्शक दीर्घा में आए हुए हैं और उन्होंने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली है। नारे लगा रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं सदन के प्रांगण में इधर उधर घूम रहे हैं वे किसकी इजाजत से यहां आये हुए हैं? मेरी ऐसी मान्यता है कि हाउस की मर्यादा भंग हुई है और हाउस के लिये बड़े दुःख की बात है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय और जिन्होंने अनधिकृत प्रवेश किया है, किन किन लोगों के जरिये वे आये हैं, किन किन वाच एण्ड वार्ड वालों ने उन्हें अलाऊ किया है इसकी जांच की जाय और कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : मुझको भी इसको अभी अभी सूचना मिली है। कुछ विद्यार्थी यहां आये हुए हैं। दर्शक दीर्घा का मुझे पता नहीं। मुख्य मंत्रीजी से मिलने के लिये आये हैं और उसके बाद वे नारे बाजी लगा रहे हैं बराबर बाहर। अब कम से कम यह प्रांगण जिसकी अब तक प्रतिष्ठा रही है, जिसके प्रवेश के नियम हैं वहां पर अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो उचित नहीं। यों यह सदन ऐसे प्रश्न पर बहुत ही गंभीर रहा है। मैं चाहता हूं कि यह सदन इसका कागनिजेन्स ले लेकिन इसके पूर्व यदि यह सम्भव हो तो माननीय सदस्य विरोधी दल के और एक दो सदस्य इधर से जाकर उनको अवगत करा दें, प्रिवियस नोटिस के तौर पर कि उनकी ये हरकतें सदन की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं हैं इसलिये मैं सदन की राय चाहता हूं बाकी मैं सक्षम हूं अपने मार्शल को आदेश दूं वह इनको बाहर निकाले इसलिये मैं सदन की सहमति लेकर आगे का कदम लेना चाहता हूं। आपकी क्या राय है?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, नोटिस देकर उनको निकालना चाहिये। कोई स्ट्रेंजर अगर आ जाय.....

श्री अध्यक्ष : मैं इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों की सहमति चाहता हूं।

Page No 114

श्री मदनसिंह : राय तो तब दी जाय जब यह मालूम हो कि कौन आया है, कैसे आया है, क्या है तब दी जाय। आपको चाहिये, आप करें। आप चाहें तो हम भी ऊधम बाजी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा तो नहीं करें। सदन की सीमा से बाहर निकालने के लिये अपने मार्शल को आदेश देता हूं। इस सदन की सम्मति से.....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुर्भाग्य से पूरी जानकारी नहीं है इसलिये प्रमाणिक राय देने की स्थिति में तो नहीं हूं लेकिन बजाय इसके कि आप मार्शल को भेजने की व्यवस्था करें उनको इसके परिणामों के सम्बन्ध में जानकारी दी जाय तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूं माननीय सदस्य इस दायित्व को लें। इधर से बैठने वाले एक-दो माननीय सदस्य और उधर से बैठने वाले एक-दो माननीय सदस्य बाहर चले जांय और प्राथमिक रूप से देख लिया जाय। अगर यह सम्भव न हो तो फिर अन्तिम रूप से.......

श्री शिवनाथसिंह : जो ऐसा ऐक्शन लिया है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। समझाने के बजाय उनको निकालना चाहिए। उन लोगों ने ऐसा एक्शन लिया है। सदन के सामने हल्ला करने का क्या परिणाम होना चाहिये यह वे जानते हैं। वे जानबूझकर करना चाहते हैं। हम उनके सामने जाकर हाथ जोड़ें यह उनके लिये और प्रोत्साहन होगा इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मैंने पहले भी निवेदन किया है और फिर निवेदन करना चाहता हूं इस तरह जो सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस सदन की गरिमा को गंभीरता से देखेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं तो यह निवेदन करूंगा जैसा कि उन्होंने (श्री रामकिशन) निवेदन किया है वही मार्ग उचित है। दो माननीय सदस्य उधर से और दो माननीय सदस्य इधर से जाकर उन्हें यह कहें कि यह काम ठीक नहीं है। मार्शल को भेजने से पहले यह उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं वे उनको जाकर सूचित कर दें और बाद में जो कार्यवाही होगी वह करेंगे। आप (श्री मदनसिंह) आरम्भ रखें। सदन की कार्यवाही आरम्भ रहेगी।

श्री मदनसिंह : मैं सीलिंग के बारे में यह कह रहा था कि.........

श्री अध्यक्ष : आप भी कृपा करके थोड़ा समझा दें।

(श्री रामकिशन, श्री मनोहरसिंह, मेहता, श्री विजयसिंह मकराना का बाहर के लिए प्रस्थान)

श्री मदनसिंह : वित्त मंत्री महोदय, ऐसा भाषण देते हैं जो उनके दायरे का नहीं इसलिए मैं समझता हूं.........

(कई माननीय सदस्यों का प्रस्थान)

(श्री मदनसिंह)

सम्पूर्ण सीलिंग को लेने से अभी क्या मतलब है ? अब आपका आखिरी निशान कलेक्टिव फार्मिंग पर है। जब आपको इस लाइन पर आना है तो इतना हल्ला किस बात का ? छोटी होल्डिंग और बड़ी होल्डिंग वाले मिल कर काश्त करें तो इस बात के लिये क्यों किया जा रहा है ? इसमें अनावश्यक खर्चा राज्य का भी होगा और काश्तकारों का भी होगा रजिस्ट्रेशन होगा और फिर वापिस कैंसिल होगा। मेरा सुझाव है इस सीलिंग को खत्म करके कलेक्टिव फारमिंग का कदम राजस्थान को उठाना चाहिए। अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूं यह कदम ठीक होगा। सीलिंग के बारे में कई मुकदमें कर रहे हैं। सीलिंग जैसलमेर में क्या होना चाहिए, गंगानगर में क्या होना चाहिए इस प्रपंच में आज तक सीलिंग नहीं आया। कोआपरेटिव फारमिंग का कदम राजस्थान में उठाया जाता है तो वह काश्तकारों के लिए हितकर होगा। आज राजस्थान के वित्त मंत्रीजी इस बात पर जोर देते तो अच्छा होता और कहते कि काश्तकार की परिभाषा वही होगी जो कलेक्टिव फारमिंग करेंगे, वही काश्तकार होगा। पैदाइश से काश्तकार नहीं हो सकता। आज कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं फलां जाति का हूं। अगर कांग्रेस की स्टेज पर यही भाषण होंगे कि फलां आदमी यह कार्य करता है तो वही काश्तकार हो सकता है और एक हरिजन जो चमार का काम करता है तो वह वही काम करेगा और वह काश्तकार नहीं हो सकता यह बिलकुल गलत बात है। यह सोशेलिटक पैटर्न की सोसाइटी में शोभा देने वाली बात नहीं है। इसलिए मैं आज जोर देता हूं कि अगर राजस्थान की सरकार सोशेलिज्म लाना चाहती है तो पहला नारा होना चाहिए कि किसान वह जो कोआपरेटिव फार्मिंग के साथ अपना हल लेकर कार्य शुरू करेगा। इसलिए मैं सीलिंग के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। सीलिंग के बारे में मेरा यही निवेदन था और अन्य बातें राजस्थान नहर की, आंदोलन हुआ—यह सरकार जैसे जैसे नेता और जिनकी जैसी जैसी भावना है वैसे ही लोग बनते जा रहे हैं। आन्दोलन गंगानगर का बहुत अच्छा हुआ और वह कैसे समाप्त हुआ यह दुर्भाग्य है उन पार्टियों का। आज गंगानगर में जो आन्दोलन हुआ उस आन्दोलन से इन्सपीरेशन लेकर राजस्थान का किसान जागा था और एक दम ड्राप होकर खत्म हो गया इसके लिए मैं कांग्रेस को दोष नहीं देता हूं बल्कि नेताओं को दोष देता हूं। कभी कम्युनिस्ट पत्र लिखते है और कभी कोई लिखते हैं। किस तरह से इन चीजों को उठाकर सही आन्दोलन जो कि आज क्रांति ला सकता है उसमें बीच में पड़कर नेता लोगों ने उसको खत्म करा दिया और यही दुर्भाग्य है कि आज राजस्थान में अपोजिशन राज्य नहीं कर सकता। जो आन्दोलन होते है वह या तो पुलिस से दबाये जाते हैं या नेताओं से दबाये जाते हैं। इसलिए राजस्थान में मुझे तो आशा नही है कि सोशियेलिज्म आ जायगा इस बजट से या राजस्थान की जैसी व्यवस्था है उससे विश्वास भी नहीं होता। कांग्रेस में एक दो आदमी ईमानदार हो सकते हैं, जनसंघ में भी हो सकते हैं, औरों में भी हो सकते हैं। ईमानदारी का ठेका कोई अपोजिशन ने ही नहीं लिया। जब तक सारी पार्टियां अपने लक्ष्य के अनुसार नहीं चलें तब तक कुछ नहीं हो सकता।

(श्री मदनसिंह)

इस बजट में सिपाहियों के लिये कुछ भी नहीं आया। आज फौजियों के लिये बड़ी बड़ी बातें की जाती है इसके संबंध में पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं कुछ कह चुका हूं और अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर ने यह वादा भी किया इस संबंध में आप देखेंगे कि जैसी सहूलियतें हरिजनों को मिल रही हैं फौजियों को भी सहूलियतें मिलें और उनको भी जमीनें मिलनी चाहिये और मेरा प्रश्न था आप यहां नहीं थे असेम्बली मे बहुत बड़ा गम्भीर मसला जो हरिजनों के छुरा भोंकने का कार्य हुआ है वह यह हुआ है कि जमीन का अलाटमेन्ट हरिजनों को न होकर एक जागीरदार को, टोंक के जागीरदार को बहुत बड़ी जमीन अँलोटमेंट में मिली जबकि गवर्नमेंट का एलान यह है कि हम हरिजनों को ही भूमि का अँलाटमेन्ट करेंगे। मंत्री महोदय ने आज भी जबाब नहीं दिया। मैं जोशीजी आपको पूछता हूं कि क्या आप उस जागीरदार की जमीन छीनावेंगे? जो अलॉटमेन्ट जागीरदार को हुआ तो क्या आप वादा करते हैं कि उसकी जमीन छीनी जायेगी। मैं आखिर में आपसे यही प्रश्न पूंछना चाहता हूं और अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। फरमायें।

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है।

श्री मदनसिंह : जमीन उसी की रहेगी? जब मंत्री ही इस तरह का जबाब देते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका मंत्रियों पर फोर्स हो कि हरिजनों को अलॉटमेन्ट होना चाहिये उसके बजाय एक जागीरदार, टोंक को जमीन मिली है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लज्जा की बात और कोई नहीं हो सकती। कोई हरिजन जिन्दा है तो मैं चाहता हूं कि आज पीछे पड़ जाओ इस बजट सेशन में इस चीज को मनवाओ कि हरिजनों को जो स्पेशल प्रिवलेजेज थे उनके ऊपर एन्क्रोचमेन्ट एक जागीरदार ने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्रीजी को निवेदन करदूं कि भगवान करे आपके पापड़ सिके और पापड़ खाते रहें।

(विराम)

15 मिनट में यह जवाब दें तो अच्छा है। आप पधार गये। हरिजनों की जमीन जागीरदार ने ली है ......

श्री अध्यक्ष : आपने तो समाप्त कर दिया तो वह समाप्त हो गया वहीं। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो राजस्थान का बजट पेश किया है वह बड़ा ही उलझनपूर्ण बजट है। जिस ढंग से लोकतंत्र और समाजवाद में उन्होंने विश्वास व्यक्त करके बातें कहीं मैं समझता हूं कि.........

श्री अध्यक्ष : (श्री रामकिशन के सदन में प्रवेश करने पर) माननीय रामकिशन

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय......

श्री शिवनाथसिंह : (सदन के बाहर विद्यार्थियों के नारे लगाने पर) अध्यक्ष महोदय, आपका डिसीजन सर्वमान्य है लेकिन फिर भी जो बाहर किया जा रहा है वह बरदाश्त के काबिल नहीं है। मैं अपने आपको असमर्थ पा रहा हूं कि इस

(श्री शिवनार्थसिंह)

तरह का डिस्टरबेन्स होता रहे और उसके लिए हाउस कोई एक्शन नहीं ले । यह बरदाश्त के काबिल नहीं है ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उन लोगों में कुछ दर्द है और तकलीफ है और जो उन्होंने प्रश्न रखे हैं वह इस प्रकार के प्रश्न रखे हैं कि जो बहुत विचारणीय हैं लेकिन सदन की सलाह पर और जैसा हमको कहा वह चले गये हैं और मान गये हैं कि वह इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे ।

श्री मदनसिंह : मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे नारे बहुत ज्यादा सुनें । इस सदन में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जूते उठाये हैं । क्या आप यह चाहते हैं कि जो स्टूडेन्ट्स की मांगें हैं वह मैं रखूं.........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य

श्री मदनसिंह : इसलिए इस सवाल को हम नहीं छेड़ रहे हैं । अभी इस संबंध में बातचीत हो रही है और हम भी उतने ही गम्भीर हैं । हमें भी दुख है.........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य

मांगों के संबंध में यह प्रांगण नहीं है । मुझे खेद है कि मैं इस पर उदार नीति से कुछ वर्ताव कर रहा हूं । बाकी जो नीति स्पष्ट है इस सदन की । और ऐसी हरकत की जाये जो कि हमारे सम्मान के प्रतिकूल है, तो एक्शन लिया जाना चाहिए था । लेकिन क्योंकि यह दायित्व मैंने माननीय सदस्यों के सुपुर्द किया और वह चले जा रहे हैं इसलिए मैं इसको अधिक विषम, विद्यार्थी होने के नाते नहीं बनाना चाहता अन्यथा यह सदन सक्षम है उनके विरुद्ध कार्यवाही अभी करने में और माननीय सदस्य भी मैं समझता हूं कि मेरी सम्मति से सहमति रखते हैं कि ऐसा भविष्य में नहीं दोहराया जायगा । जहां तक यह प्रश्न है कि यह कैसे प्रवेश हुए, किस तरह से अन्दर दाखिल हुए यह सारी स्थिति अभी मेरे सम्मुख आना शेष है—मैं उस पर गम्भीरता से विचार करूंगा और मैं चाहूंगा कि भविष्य में यह स्थिति पैदा न हो और कुछ नियम ठीक ढंग से बरते जायें । मैं इस प्रश्न को अभी यहीं समाप्त करता हूं और जिन माननीय सदस्यों को विक्षोभ हुआ मैं उस विक्षोभ के प्रति जागरूक हूं लेकिन इस परिस्थिति को यहीं अभी समाप्त कर देना मैं सदन की सद्भावनाओं के अनुरूप समझता हूं । इसलिए इसको यहीं रहने दिया जाये ।

माननीय सदस्य ।

श्री गोवर्धन सोनी : अध्यक्ष महोदय, तो मैं लोकतन्त्र और समाजवाद की बात कर रहा था कि हमारे देश में लोकतन्त्र और समाजवाद का कई दिनों से नारा चल रहा है । कांग्रेस ने भी समाजवाद का नारा अपनाया है और इस बात का दावा किया है कि देश समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहा है । और लोकतन्त्र की ओर अग्रसर हो रहा है । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार इससे भिन्न है । हर देश यह चाहता है कि देश में सुराज्य हो और हमारे लोगों को सुविधाएं मिलें, लोगों को आराम मिले, लोगों को सस्ता

(श्री गोरधन सोनी)

न्याय मिले और हर तरह की सुविधाएं लोगों को मिलें, लेकिन जिस ढंग से समाजवाद और लोकतन्त्र की व्याख्या की गई है और आज तक समाजवाद और लोकतन्त्र के नाम से जिस ढंग से देश में अत्याचार हो रहे हैं, जिस ढंग से भ्रष्टाचार चल रहा है, पक्षपात और भाई-भतीजावाद आया है, वह लोकतन्त्र और समाज वाद के अनुरूप नहीं है। ऐसा ही अगर लोकतन्त्र और समाजवाद होता है तो वह भारत के अनुकूल नहीं है, वह भारत के लोगों को सुख-सुविधा देने में असमर्थ रहा है।

अब मैं आपको लोकतन्त्र और समाजवाद की हामी इन्डीकेट सरकार, भारत सरकार के बारे में कहना चाहूंगा कि बंगाल आपके सामने है। वहां की क्या हालत है? न्याय नाम की यहां पर कोई चीज नहीं है, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उच्छृंखलता और जुल्म सीमा को पार कर चुके हैं। वैसी स्थिति में भी केन्द्रीय सरकार बंगाल सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है तो क्या यह लोकतन्त्र और समाजवाद है?

उसके बाद आप राजस्थान में क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र तो वहीं है जिसमें जनता की सुनवाई हो, लोकतन्त्र तो वही है जिसम जनता की भावनाओं की कद्र की जाय, लेकिन मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोकतन्त्र वही है कि जिसमें जनता की भावनाओं की कद्र की जानी चाहिए, जनता की बात को समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार स्वयं अनुभव करेगी कि हम विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के हित के लिए बार बार कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम कहते है कि लोगों को यह तकलीफ है, लेकिन वे परवाह नहीं करते हम कहते हैं कि यहां पर अस्पताल की कमी है तो ये परवाह नहीं करते हैं, और जिस ढंग से और निष्क्रियता से सरकार काम कर रही है वह लोकतन्त्र का रास्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय लोकतन्त्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम 6 विधायकों ने मिलकर एक मांग की है सरकार से और राज्यपाल महोदय से कि नागौर जिले में कुछ आफिसर्स ने, सैल्स टैक्स आफिसर्स आदि ने चन्दा इकट्ठा किया और लोगों से नाजायज दबाव डालकर पैसा लिया है और उसकी रसीदें नहीं दी है तो उसके बारे में जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 6 विधायकों के कहने पर और 6 विधायकों के लिखने पर भी राज्यपाल महोदय ने हमारी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, न मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया, वित्त मंत्रीजी न कोई कार्यवाही नहीं की। तो क्या यह लोकतन्त्र है कि 6 विधायकों की आवाज भी नहीं सुनी जाय। जब उनकी भी आवाज नहीं सुनते हैं तो राजस्थान सरकार जनता की आवाज क्या सुनेगी? मुझे अफसोस होता है कि आप आज लोकतन्त्र की बात करते हैं और जनता की बात नहीं सुनते हैं। तथा जनता के प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं........

श्री मूलचन्द डागा: आप क्या लोकतान्त्रिक समाजवाद को समझ गये हैं? आपकी पार्टी मान गई क्या?

Page No 119

श्री विजयसिंह (मकराना) : आपसे ज्यादा मानती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप पूंजी-पतियों की थैलियों में रहते हैं और जनता को लूटते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : स्वतन्त्र पार्टी समझने लगी है क्या समाजवाद को ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : बैठ जाओ।

श्री विजयसिंह : स्वतन्त्र पार्टी समाजवाद से काम करती है।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, मेड़ता चुनाव क्षेत्र से मेरे खिलाफ नाथूरामजी मिर्धा केन्डीडेट थे। उन दिनों मूंडवा में उनके नजदीकी नाते में श्री सुखदेव आर्य, एस० डी० ओ० लगे हुवे थे जिन्होंने नाथूरामजी का प्रचार किया और काउन्टिंग दो दिनों तक चली उसमें उन्होंने पक्षपात किया और मेरे वोट्स ज्यादा से ज्यादा खारिज करने की कोशिश की। मैंने उनकी सैंकड़ों शिकायतें कीं लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया....

श्री विजय सिंह : शेमफुल।

श्री गोरधन सोनी : दो दिन के काऊंटिंग के बाद भी श्री नाथूरामजी मिर्धा मेरे खिलाफ हार गये और रिजल्ट, डिक्लेअर होने के बाद उन्होंने मुझे बधाई दी कि आप जीते। कोई बात नहीं। यह तो चलता ही रहता है। मैं आपको सहयोग दूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन विधान सभा के सदस्यों और राजस्थान की जनता से नहीं छिपा हुआ है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वोट्स को टेम्पर कर दिया गया और मेरे खिलाफ उसी आधार पर उन्होंने चुनाव याचिका दायर की है....

श्री विजयसिंह : शेम।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि मैं विधायक हूं और यह मन्दिर है इसलिए मैं सत्य कहना चाहता हूं और जनता को गुमराह नहीं करना चाहता, सदन को गुमराह नहीं करना चाहता और दावे के साथ कहता हूं कि दो दिन के काउंटिंग के बाद भी श्री नाथूरामजी मिर्धा हार गये और जब उन्होंने स्वयं ने उसको मंजूर कर लिया और उसके बाद में भी वे पिटीशन करते हैं तो क्या कारण है ?

श्री भगवानदास शास्त्री : पागल हो गये थे।

श्री गोरधन सोनी : पागल नहीं हो गये थे लेकिन उनमें सत्ता की लोलुपता थी। वोटिंग को टेम्पर करके मेरे खिलाफ पिटीशन करदी गई और तीन वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज की और मेरी बात को माना कि वोटिंग में टेम्पर कर दिया गया। तो आज जिस आदमी ने वोटिंग में टेम्पर करवाया है वही नई कांग्रेस का अध्यक्ष है और नई कांग्रेस ही समाजवाद और लोकतन्त्र की बात करती है तो इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह निर्णय नहीं हुआ है कि किसने टेम्पर किया है। यह मालूम नहीं हुआ है।

श्री दुर्गालाल बादवार : तो फिर आपको सरकार चलाने का अधिकार नहीं है

श्री गोरधन सोनी : विधायकों को कम से कम शर्म तो महसूस होनी चाहिए..

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह सरकार यह कहती है कि वह अपराधी को पकड़ नहीं सकती है...—

श्री गोरधन सोनी : सही बात को सही ही कहना चाहता हूं और गलत बात को गलत कहना चाहता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (श्री मूलचन्द डागा के उठने पर) बैठ जा।

श्री गोरधन सोनी : आप इस बात की वकालात करते हैं तो धिक्कार है आपको।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं.......

श्री मूलचन्द डागा : यह शब्द हटाये जाने चाहिए। धिक्कार क्या होता है?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, पाइंट ऑफ आर्डर इज पुट इन।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सारी बहस जो माननीय सदस्य कर रहे हैं इसका इन बजट से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध है क्या? प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तो कम से कम....

श्री गोरधन सोनी : आपने बजट स्पीच में लोकतन्त्र और समाजवाद का जिक्र किया है। आप जिक्र नहीं करते तो हम भी चर्चा नहीं करते।

श्री भगवानदास शास्त्री : तीन वर्षों के बाद आज आवाज निकली है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : on a point of Order Sir.

सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र करते हैं तो वह करेक्ट होना चाहिए। टि्वस्ट नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट है वह देना चाहिए। टि्वस्ट नहीं होना चाहिए।

श्री विजयसिंह : यह तो मानते हैं कि वोट चेंज कर लिये?

एक माननीय सदस्य : पता नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : मुझे मालूम नहीं है।

But my submission is that if there is any quotation from the judgment, it should be produced, and correctly quoted.

श्री गोरधन सोनी : Tampering has been done.

श्री पी० के० चौधरी : I have read it. You should give an exact quotation. There is no proof that either the Returning Officer or the Tehsildar has tampered it. That is an operative part.

श्री आईदानसिंह : But they have been tampered.

Page No 121

श्री पी० के० चौधरी : There is no proof.

श्री आईशार्वसिंह : It is for the Government to find out who has done it,

श्री पी० के० चौधरी : The Hon. Member is saying that they have been tampered by......

श्री अध्यक्ष : You may discuss it after I have adjourned the House.

आर्डर, आर्डर। (श्री गोरधन सोनी से) आपको कल समय दे दिया जायगा पांच और और 10 मिनट के बीच में। मैं सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। आप दावत में शरीक करें।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही 5 बजे दिनांक 11 मार्च, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 32 की सूची)

क्रम सं०	नाम जिला	मजदूरों की संख्या	बकाया वेतन	कब से बकाया है	कारण जिससे वेतन बकाया है	आवेदन पत्र जो इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर	1,222	10,357.92	फरवरी, 69 से सितम्बर, 69	भुगतान करते समय मजदूर उपस्थित नहीं थे	एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जो अधिशासी अभियन्ता को भेजा गया
2.	अलवर	शून्य	शून्य	—	—	—
3.	भरतपुर	शून्य	शून्य	—	—	—
4.	टोंक	शून्य	शून्य	—	—	—
5.	झालावाड़	99	544.99	मई, 69 से अगस्त, 69	भुगतान के समय मजदूर उपस्थित नहीं थे	कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ
6.	उदयपुर	10,843	62,401.00	अगस्त, 69	भुगतान के समय मजदूर उपस्थित नहीं थे	कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है
7.	पाली	526	3,448.76	15-5-69 से 19-12-69	भुगतान के समय मजदूर उपस्थित नहीं थे	कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है
8.	सवाई माधोपुर	4	186.82	अक्टूबर, 69	भुगतान के समय मजदूर उपस्थित नहीं थे	कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है
9.	चूरू	31,314	4,48,162.72	1-11-68 से 15-8-69	भुगतान के समय मजदूर उपस्थित नहीं थे	कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है
10.	चित्तौडगढ़	2,046	21,188.43	दिसम्बर, 69 से अगस्त, 69	भुगतान के समय मजदूर उपस्थित नहीं थे	कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है

11. कोटा	शून्य	—	—	—	कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है
12. बूंदी	1,627	8,824.62	उपलब्ध नहीं	—	कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है
13. नागौर	73	1,470.25	जून, 66 से अगस्त, 69	पेमेन्ट देर से प्राप्त होने के कारण	कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है
14. बांसवाड़ा	2,903	23,312.31	सन् 68-69 व 69-70	भुगतान के समय मजदूर उपस्थित नहीं थे	कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है
15. भीलवाड़ा	4,000	60,000.00	जुलाई, 69 से 15 अगस्त, 69	चुकारे के समय श्रमिक उपस्थित नहीं मिले	कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है
16. सिरोही	868	4,747.00	सन् 1969-70	उनका पता दस्तयाब नहीं है।	कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है
17. गंगानगर	शून्य	—	—	—	—
18. जोधपुर	193	18,365.54	16-6-39 से 15-8-69	मजदूरों द्वारा अपने कृषि कार्य में लगे होने के कारण समय पर भुगतान नहीं हो सका।	इस प्रकार के 13 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिन्हें तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिये गये।
19. बीकानेर	16,803	1,70,016.15	वर्ष 68-69	मजदूरों का मौके पर नहीं मिलना	कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है
20. झुन्झुनू	934	39,629.35	नवम्बर, 68 से अगस्त, 69	मजदूरों के न मिलने व मस्टर रोलों के गलत बनाने के कारण जांच की गई	कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है
21. डूंगरपुर	2,374	35,294.36	16 जुलाई, 69 से सितम्बर, 69	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22. जैसलमेर	2,862	18,253.91	4-7-68 से 15-12-68	भुगतान के समय मौके पर मजदूर नहीं मिले	कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए जो विचाराधीन हैं
23. सीकर	4,268	46,144.96	1-11-68 से 15-8-69	उपलब्ध नहीं है	6 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें सम्बन्धित विभागों को अविलम्ब भुगतान किये जाने हेतु भेज दिये गये
24. जालोर	835	12,364.88	उपलब्ध नहीं	समय पर मजदूर उपलब्ध नहीं होना	कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ
25. अजमेर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26. बाड़मेर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

Page No 124

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 34 की सूची)

सूची "क"

(अ) उन अस्पतालों के नाम जहां महिलाओं की नसबन्दी के ऑपरेशनों हेतु अतिरिक्त शैयाएँ स्वीकृत हैं ।

1. जनाना अस्पताल, जयपुर	20
2. पी० बी० एम० अस्पताल, बीकानेर	10
3. उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	10
4. जनाना अस्पताल, उदयपुर	10
5. पन्ना दाई मैटरनिटि होम, अजमेर	10
6. जनाना अस्पताल, कोटा	10
7. जनाना अस्पताल, भरतपुर	5
8. जनाना अस्पताल, अलवर	5
योग ..	80 शैयाएँ

नोट:—उक्त प्रकार शैयाओं की वृद्धि के कारण जयपुर, बीकानेर, अजमेर तथा उदयपुर में वार्डों का निर्माण हुआ है ।

(आ) उन अस्पतालों के नाम जहां छोटे ऑपरेशन थियेटर्स तथा पोस्टमॉर्टम योजना के अन्तर्गत आपरेशन थियेटर्स के निर्माण की स्वीकृति दी गई है ।

छोटे ओपरेशन थियेटर्स

1. जनरल अस्पताल, भीलवाड़ा ।
2. जनरल अस्पताल, झुन्झूनू ।

पोस्टमॉर्टम योजना के तहत थियेटर्स

3. उम्मेद अस्पताल, जोधपुर ।
4. जनाना अस्पताल, जयपुर ।
5. जनाना अस्पताल, उदयपुर ।

नोट:—छोटे ओपरेशन थियेटस 20-20 हजार की लागत के होंगे और पोस्ट मॉर्टम योजना वाले 50 हजार की लागत के ।

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण समयपर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर जिले के छात्रावास

श्री चन्नीलाल इंन्दलिया (नोखा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) बीकानेर जिले में अनुसूचित जाति के किन किन छात्रावास में कितने, छात्र है ? उनके खाने रहने व शिक्षा का प्रबन्ध कैसा चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा समय पर खाद्य व अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने से उन्हें भूख का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि छतरगढ़ में चलने वाले छात्रावास में किसी भी प्रकार की सुविधा समय पर नहीं मिलने के कारण छात्रों की दुर्दशा होती है ?

(4) क्या सरकार तुरन्त ठीक व्यवस्था करवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में अनुसूचित जाति के 4 राजकीय तथा 2 स्वयंसेवी संस्थाओं के छात्रावास हैं जिनकी छात्र संख्या निम्न प्रकार है—

1	राजकीय छात्रावास बीकानेर	55 छात्र
2	राजकीय छात्रावास, पूगल	30 छात्र
3	राजकीय छात्रावास, छतरगढ़	27 छात्र
4	राजकीय कन्या छात्रावास, बीकानेर	24 छात्राएँ
5	अनुदानित छात्रावास, नोखा	25 छात्र
6	अनुदानित छात्रावास, कोलायत	40 छात्र

इन छात्रों के खाने, रहने व शिक्षा का प्रबन्ध भली प्रकार से चल रहा है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) वर्तमान प्रबन्ध सन्तोषजनक है । फिर भी यदि कोई खास बात ध्यान में लाई जायेगी, तो अविलम्ब कारगर कार्यवाही की जायेगी ।

सड़क में आई जमीन का मुआवजा

39. **श्री केसरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली):** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि गुढा बांध की दाहिनी नहर की माइनर नम्बर (1) होलास पुरा बान्ध बडा नया गांव के बांई बगल से निकलती है और क्या इस माईनर के साथ कोई सड़क है ?

(2) यदि सड़क है तो, उसकी लम्बाई क्या है और इसमें कुल कितनी जमीन कितने काश्तकारों के खाते की आई है ?

(3) जो जमीन सड़क के लिये अवाप्त की गई, क्या उसका खातेदारों को नियमा-

Page No 126

(श्री केसरी सिंह हाड़ा)

नुसार नोटिस दिया गया था ? क्या उस जमीन का मुआवजा काश्तकारों को दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उपरोक्त सड़क चौड़ी की जा रही है और क्या इस सड़क को पक्का भी किया जा रहा है ? क्या यह सड़क बीचड़ी कृषि फार्म को और बूंदी देवली सड़कों को मिलती है ।

(5) क्या इसकी शिकायत बड़ा नया गांव के उन काश्तकारों ने की थी जिनसे जमीन भी ले ली गई है और लगान आज तक लिया जा रहा है और वह उनके ही खाते में अभी तक भी हैं ?

(6) क्या काश्तकारों ने इस विषय का प्रार्थना-पत्र क्रमांक 222 दिनांक 13-1-68 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, इस माईनर के साथ केनाल सर्विस रोड़ है।

(2) इस सर्विस रोड़ की लम्बाई 16।। मील है इसके निर्माण में 123।।। बीघा भूमि 241 काश्तकारों के खाते ही काम में आई है।

(3) सर्विस रोड़ के लिए अलग से कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई। नहर के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि में सड़क की भूमि भी शामिल थी। यह भूमि आपसी समझौते द्वारा (म्युचुअल नेगोशियेसन्न) अवाप्त की गई थी, अतः नोटिस देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस भूमि के मुआवजे की रकम तहसीलदार हिण्डोली को भुगतान हेतु भेजी जा चुकी थी, जिसमें से कुछ का भुगतान हो चुका है, और शेष का किया जा रहा है।

(4) जी हां, बून्दी देवली रोड़ से गुढा बांध तक सिर्फ 5 मील का टुकड़ा पक्का किया जा रहा है। पक्की की जाने वाली सड़क भीचड़ी कृषि फार्म और बून्दी देवली रोड़ को नहीं मिलाती।

(5) यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बंधित है।

6. जी हां, मुआवजों की रकम सम्बन्धित तहसीलदार को दि० 13-2-68 को भुगतान हेतु भेज दी गई थी।

बाड़मेर अस्पताल

40. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में एक्सरे मशीन एक साल से बेकार पड़ी है ? यदि हां तो उक्त मशीन की मरम्मत कराने में देरी के लिये कौन जिम्मेदार है ? उक्त मशीन की मरम्मत के लिये क्या कदम उठाये गये और उठाये जा रहे है ? और अब कब तक मशीन की मरम्मत करा कर उपयोग में लाई जायगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि गवर्नमेन्ट अस्पताल बाड़मेर में कोई लेडी डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो अब कब तक डाक्टर की नियुक्ति की जायगी ?

(3) क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट

Page No 127

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन) अस्पताल बाड़मेर में डेढ साल से सर्जन नहीं भेजा गया है ? यदि नहीं भेजा गया है, तो अब कब तक भिजवाने की व्यवस्था की जायगी ।

(4) क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट अस्पताल, बाड़मेर में अलग से टी0 बी0 क्लिनिक की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कब तक व्यवस्था करदी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां । चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामान्य अस्पताल बाड़मेर में दिनांक 8-8-69 को एक्सरे मशीन खराब होने की सूचना दी तभी से बार बार मैसर्स इन्टर नेशनल जनरल इलेक्ट्रीक कम्पनी, न्यू दिल्ली को लिखा जा रहा है । दिनांक 24-2-70 के द्वारा कम्पनी ने उक्त मशीन के मरम्मत संबंधी व्यय का एस्टीमेट भेजा है जिसे स्वीकृत करते हुए उक्त कम्पनी को इन्जीनियर भेजने के लिये दिनांक 27-2-70 द्वारा लिखा जा चुका है । अब मशीन की मरम्मत शीघ्र होने की सम्भावना है ।

(2) महिला चिकित्सक डा० आशा वर्मा, अर्बन परिवार नियोजन केन्द्र, बाड़मेर में दिनांक 23-8-69 से कार्य कर रही है ।

(3) जी हां सर्जन चिकित्सक के उपलब्ध होने पर ही नियुक्ति करना सम्भव हो सकेगा ।

(4) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों एवं जीपों पर व्यय

41. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य में अर्थाभाव के कारण पंचायत समितियों में विकास सम्बन्धी काम नहीं के बराबर रह गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समितियों के बजट का खासा भाग तो जीप, विकास अधिकारियों का वेतन, टी० ए०, डी० ए०, आदि में खर्च होता है ? यदि हां, तो सरकार पंचायत समितियों से विकास अधिकारियों व जीपों को क्यों नहीं वापस लेती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । अतः विकास अधिकारी व जीप वापिस लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Page No 128

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची)

जिला बीकानेर की दिनांक 30-9-1969 को रही आबकारी बाकीयात की नामवार सूची :

क्रमांक	नाम बाकीदार	वर्ष जिसकी बकाया है	राशि जो बकाया है	विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री शंकरलाल अमरचन्द, अजमेर	1947–48	1,550	
2.	,, मालूखां पुत्र महताबखां कलाल	1962–63	17,932·19	
3.	,, इस्माइल पुत्र छोटूखां काजी, बीकानेर	1962–63	8,921.36	
4.	,, लक्ष्मीनारायण पुत्र कलीराम सोनी, बीकानेर	1966–67	4,000	
		योग ..	32,403.55	

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 35 की सूची)

राज्य में जिले वार आवंटन इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	नाम जिला	बाढ़ सहायता कार्य	बाढ़ पीड़ितों को सहायता	पेय जल के प्रतिष्ठानों के लिए सहायता	राशन वितरण	योग	बाढ़ तकावी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कोटा	2—50	1—20	—	—	3—70	—
2.	भरतपुर	4—50	5—05	—	—	9—55	1—25
3.	झालावाड़	2—50	5—00	—	—	7—50	—
4.	सवाई माधोपुर	2—70	2—75	—	—	4—75	—
5.	गंगानगर	—	—	—	—	—	—
5.	अलवर	10—00	16—00	—	1—30	27—30	1—25
7.	चित्तौड़गढ़	2—00	0—25	—	—	2—25	—
8.	सी० ई० पी० डब्लू० डी० ..	86—50	—	—	—	86—60	—
9.	सी० ई० इरिगेशन ..	130—00	—	—	—	130—00	—
10.	सी० ई० पी० बी० ई० डी० ..	—	—	2—19	—	2—19	—
		240—00	30—25	2—19	1—30	273—74	2—50

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 42 की सूची)

सूची प्रश्न भाग 1 कार्यालय तहसीलदार, सांचोर

गेहूं वितरण का नक्शा

क्रम संख्या		जुहरा विक्रेता का नाम	नवम्बर 68	दिसम्बर 68	जनवरी 69	फरवरी 69	विवरण
1.	मेसर्स	हजारीमल चुनीलाल, हाडेचा	20	45	70	70	
2.	,,	भंवरलाल मिश्रीलाल, इटावा	5	—	60	60	
3.	,.	मनोहरमल चम्पालाल, सांचोर	20	50	75	25	
4.	,,	ग्राम से० स० समिति, सांचोर	10	40	80	100	
5.	,,	छगनलाल हस्तीमल, सांचोर	10	40	70	80	
6.	,,	झगनलाल हस्तीमल, (चलती फिरती)	—	—	—	30	
7.	,,	हेमराज सुरजमल, केरिया	20	20	30	80	
8.	,,	चतराराम मोतीराम, खन्डगर	10	10	—	20	
9.	,,	नगराज भंवरलाल रजीदर	—	—	15	25	
10.	,,	भीमराज लालचन्द, खरगाय	80	—	50	60	
11.	,,	मरुपचन्द खुशालचन्द, भवातडा	80	60	75	80	
12.	.,	रामचन्द्र इन्द्रभान, सूदडी	20	10	10	35	
13.	,,	रणजीतसिंह अर्जुनसिंह	10	15	20	70	
14.	,.	जेठमल कनकराज, खाद	10	10	80	150	
15.	,,	मुल्तानमल राजूराम, खाद	10	20	40	45	
16.	,,	खेराजराम कुंभाराम, डूंगरी	60	70	75	—	
17.	,,	समरथमल मायाराम, कुडवा	10	10	10	10	
18.	,,	सोगताराम नयाराम, ढंडीसन	—	—	10	20	
19.	,,	ताराचन्द कालूचन्द, धोरा	30	32	80	45	
20.	,,	मांगीलाल बनेचन्द, करोना	—	—	20	30	
21.	,,	हरकचन्द दसयाणी, धमाणी	25	20	46-31-400 100	125	
22.	,,	मिश्रीमल बाबूलाल चितलवाना	10	35	30	65	
23.	,,	अमीचन्द मगराज सरनाऊ	—	100	40	300	
24.	,,	समरथमल बाबूलाल खुराचन्द	10	20	20	30	
25.	,,	हुकमनाथ जीवनाथ, विजरोल	—	—	—	10	
26.	,,	पेमाराम जीवाराम बांवला	10	10	50	40	
27.	,,	सोभाराम राजूराम, भीमागुडा	—	—	—	—	
28.	,,	सूवामल मिश्रीमल, बीरोल	5	—	—	—	

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूची)

नीन आई० एफ० एस० अधिकारी	वर्तमान पद स्थापनाएं		पद स्थापन तिथि
(1) श्री वी० के० पुरी	मन्डल वन अधिकारी, कोटा		4-11-68
(2) श्री वी० एम० अग्रवाल	,,	बून्दी	9-9-69
(3) श्री पी० एस० श्रीवास्तव	,,	बारां	9-6-69
(4) श्री अकबरअली	,,	बांसवाड़ा	15-2-69
(5) श्री आर० एस० भण्डारी	,,	सिरोही	15-9-69

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 55 की सूची)

भोगी कष्टमुक्ति योजना के अन्तर्गत 45,00,000 की धन राशि का विभिन्न नगरपालिकाओं में आवंटन का विवरण पत्र (अंक लाखों में)

क्रमांक	नाम नगरपालिका	जन संख्या	जन संख्या हिसाब लगान हेतु पूरक में	मेकेनिकल टैम्पो ट्रोली मय वाल्टी इत्यादि खरीदने के लिये (20 लाख)	निजी कच्चे टट्टियों को फ्लश में बदलने के लिये अनुदान के हेतु (15 लाख)	नगरपालिका के कच्चे टट्टियों को फ्लश में बदलने हेतु अनुदान (10 लाख)	योग	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जयपुर	4,03,444	4.00	4.00	3.00	2.00	9.00	
2	अजमेर	2,31,240	2.25	2.25	1.70	1.15	5.10	
3	जोधपुर	2,24,700	2.25	2.25	1.70	1.10	5.05	
4	बीकानेर	1,50,634	1.50	1.50	1.10	0.75	3.35	
5	कोटा	1,20,349	1.25	1.25	0.95	0.65	2.85	
6	उदयपुर	1,11,189	1.00	1.00	0.75	0.50	2.25	
7	अलवर	12,707	0.75	0.75	0.55	0.40	1.70	

8	गंगानगर	53,854	0.75	0.75	0.55	0.40	1.70
9	ब्यावर	13,931	0.50	0.50	0.35	0.25	1.10
10	सीकर	30,636	0.50	0.50	0.35	0.25	1.10
11	भरतपुर	49,776	0.50	0.50	0.35	0.25	1.10
12	भीलवाड़ा	43,499	0.50	0.50	0.35	0.25	1.10
13	टोंक	43,413	0.50	0.50	0.55	0.25	1.10
14	चूरू	41,727	0.50	0.50	0.35	0.25	1.10
15	पाली	33,303	0.30	0.30	0.25	0.15	0.70
16	बाड़मेर	27,600	0.25	0.25	0.20	0.15	0.60
17	बून्दी	26,478	0.25	0.25	0.20	0.15	0.60
18	झुंझुनू	24,962	0.25	0.25	0.20	0.15	0.60
19	नागौर	24,299	0.25	0.25	0.20	0.15	0.60
20	सवाई माधोपुर	20,952	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
21	बांसवाड़ा	19,566	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
22	चित्तौड़गढ़	16,888	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
23	झालावाड़	11,695	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
24	सिरोही	14,451	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
25	जालौर	12,882	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
26	डूंगरपुर	12,735	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
27	जैसलमेर	8,362	0.20	0.20	0.15	0.10	0.45
	योग ..			20.00	15.00	10.00	45.00

Page No 134

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 57 की सूची)

बाल अवकाश शिविर जिन संस्थाओं ने आयोजित किये हैं उनकी सूची
वर्ष 1965-66 से 1969-70 तक की

क्रम सं०	संस्थाओं का नाम	वर्ष	दिया गया अनुदान
(1)	सुरजीत शिल्प संगीत महिला शिक्षणालय, भरतपुर	65-66	3,000.00
(2)	आदर्श शिक्षा सदन, गंगानगर	65-66	2,000.00
(3)	संगीत कला केन्द्र, भीलवाड़ा	65-66	2,000.00
(4)	शारदा सदन, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर	65-66	2,000.00
(5)	काशीबाई छगनलाल, झवेरी विद्या मन्दिर, जयपुर	65-66	2,000.00
(6)	ग्रामोद्योग विकास मण्डल, देवगढ़, जिला उदयपुर	65-66	1,997.24
(7)	श्री सरस्वती बाल विद्यालय, जोधपुर	65-66	2,000.00
(8)	बापू विद्या मन्दिर, धौलपुर	65-66	2,000.00
(9)	संगीत कला केन्द्र, भीलवाड़ा	66-67	2,500.00
(10)	महर्यानन्द अनाथालय, अजमेर	66-67	3,000.00
(11)	भारतीय आदर्श शिक्षा निकेतन	66-67	2,000.00
(12)	जयपुर जिला महिला प्रगति संघ, जयपुर	66-67	2,500.00
(13)	नेहरू बाल मन्दिर, रतनगढ़	66-67	2,500.00
(14)	महिला आश्रम, भीलवाड़ा	66-67	3,000.00
(15)	जवाहर बाल मन्दिर, कांकरोली	66-67	2,500.00
(16)	बाल भारती, बीकानेर	66-67	2,930.00
(17)	श्री कन्या सदाचार पाठशाला, जयपुर	66-67	2,500.00
(18)	बाल निकेतन हैप्पी स्कूल, जयपुर	66-67	2,391.00
(19)	आर्य समाज मोती कटला, जयपुर	66-67	2,500.00
(20)	बाल वाटिका संघ, जोधपुर	66-67	2,500.00
(21)	इन्डियन काउन्सिल आफ सोशियल वर्क, जयपुर	66-67	2,500.00
(22)	गुजराती महा मण्डल, अजमेर	66-67	2,444.00
(23)	बाल विद्या मन्दिर, जयपुर	66-67	2,814.00
(24)	लोक भारती, शिवदासपुरा	66-67	2,482.00
(25)	जन कल्याणसमिति, कानौड	67-68	3,000.00
(26)	मित्र ज्ञान विद्यालय, जयपुर	67-68	3,000.00
(27)	बाल भारती, बीकानेर	67-68	3,000.00

1	2	3	4
(28)	बाल विद्या मन्दिर, मन्दिर सोसायटी, उदयपुर	67–68	3,000.00
(29)	मीरां सैकेन्डरी स्कूल, अजमेर	68–69	2,968.00
(30)	मानव भारती, विद्यालय, जयपुर	68–69	2,500.00
(31)	बाल मन्दिर गुजराती सैकेन्डरी स्कूल, अजमेर	68–69	2,500.00
(32)	ज्ञानोदय विद्यापीठ, जैतूसर	68–69	2,906.00
(33)	बाल बाड़ी प्राईमरी स्कूल, खाण्डाफलसा, जोधपुर	68–69	3,000.00
(34)	हेप्ले मिडिल स्कूल, अजमेर	68–69	2,500.00
(35)	बाल विद्या मन्दिर सोसायटी, उदयपुर	68–69	3,000.00
(36)	अभिनव बाल भारती, राजलदेसर	68–69	3,080.00
(37)	राष्ट्रीय महिला शिल्प शाला, जयपुर	68–69	3,000.00
(38)	चिल्ड्रन्स हैप्पी स्कूल सरदारपुरा, जोधपुर	68–69	2,801.00
(39)	इन्डियन काउन्सिल ऑफ सोशियल वर्क, जयपुर	68–69	2,500.00
(40)	महिला सेवा मण्डल, कांकरोली	68–69	2,805.00
(41)	श्री पूरणमल उच्च प्राथमिक विद्यालय, नौहर	69–70	2,500.00
(42)	जवाहर बाल मन्दिर, बड़ी सादड़ी	69–70	2,500.00
(43)	राजस्थान विद्या मन्दिर, अजमेर.	69–70	2,500.00
(44)	राजस्थान महिला परिषद, उदयपुर	69–70	2,500.00
(45)	जवाहर सेवा मण्डल, नाथूबास	69–70	2,500.00
(46)	खाण्डल विप्र विद्यालय, जयपुर	69–70	2,500.00
(47)	इन्डीयन कौंसिल ऑफ सोशियल वर्क, जयपुर	69–70	2,500.00
(48)	बाल मन्दिर मोती डूंगरी, जयपुर	69–70	2,500.00
(49)	श्री युवक सभा, मण्डावा	69–70	2,500.00
(50)	आर्य शिल्प शाला एवं बाल बाड़ी, जयपुर	69–70	2,500.00
(51)	सरीतट सर्वोदय संघ, शाहपुरा	69–70	2,000.00
(52)	संजय बाल निकेतन, जयपुर	69–70	2,500.00
(53)	बाल विकास विद्यालय, समिति, हनुमानगढ़	69–70	2,500.00
(54)	सर्वोदय शिक्षण केन्द्र चांदपोल, उदयपुर	69–70	2,500.00
(55)	महिला विकास परिषद, अजमेर	69–70	2,500.00
(56)	बाल विद्या मन्दिर, जयपुर	69–70	2,500.00

परिशिष्ट 10

(अ० प्र० सं० 50 की सूची)

सूची

सहायता व्यवस्था पर होने वाले व्यय तथा केन्द्रीय सहायता का वर्षवार विवरण

वर्ष	सहायता व्यवस्था व्यय	तकावी ऋण	योग	केन्द्रीय सहायता	
1953–54	49.97	63.29	113.26	5,35,460	
1954–55	19.72	12.75	32.47	10,72,891	
1955–56	25.56	12.79	38.35	15,57,283	
1956–57	6.13	—	6.13	—	
1957–58	17.58	6.55	24.03	—	
1958–59	24.70	8.24	32.94	—	
1959–60	3.96	1.88	5.84	—	
1960–61	14.72	1.90	16.62	—	
1961–62	42.38	25.47	67.85	24,00,000	
1962–63	11.01	1.14	12.15	—	
				ऋण	अनुदान
1963–64	126 95	28.34	155.29	100.00	–(सं० लाखों में)
1964–65	416.56	46.71	463.27	370.00	34.09
1965–66	115.48	19.23	132.71	100.00	—
1966–67	1,141.97	70.00	1212.77	872.00	278.00
1967–68	793.47	3.04	796.51	775.00	26.68
1968–69	1534.55	138.83	1,673.38	1,466.00	1,85.36
जनवरी, 70 तक	5082.23	87.84	5,170.07	2,100.00	7,50.00

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 1970)

स्तम्भ	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
3	नीचे से	12	तकमीना	तखमीना
3	,,	11	तकमीना	तखमीना
6	,,	4	जन	जैन
8	,,	5	तकमीनें	तखमीनें
9	,,	5	श्री हरदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
10	,,	1	गया	जायगा
14	ऊपर से	4	नहीं है	नहीं दी है
15	,,	13	कान्फ्रोस	कान्फ्रेंस
18	,,	1	मन्त्री है	मन्त्री हैं
18	नीचे से	1	रे	मरे
21	ऊपर से	10	को	की
21	नीचे से	4	है	है ?
22	,,	1	नहीं	नहीं,
24	,,	3	प्रमसिंह	प्रेमसिंह
26	,,	17	कलक्टर्स	कलेक्टर्स
28	,,	1	पड़ा	पड़ा है
31	,,	1	दीजिय	दीजिये
39	,,	19	ह	है
49–50	शीर्षक		माच	मार्च
55	नीचे से	1	ह	है
56	,,	1	दानद्यता	दानदाता
58	ऊपर से	2	चून्नीलाल	चुन्नीलाल
59	—		नन्दवाणा	नन्दवाना
59	ऊपर से	5	वाड़ें	बाढे
61	,,	1	स्कटरों	स्कूटरों
66	,,	4	यिद	दिया
72	,,	12	क	के
74	,,	21	विवर्ण	विवरण

1		2	3	4
85	नीचे से	3	विध्यार्गियों	विद्यार्थियों
90	;,	21	शोघ्रतिशोघ्र	शोघ्रातिशीघ्र
99	,,	6	कया	किया
101	,,	4	ोगों	लोगों
101	,,	1	मानक्यलालजी	माणिक्यलालजी
104	,,	4	सोषण	शोषण
105	,,	25	बदती	बढ़ती
107	ऊपर से	1	गउढे	गड्ढे
107	,,	10	गडडा	गड्ढा
109	,,	3	मोहनलाल श्री	श्री मोहनलाल
111	नीचे से	17	पजचायत	पंचायत
111	,,	16	हृस	ह्रास
111	,,	3	भष्टाचार	भ्रष्टचार
112	ऊपर से	3	गाई	गई
112	,,	10	इससे	इसके
115	,,	3	3 से	से 3
117	,,	9	पदा	पैदा
119	उपर से	3	सकेत	सकते
120	नीचे से	4	वहा	वह
121	उपर से	9	हू	हूं
121	,,	10	न	ने
121	,,	15	ी	दी
121	नीचें से	5	म	में
124	,,	9	बहन	बहिन
126	उपर से	1	जिन्होंन	जिन्होंने
126	,,	17	कोइ	कोई
126	नीचे से	8	मालम	मालूम
144	उपर से	15	औग	और
154	नीचे से	11	संवंघ	संबंघ
162	,,	19	सझीदार	साझीदार
164	,,	17	यनिट	यूनिट
165	,,	18	इसलिय	इसलिये

1	2		3	4
165	नीचे से	16	पसा	पैसा
165	,,	2	कीजिय	कीजिये
166	,,	23	उमय	समय
166	,,	2	झगड़	झगड़े
167	,,	2	टकड़ो	टुकड़ों
167	नीचे से	8	भख	भूख
168	,,	21	चाहिय	चाहिये
168	,,	14	चलेनं	चलानें
168	,,	6	न	ने
169	उपर से	8	चाहत	चाहते
170	,,	8	म	में
170	नीचे से	3	सको	इसको
171	उपर से	14	ह	है
172	,,	2	ह	है
172	,,	14	लगावेग	लगावेंगे
176	,,	9	यनिट	यूनिट
178	,,	1	सट	सैंट
179	नीचे से	10	आ	आठ
180	,,	1	ह	है
181	,,	9	रिपोट	रिपोर्ट
199	उपर से	12	विनीयोग	विनियोग
200	नीचे से	10	जो	जो
201	,,	2	ह	है
201	,,	2	स्कीकार	स्वीकार
206	,,	12	—	शिड्यूल्ड
208	,,	16	का	के
208	,,	10	नीकरी	नोकरी
211	,,	2	गमराह	गुमराह
212	,,	14	क्यों	क्यों
212	,,	12	उसकनान	उसका
213	,,	1	स्थान	उत्थान
214	,,	12	स्टुडेन्ट्स	स्टूडेन्ट्स
216	उपर से	8	विघन	विघ्न

1	2		3	4
219	उपर से	4	(वर)	(बैर)
223	,,	7	भो	भी
226	,,	3	लिय	लिये
227	,,	11	मुझ	मुझे
227	,,	12	प्रमाणिक	प्रामाणिक
243	क्र० सं०	4	ोंक	टोंक
93 से 124	शीर्षक		सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र-10 मार्च, 1970-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	आय-व्ययक-पर-10 मार्च, 1970-सामान्य वाद-विवाद